खण्ड-260, अंक-10
गुरूवार, 1 आश्विन, शक संवत् 1887
(23 सितम्बर, 1965 ई0)

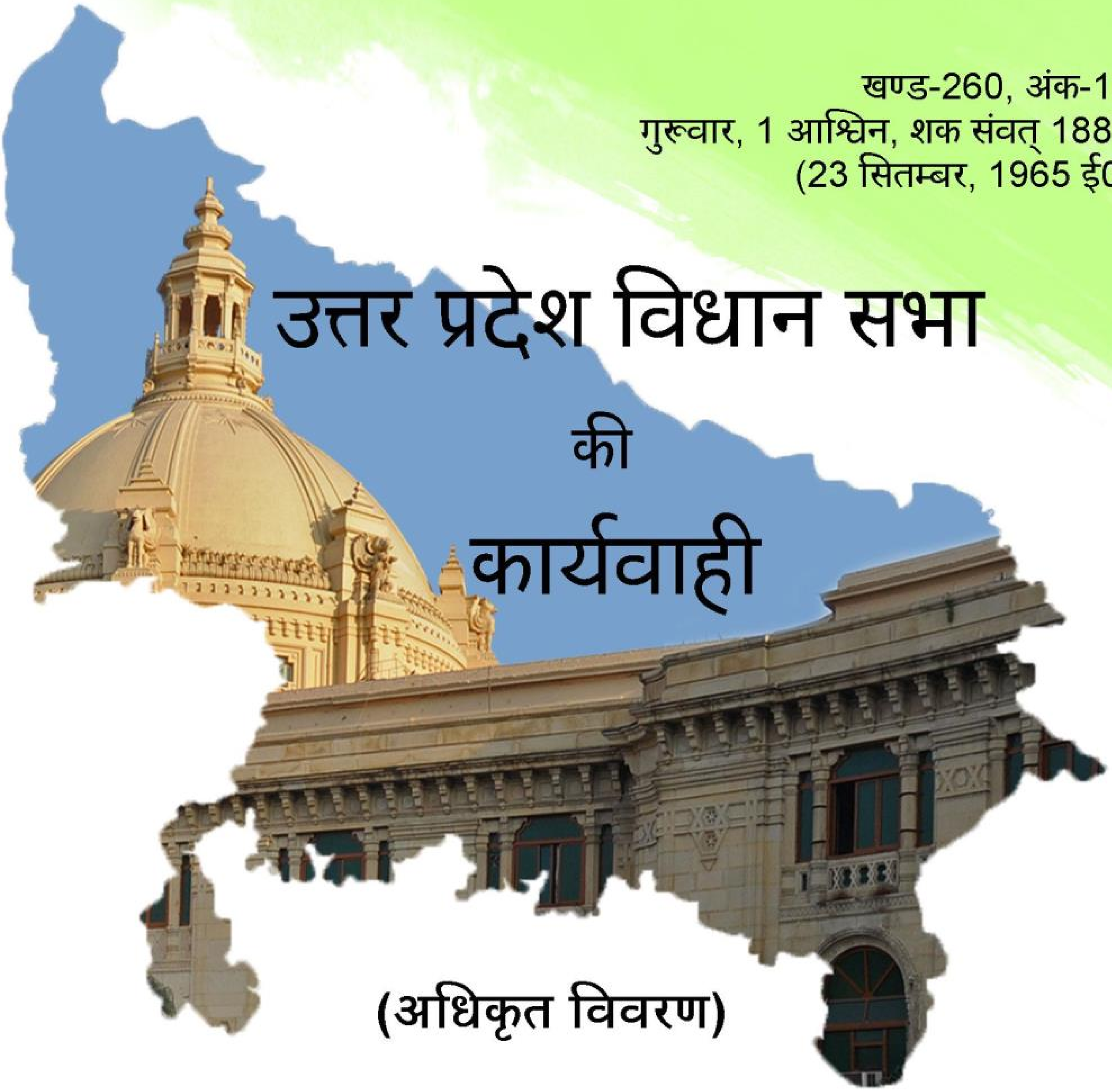

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 260 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३८०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
टल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
तेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवीदत्त श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूरीप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
निरंजनानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री

पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाथ चौबे)
रयासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव श्री
लखपतराम शर्मा श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रसन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री

श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बानपुर थाने में श्री नन्दलाल जैन के घर डकैती

*१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ६ ७ अगस्त, १९६५ की रात को लगभग २ बजे ग्राम बानपुर, थाना बानपुर जिला झांसी में सेठ नन्दलाल जैन के मकान पर (जो पुलिस थाने से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर है) डाका पड़ा ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

जी हां। ६-७ अगस्त, १९६५ को लगभग २ बजे रात्रि में सेठ नन्दलाल जैन निवासी बानपुर के घर में डकैती पड़ी जो पुलिस थाने से लगभग १ या १ १/२ फर्लांग की दूरी पर है।

*२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या यह सही है कि डाका पड़ने की खबर दरोगा जी को होने पर पुलिस नहीं गई ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन डाकू भाग चुके थे। इस संबंध में एक मुकदमा धारा ३९५/३९७ भा० दं० विधान के अन्तर्गत दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब डकैती पड़ रही थी और डाकू वहां पर करीब १ घंटे तक रहे और उन्होंने अनेक फायर भी किये और उस के जवाब में पड़ौस के लोगों ने भी डाकुओं पर फायर किये और सारा गांव जाग उठा तब भी करीब के ही थाने से कोई थानेदार या कान्सटेबिल मौके पर क्यों नहीं पहुंचा और वह तब पहुंचे जब कि जिस के यहां डकैती पड़ रही थी वह लुकता छिपता करीब आधा घंटे में थाने पहुंचा और उस वक्त थानेदार सो रहे थे उनको उसने जगाया और थानेदार ने तैयार होने में इतना वक्त लगा दिया कि वह जब डाकू चले गये तब वहां पहुंचे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह सही है कि उस वक्त पुलिस वाले नहीं पहुंचे जिस वक्त डकैती पड़ रही थी और जैसे ही नन्द लाल जी छिपते हुये वहां थाने में पहुंचे उस के बाद ही दरोगा जी अपनी बन्दूक लेकर पहुंच गये। लेकिन इस की जांच की जा रही है कि पुलिस मौके पर अपने आप क्यों नहीं पहुंची।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

मंत्री जी को मालूम है कि हर थाने पर रात को और दिन को एक सिपाही हर वक्त पहरे पर रहता है। तो जब एक या डेढ़ फर्लांग पर डकैती हो रही थी और फायरिंग भी हो रही थी, तो उस पहरे के सिपाही ने दारोगा जी को क्यों नहीं जगाया और क्या वह भी सो रहा था और क्या उसके और दरोगा जी के खिलाफ वह कार्यवाही करेंगे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

जैसा कि उत्तर दिया गया इस की जांच हो रही है और उसके उपरान्त यदि वह दोषी पाये जायेंगे तो अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या इस घटना की गम्भीरता को देखते हुये सरकार किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करायेगी और अगर यह प्रमाणित होता है कि थाने के अधिकारी दोषी हैं तो क्या सरकार उन को तुरन्त ससपेंड करने की कृपा करेंगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जांच के उपरान्त जो आवश्यक कदम होगा वह जरूर उठाया जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि सूचना पाने के बावजूद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं गई क्योंकि वह भी डकैती में शामिल थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैंने तो बताया, इस सब की जांच कराई जा रही है और उसके बाद ही कोई नतीजा निकालना ठीक होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसमें घटना का समय क्या लिखा गया है और रिपोर्ट किस समय लिखाई गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह ढाई बजे रात की घटना है और रिपोर्ट भी ढाई बजे ही लिखाई गई ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जब रिपोर्ट लिखाने और घटना का समय दोनों ढाई बजे रात का ही है, तो क्या वजह है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं अभी जांच हो रही है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कौन-कौन लोग गिरफतार हुये और अभी तक कितना माल बरामद हुआ है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अभी गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है और ९४०० रुपये का कुल माल गया है जिसमें सोना, चांदी और नकदी शामिल है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जब डकैती पड़ रही थी तो थाने से कुल दस गज की दूरी पर एक ट्रक स्टार्ट हालत में खड़ी थी और यह आनन्दी उस की रोशनी से छिपकर किसी तरह थाने पहुंचे और इसी बीच में वह ट्रक चल दी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस में तो नंदलाल जी की खुद की ही रिपोर्ट है उसमें तो कोई ट्रक का जिक्र नहीं है यह जरूर उन्होंने कहा है कि मैं छिपते हुये आया हूं और मेरे यहां १५–२० आदमी डाका डाल रहे हैं, इस से रिपोर्ट बाद में लिखी प्रतीत होती है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह डकैती एक लाख रुपये की पड़ी है और उस को पुलिस वालों ने कहा कि अगर एक लाख की डकैती लिखाओगे तो तुम्हारे ऊपर यह सवाल आयेगा कि यह रुपया कहां से आया इसलिये १५–२० हजार की ही लिखाओ । तो क्या यह सही है कि डकैती ज्यादा की थी और १५–२० हजार की ही लिखी गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिसके यहां डकैती पड़ी उसने यह शिकायत नहीं की है कि पुलिस वालों ने पूरी रकम नहीं लिखी । तो फिर दूसरा क्या सोर्स हो सकता है जिस से सही बात मालूम हो सके ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह कैसे सम्भव था कि ढाई बजे ही घटना घटी और उसी वक्त उसकी रिपोर्ट लिखी गई ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में लिखा है कि ढाई बजे घटना हुई और उसी वक्त वह रिपोर्ट लिखाने पहुंचे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि घटना के बाद १ डेढ़ फर्लांग छिपकर जाने में समय लगा होगा । तो क्या ढाई बजे रिपोर्ट लिखी जा सकती है ? इसमें जो कुछ गड़बड़ है क्या मंत्री जी इस की जांच करायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास सूचना यह है कि उसने जैसे ही रिपोर्ट लिखाना शुरू किया फौरन ही दरोगा जी मौके पर चले गये, इसमें यही समय लिखा है कि इसमें घटना का समय ढाई बजे लिखा है और रिपोर्ट का समय भी लगभग ढाई बजे लिखा है और यह फ़ैसला भी १ फर्लांग के करीब का है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा प्रश्न यह है कि बानपुर भी उसी सब-डिवीजन में है और वहां रोज ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो सरकार द्वारा उस क्षेत्र में डाकुओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह समस्या केवल ललितपुर क्षेत्र की नहीं है वरन् यू० पी० में और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर डाकुओं की विकट समस्या है और ऐसे आपरेटेड एरिया में स्पेशल पुलिस भी तैनात रहती है, वह काम भी करती है, डाकू मारे भी गये हैं, पकड़े भी गये हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी डाकू समस्या है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सारा गांव जाग उठा और थाने के पास डकैती पड़ती रही उसके पास भी पुलिस का कोई कांस्टेबिल या दरोगा नहीं पहुंचा तो तात्कालिक उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि २।। बजे डकैती पड़ी और ज्यों ही रिपोर्ट लिखी जा रही थी तभी ही दारोगा वहां पहुंचा, लेकिन यह बात जैसा पहले कहा गया कि १।। या १ फर्लांग पर गोली चलती रहे और डकैती पड़ती रहे और पुलिस वाले वहां पर रहे और वह न पहुंचे तो इन सब बातों की जांच के लिये मैंने आश्वासन दिया है ।

गन्ना इन्स्पेक्टर, मुशीर अहमद का तबादला

*३—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३ अगस्त, १९६५ को सीनियर गन्ना इंस्पेक्टर श्री मुशीर अहमद महोली-सीतापुर के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र किसी सदस्य, विधान सभा ने उन्हें दिया और उस पर, मन्त्री जी ने उपरोक्त इन्सपेक्टर को तबादले का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र में मुख्य आरोप क्या थे ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां । श्री मुशीर अहमद ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, महोली के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था । प्रार्थना-पत्र में मुख्य आरोप महोली क्षेत्र में कुछ सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में तथा वहां के सुपरवाइजरों और कामदारों के स्थानान्तरण के थे । प्रार्थना-पत्र में एक आरोप

यह भी था कि श्री मुशीर अहमद सीतापुर जिले में ९ वर्षों से नियुक्त हैं। इस कथन के आधार पर उनके स्थानान्तरण का आदेश दिया गया था।

*४—श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सीनियर गन्ना इंसपेक्टर का तबादला फिर उन्होंने रोक दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

बाद में यह ज्ञात होने पर कि श्री मुशीर अहमद की सीतापुर जिले में नियुक्ति २०-६-६३ को हुई थी और इस प्रकार उनकी सीतापुर जिले में ३ वर्ष की अवधि भी पूरी नहीं हुई थी, उनके स्थानान्तरण का आदेश रद्द कर दिया गया था।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आदेश रद्द करने के बाद फिर उनका तबादला किया गया ? यदि हां, तो कहां को ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, उनका ट्रान्सफर हो गया है।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह ट्रान्सफर होकर कहां गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—

इसके लिये नोटिस की जरूरत है, लेकिन उनका ट्रान्सफर हो गया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि मुशीर अहमद का ट्रान्सफर हो गया है लेकिन वह छुट्टी लेकर सीतापुर में ही पड़े हुये हैं। तो क्या मन्त्री जी इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां उनका ट्रान्सफर हो गया है वहां जाकर वह काम सम्भालें।

डाक्टर सीताराम—

यह आदेश कर दिये गये हैं कि उनको शीघ्रातिशीघ्र अपना कार्य ले लेना चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि २४ तारीख को यह प्रश्न आप के सामने प्रस्तुत किया गया था। आपने उसको अल्प सूचित तारांकित करके स्वीकार किया था, लेकिन उसके बाद यह प्रश्न तारांकित होकर आया। तो क्यों इसको तारांकित कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यदि आप नियम देखें तो आपको पता चल जायगा। अगर सरकार उसको स्वीकार नहीं करती है तो फिर उसको तारांकित करके प्राथमिकता दी जाती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि जिसके कारण पहले तबादला स्थगित किया गया और बाद में फिर किया गया ?

डाक्टर सीताराम---

सितम्बर के महीने में सिनहा साहब ने पुनः उस इन्सपेक्टर के खिलाफ बहुत सी बातें लिख कर दीं और इस प्रकार से उस इन्सपेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद अब उन चार्जेज के खिलाफ इन्क्वारी भी बैठ गई है।

जौनपुर जिले में बी० डी० ओ० शिवशंकरसिंह पर मुकदमा

*५---श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर), श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)---

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि १४ अगस्त, १९६५ को जौनपुर जिले के धर्मापुर ब्लाक के बी० डी० ओ० की अनुपस्थिति में पुलिस ने उनके घर छापा मार कर बड़ी निर्दयतापूर्वक सभी सामान अपने अधीन कर लिया तथा बच्चों और स्त्री को काफी पीटा ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्री शिवशंकरसिंह खण्ड विकास अधिकारी, धर्मापुर, जिला जौनपुर के विरुद्ध कुएं के बनवाने के अनुदान के संबंध में धारा ४०९/५११/४६५/४६७/१२० बी भारतीय दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ था और उसी सिलसिले में अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय०), जौनपुर द्वारा जारी किये गये वारन्ट गिरफ्तारी और कुर्की के लिए पुलिस उनके खिलाफ निवास स्थान पर गई थी। खण्ड विकास अधिकारी अपने निवास स्थान पर उपस्थित नहीं थे अतएव उनके सामान की कुर्की की गई। कुर्की के समय उनकी स्त्री तथा बच्चों को पीटने की बात सही नहीं है। श्री शिवशंकरसिंह के न्यायालय में उपस्थित होने पर कुर्की किया हुआ सामान वापस कर दिया गया। उनके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

आप के सरकारी नियमों के अनुसार जो अनुदान दिया जाता है उस की तस्दीक बी० एल० डब्लू० करता है और तब उस पर बी० डी० ओ० हस्ताक्षर करता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ और जो आदमी इंपरसोनेट हुआ था वह वहां हाजिर हुआ था। तो इतना होने पर भी बी० एल० डब्लू० को अरेस्ट किया गया अथवा नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसमें मैजिस्ट्रेट की जांच हो चुकी है। पुलिस के डिप्टी एस० पी० ने भी जांच की। बी० डी० ओ० ने गलत दस्तखत अटेस्ट किये और वे ट्रेजरी अफसर के पास भी पकड़े गये....

(श्री मैनेजरसिंह के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप उन को उत्तर पूरा कर लेने दीजिये, उसके बाद सवाल कर लीजियेगा।

श्री उग्रसेन---

आप उन्हें सही जवाब देने के लिये मजबूर कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

बी० एल० डब्लू० और बी० डी० ओ० पर मुकदमा चल रहा है। मैजिस्ट्रेट ने लिखा है कि दोनों की साजिश थी। उन्होंने सरकार को ठगने की कोशिश की। गलत दस्तखत बनवाये

गये। जब मामला ट्रेजरी अफसर के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि चेक लौटा दीजिये। उन्होंने चेक लौटा दी, लेकिन डी० एस० को रिपोर्ट कर दी। मैजिस्ट्रेट ने यह भी लिखा है कि इसके अलावा और भी गबन के मामले हैं और इन लोगों ने मिल कर साजिश की है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, इसमें लिखा है कि कुर्की हुई। नियम यह है कि पहले सम्मन ईश्यू होता है और फिर जब रिपोर्ट हो जाती है कि वह आदमी ट्रेसेबिल नहीं है तो वारंट और अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो क्या उनके खिलाफ सम्मन ईश्यू हुए थे या नहीं और यह रिपोर्ट हुई थी या नहीं कि वे ट्रेसेबिल नहीं हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

वारंट आफ अरेस्ट और कुर्की का वारंट साथ साथ था। जब यह लोग वहां पहुंचे तो उनको बतलाया गया कि यह सामान आप कुर्क नहीं करेंगे तो यह सामान बाद में हट जायगा और बी० डी० ओ० साहब भाग गये हैं। इसलिये सामान कुर्क किया गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

क्या यह सही है कि जब आप के आदमी बी० डी० ओ० के घर पर पहुंचे तो उनकी स्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बी० डी० ओ० साहब लखनऊ गये हैं और यह भाग जाने वाला चार्ज गलत है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन ए० डी० एम० (जे०) के यहां से कुर्की का हुक्म भी उस अधिकारी के पास था।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मन्त्री जी को पता है कि बी० डी० ओ० को डी० पी० ओ० जौनपुर ने दो दिन की छुट्टी दे दी थी और उसके तहत में वह लखनऊ तशरीफ लाये थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार को मालूम है कि जब यह कुर्की की कार्यवाही हो गयी और बी० डी० ओ० अप्लीकेशन मूव करने गये तो अदालत ने यह स्ट्रिक्चर पास किया कि यह मैलिशसली किया गया है और फुल आफ स्पाइट ऐसा किया है इस मामले को ? यदि ऐसी सूचना मिली है, तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ उन्होंने क्या किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

ऐसे स्ट्रिक्चर की कोई सूचना नहीं है। अदालत का हुक्म मिला था कि सामान वापस कर दिया जाय और वह वापस कर दिया गया।

श्री उग्रसेन--

क्या मन्त्री जी का ध्यान जो जमानत के लिये दरख्वास्त पर जज का फैसला हुआ उसकी उस सतर पर पड़ा जिसमें जज ने लिखा है कि पुलिस ने इसमें बिलकुल एकतरफा कार्यवाही की है और ८७-८८ की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह कागजात आफिसर के आफिस में मिल सकते थे और यह बड़े शर्म की बात है कि सामान कुर्क किया गया उसमें छोटे बच्चे की नेकर भी थी ? यह फैसला है और उसकी एक कापी है।

श्री हरगोविन्दसिंह---

न यह फैसला है, न उसकी कापी है और न उसकी कोई सूचना हमारे पास है। अगर आयेगा तो जांच करायी जायगी।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि जज के यहां बी० डी० ओ० ने १३ अगस्त को अपने लीगल ऐडवाइजर के साथ कहा कि मेरी जमानत कर दी जाय तो जज ने कहा कि आप के केस की २५ तारीख पड़ी है उस दिन आइयेगा, जबकि १३ तारीख को लिखा गया और १४ तारीख को वारंट और कुर्की का आदेश गया है, तो वह आदेश किस की आज्ञा से दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बी० डी० ओ० के ऊपर मुकदमा थाने में किस तारीख को कायम हुआ और किस तारीख को सामान कुर्क किया गया और वारंट निकला और दफा ८७-८८ की कार्यवाही किन किन तरीखों को हुई?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इनके खिलाफ चार्ज शीट ३०-६-६५ को अदालत में लगी। १३-८-६५ को वारंट मिला।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमान्, उलटा जवाब दे रहे हैं। मैंने पूछा है कि थाने में मुकदमा किस तारीख को कायम हुआ और वह अदालत में बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष --

आप पहले उत्तर सुन लिया कीजिये, बाद में आप सवाल कर सकते हैं। बीच में टोकने से न मेरी समझ में बात आती है और न जवाब ही हो पाता है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

२३-४-६५ को मुकदमा कायम हुआ थाने में, और ३०-६-६५ को चार्ज शीट गयी। इसकी इंक्वायरी सालिगराम डी० वाई० एस० पी० के सुपुर्द की गयी। उन्होंने इंक्वायरी की और विवेचना की और २९-४-६५ को मुअत्तिली की रिपोर्ट दी, लेकिन मुअत्तिली नहीं हुई। १३-८-६५ को अटैचमेंट किया गया।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या यह सही है कि माननीय सदस्यों ने माननीय विकास मन्त्री को यह लिखा कर दिया था कि धर्मापुर के बी० डी० ओ० के खिलाफ जो केस है उसकी जांच कराई जाय और माननीय विकास मंत्री ने जांच के आदेश भी दिये। वाराणसी के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर उसकी जांच समाप्त भी नहीं कर पाये थे कि उसके बीच ही माननीय गृह मंत्री ने अपना दबाव डालकर उसको सस्पेंड कराने के आदेश विशेष रूप से जारी करवाये ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

नहीं, यह गलत है। यहां से कोई आदेश नहीं दिया गया।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात की जांच करवायेंगी कि जौनपुर के डी० वाई० एस० पी०, मिस्टर शर्मा, माननीय गृह मंत्री के लाड़ले हैं तथा क्या सरकार का ध्यान हाई कोर्ट के उस जजमेंट की ओर भी गया है जिसमें इसी संबंध में माननीय न्यायाधीश ने लिखा है--

"The Learned counsel rightly contended that the police acted maliciously. The proceedings under sections 87-88 Cr. P. C. is the last resort against an absconding accused. The applicant was not one. He was a Gazetted Officer and was in the office, handing over charge, instead of serving summons on him in compliance of the order of the A. D. M. (J) dated the August 10, 1965 the police misrepresented to the Magistrates that he would abscond. The official who moved the application could not possibily sit inside the mind of the accused and learn his intentions.

The Learned A.D.M. (J) never gave a thought to it, and issued the warrants."

क्या माननीय मुख्य मंत्री ने इसको देखा है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

मैं यह फाइल मंगा कर देख लूंगी और जजमेंट की कापी भी मंगाकर देख लूंगी।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

इस सारे मामले की जानकारी माननीया मुख्य मंत्री को श्रीमन् थी, . . . (व्यवधान) तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि माननीय गृह मंत्री, ठाकुर हरगोविन्द सिंह ने इस बी० डी० ओ० को सस्पेंड कराने के लिये एक नोट माननीय विकास मंत्री तथा एक नोट माननीय मुख्य मंत्री को लिखा जिस पर यह आदेश जारी हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैं जौनपुर गया हुआ था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुझे यह बताया कि उसके पहले धर्मापुर बी० डी० ओ० के बारे में या इस जांच के बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बातचीत के दौरान में मुझे यह मालूम हुआ कि तीन-चार महीने हुए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गवर्नमेंट को लिखा है कि इस बी० डी० ओ० के खिलाफ करप्शन का चार्ज बनता है, इसको सस्पेन्ड किया जाय। उस बारे में मैंने मुख्य मंत्री को कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसी बात लिखी है, उसको सस्पेंड होना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब यह थाने में मुकदमा कायम हुआ तो क्या जरूरत पड़ी कि सहायक पुलिस अधीक्षक जो शर्मा हैं और जो वहां पांच साल से हैं और जिनके सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट ने या जज ने या हाईकोर्ट ने माननीय जज ने उनके खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव पारित किया अपने जजमेंट में। ऐसी हालत में ऐसे व्यक्ति को जब थानेदार मौजूद थे, जांच करने के लिये या कुर्की के लिये क्यों आदेश प्रसारित किये गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की नोटिस में ट्रेजरी आफिसर द्वारा यह गबन का केस लगाया गया तो उन्होंने एस० डी० ओ० को जांच के लिये भेजा। एस० डी० ओ० ने रिपोर्ट की कि यह वाकया सही है। इस तरह से रुपया गबन किया गया है। यह झूठी दरख्वास्त बनाई गई है। यह केस पुलिस को दिया जाय। तो यह केस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को दे दिया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ए० डी० एम० (जे०) के यहां से ये वारन्ट और कुर्की इश्यू किये गये हैं उनके नाम क्या हैं और वे कहां के रहने वाले हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी सूचना तो नहीं है कि ए० डी० एम० (जे०) कहां के रहने वाले हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, वे जौनपुर के रहने वाले हैं, उनका नाम सिद्धनाथसिंह है और मड़ियाहूं में इनकी रिश्तेदारी में रहने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप जो कह रहे हैं उसकी सूचना आपसे नहीं मांगी गई है। आप सूचना मांगिये और और सुझाव दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कुंवर श्रीपालसिंह आप के सामने यह लाना चाहते हैं कि मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं। ए० डी० एम० (जे०) जौनपुर के रहने वाले हैं। तीन बार गृह मंत्री ने उनका स्थानान्तरण रुकवाया है.....

श्री हरगोविन्दसिंह—

एक सवाल का जवाब तो दे दूं कि माननीय कुंवर श्रीपालसिंह ने कहा था कि वे मेरे रिश्तेदार हैं। यह बात बिलकुल गलत है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैंने रिश्तेदार नहीं कहा था....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बी० डी० ओ० के खिलाफ जब थाने में मुकदमा दर्ज हुआ तो थानेदार ने इसकी इन्क्वायरी कराकर, जांच-पड़ताल क्यों नहीं की, जब कि वहां जो सहायक अधीक्षक हैं उनके खिलाफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने और हाईकोर्ट ने भी निन्दा का प्रस्ताव पारित कर दिया है और वे वहां पांच साल से हैं ? उन्हें ही क्यों कुर्की करने का आदेश प्रसारित किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने अर्ज किया कि हमारे पास जो सूचना है.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हमारे पास सूचना है। ये मंत्री हैं इनके पास नहीं है। श्रीमन्, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में स्ट्रक्चर हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—

आप सुन लीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह केस पुलिस को दिया था और डी० एस० पी० को यह कहा था कि जांच करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री को सूचना भी देता हूं और उसमें प्रश्न भी करता हूं कि ए० डी० एम० (जे०), जौनपुर में मड़ियाहूं के रहने वाले हैं तथा इनके तीन मुकदमें जायदाद के वहां लड़ रहे हैं, इनके बारे में डिस्ट्रिक्ट जज ने स्ट्रिक्चर दिया है कि---

"The learned A. D. M. never gave a thought to it and issued the warrant."

यानी ए० डी० एम० ने मामले पर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया और वारन्ट ईश्यू कर दिया। इसके अलावा डी० एस० पी० भी पांच वर्ष से वहां हैं। कई स्ट्रिक्चर्स इनके खिलाफ हैं। ऐसी हालत में क्या माननीय मुख्य मंत्री जिस प्रकार से जौनपुर में प्रशासन की दुर्दशा है उसको देखते हुए इन दोनों आदमियों का वहां से तुरन्त तबादला करेंगी या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

ए० डी० एम० (जे०) का तो ट्रांसफर विचाराधीन है। (व्यवधान) और शर्मा अगर पांच साल से हैं तो उनके मामले पर भी विचार कर लेंगे।

(अगला प्रश्न लेने पर) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यदि आपको कुछ और करना है तो नियम ५० आपके सामने है (शोर) आप जो भी चाहते हैं उसके लिए नियम बना हुआ है, नियमों के अन्तर्गत आप काम करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं यह चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी गृह मंत्री का पद अपने हाथ में ले लें और उनको मुक्त कर दें तो बड़ा अच्छा होगा।

अलीगढ़ थाने में नगला मन्दिर का गोलीकाण्ड

*६---श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ कोतवाली थाना के अन्तर्गत पड़ियावली गांव में बरात की चढ़त के प्रश्न पर हरिजन-जाटवों और लोधों में तनाव था ? परिणामस्वरूप वहां के प्रधान ने गोली से दूल्हा के भाई को मार दिया ? यह घटना किन-किन कारणों से घटी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

पड़ियावली गांव में जाटवों और लोधों में तनाव के फलस्वरूप जाटवों की एक बारात की चढ़त के मामले में नगला मंदिर में दिनांक १९-६-६५ को गोलीकांड हुआ था जिसमें वर के भाई को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। यह असत्य है कि पड़ियावली के प्रधान ने गोली चलाई। घटना का कारण संलग्न विवरण में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९८९-९९० पर)

*७---श्री जसरामसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अधिकारियों को यह सूचना किस-किस तारीख को मिली कि बारात चढ़ाने पर लोध हरिजनों से झगड़ा करना चाहते हैं इसका क्या प्रबन्ध किया जाय, कोतवाली के थानेदार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की, विवरण बताया जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

दिनांक १।-६-६५ को लोधों का एक प्रार्थना-पत्र पुलिस को मिला कि जाटव उनके मुहल्ले से बारात निकालना चाहते हैं जिससे शांति भंग होने का अंदेशा है। इसके अतिरिक्त १६-६-६५ को एक जाटव का भी प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को प्राप्त हुआ था। सब इन्सपेक्टर पुलिस कोतवाली ने १४-६-६५ को दोनों ही पक्षों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० की रिपोर्ट की। मौजा पड़ियावली में १ सब-इन्सपेक्टर, १ हेड कान्सटेबुल तथा ६ कान्सटेबुल तैनात किये गये। एक आर्म गार्ड एक सप्ताह के लिये लगाया गया। दो प्लाटून पी० ए० सी० लगाई गई।

*८--श्री जसरामसिंह--

आज तक उपरोक्त घटना के संबंध में किन-किन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वह कहां के रहने वाले हैं? इस घटना को कराने में विशेष हाथ किस व्यक्ति का है, बताया जाय?

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

गिरफ्तार हुए व्यक्तियों का नाम तथा पता संलग्न सूची में दिया हुआ है। यह कहना सम्भव नहीं है कि इस घटना में किसी व्यक्ति का विशेष हाथ था अथवा नहीं क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९८९-९९० पर)

श्री जसरामसिंह--

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह घटना कब घटी, इसकी रिपोर्ट कब लिखाई गई और क्या रिपोर्ट लिखाई गई?

श्री अध्यक्ष--

क्या लिखाई गई, यह तो नहीं, समय बतला दें।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, इसमें तो तारीख दी हुई है १९-६-६५ को गोलीकांड हुआ था उसी समय जाकर रिपोर्ट लिखाई गई आधे घंटे बाद, और ५४ अपराधी गिरफ्तार किये गये।

श्री कमला सिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि काल की रिपोर्ट किन के खिलाफ लिखाई गई और कौन कौन गिरफ्तार हुए?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जो नामजद थे वे करीब-करीब सभी गिरफ्तार हो गये। कुल ३२ आदमी पकड़े हैं। नामजद थोड़े हैं, १६ और थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

घटना के समय पुलिस वहां मौजूद थी या नहीं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

पहले ही इस तरह की एक बारात पर झगड़ा चला और वह निकाल दी गई थी। लेकिन जब यह बारात चढ़नी शुरू हुई तो हाथी उन्होंने नहीं दिया। इसका पड़ाव दूसरी जगह नगला मंदिर में था। हाथी न देने पर ईंट-पत्थर फेंके गये और अन्दर से एक आदमी ने फायर कर दिया।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या हरिजनों की रिपोर्ट पर कि झगड़े का खतरा है पुलिस के अधिकारियों ने कोई इन्क्वायरी भी की या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वहां दो सड़कें हैं। एक लोधों के मुहल्ले से निकलती है जो अच्छी है। जाटवों ने कहा कि बारात इस सड़क से निकालेंगे जिसका लोधों ने विरोध किया। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक सड़क पर किसी की बारात रोकी नहीं जा सकती है।

श्री जसराम सिंह—

जब पहले ४-५-६५ को और फिर ११-६-६५ को झगड़े की इत्तला मिल चुकी थी, तो पहली सूचना पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की और दूसरी पर १०७/११७ में कितने लोध बन्द किये गये और जाटव कितने बन्द हुए ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

१८ लोधों को गिरफ्तार किया गया।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

पहले से तनाव की सूचना होते हुए अधिकारियों ने बारात में दोनों पक्षों को फायर आर्म्स ले जाने से क्यों नहीं मनाही की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

बारात ने पड़ाव डाला था। बारात निकलने से कुछ दूर झगड़ा वहां शुरू हो गया और पुलिस वहां पड़ियावी में मौजूद थी।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

जहां गोली चली वहां पुलिस कितनी देर बाद पहुंची ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

तुरन्त ही पहुंच गई थी।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १०७/११७ में सिर्फ जाटव ही पकड़े गये थे और लोध नहीं और इनके फायर आर्म्स के लाइसेंस सस्पेंड क्यों नहीं पहले ही किये गये ताकि झगड़ा न हो सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

१८ लोध १०७/११७ में इस घटना से पहले ही पकड़े जा चुके थे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मंत्रियों तथा सचिवों का नैनीताल दौरा

*१—श्री कमलासिंह यादव, श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद) तथा श्री माधव-प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री तथा कौन-कौन मंत्री, उप मंत्री तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मई और जून, १९६५ में नैनीताल तथा अन्य पहाड़ी स्थानों में कब से कब तक रहे और किन-किन लोगों के साथ उनका दफ्तर भी साथ रहा ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९९१-९९३ पर)

श्री कमलासिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या कोई आदेश था कि किसी समिति की बैठक में कोई एम० एल० ए० या मंत्रिगण पहाड़ों पर नहीं जायेंगे ? क्या कोई ऐसा जी० ओ० सरकार ने निकाला था ? यदि हां, तो फिर ऐसा जी० ओ० निकालने के बाद लोग पहाड़ों पर क्यों गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

आपको थोड़ी सी गलतफहमी है । आर्डर यह था कि सरकार पहाड़ों पर इस वर्ष रिसेस नहीं करेगी और कमेटियां नहीं होंगी, दौरा करने के लिए न जाने के आदेश थोड़े ही थे ।

श्री कमलासिंह यादव---

उसी आदेश की वजह से किसी समिति की बैठक पहाड़ों में नहीं हुई, एम० एल० ए० नहीं जाने पाये और माननीय मंत्रिगण आराम करने के लिये नैनीताल गये । इस प्रकार माननीय मंत्रियों को क्यों प्रिफरेंस दिया गया, क्या वहां कोई कैबीनेट की मीटिंग होने वाली थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जब सरकार ने पिछले साल यह देखा कि कमेटीज की बहुत सी मीटिंग्स नैनीताल में हुईं तो कहा कि इसको इस साल डिसकरेज किया जाय । इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सबको ही बन्द कर दिया जाय । इसलिये ही कहा गया कि इस साल नैनीताल में कोई कमेटी की मीटिंग नहीं होगी और जो मिनिस्टर लोग गये थे वे मौज करने के लिये नैनीताल नहीं गये थे । उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है वह उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है । उसके एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख भी हम लोगों को करनी होती है । मुझे तो एक्स्टेंसिवली सारे इलाके का दौरा करना पड़ा । एक दिन भी नैनीताल में मौज लेने के लिये जैसा कि कहा गया है, नहीं ठहर सकी ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

हम कोई पर्सनल सवाल तो करते नहीं, जो माननीया मुख्य मंत्री अपनी सफाई देने लगीं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

माननीया मुख्य मंत्री ने बताया कि वह मौज करने नहीं गयी थीं, डिफेंस के संबंध में दौरा करने के लिए गई थीं, लेकिन उनके पीछे जो मिनिस्टरों की फौज गयी थी उनमें कौन कौन मिनिस्टर गये थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

आप लोग अगर उस लिस्ट को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कुछ लोग ही नैनीताल गये थे, बहुत से नहीं गये । जैसा मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश का वह भाग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर नहीं है, हमें वहां भी जाना ही पड़ता है, वहां की डेवलपमेंट ऐक्टीविटीज को देखना पड़ता है । अब जो लोग उस काम के लिए वहां जाते हैं, हो सकता है १-२ दिन वहां ज्यादा ठहर गये हों ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि माननीय न्याय मंत्री जी जो २९ मई से ३ जुलाई तक वहां रहे, वह किस ऐडमिनिस्ट्रेटिव दौरे पर वहां गये थे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे पास जो सूचना रहती है उसमें यह नहीं लिखा होता कि कौन मंत्री किस काम के लिए वहां गया है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जब मंत्रिगण नैनीताल में होते हैं तो लोगों के आने जाने का खर्चा बहुत बढ़ जाता है ? यदि हां, तो क्या माननीया मुख्य मंत्री मंत्रियों को यह आदेश देंगी कि जो भी कामकाज हुआ करें वह यहां आकर ही किया करें और वहां केवल दौरे के लिये जायें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप लिस्ट देखें तो आपको विदित हो जायगा कि बहुत ही कम लोग नैनीताल गये हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अगर एक भी गया है, तो क्यों ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

उत्तरकाशी जिले में सिंचाई योजनाएं

*२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तरकाशी जिले के विकास क्षेत्र नौगांव, भटवाड़ी तथा पुरौला में ८ सिंचाई योजनायें ५ लाख से ऊपर की निर्माण करने हेतु सन् ६३ में सर्वेक्षण कराया गया था और सर्वेक्षण हो गया था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य शुरू हुआ या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

नौगांव, भटवाड़ी तथा पुरौला विकास क्षेत्रों में सन् १९६३ में आठ सिंचाई योजनाओं का केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था । इन योजनाओं पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इन योजनाओं पर अब अग्रिम कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां । इस पर कुछ योजनायें पहले से चल रही हैं । वे जब खत्म हो जायेंगी, उसके बाद उन पर डिटेल्ड सर्वेक्षण किया जायगा ।

श्री ऊदल—

यह जो सर्वेक्षण किया गया उसमें इन योजनाओं का कोई एस्टीमेट तैयार किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट हुआ ।

जिला बुलन्दशहर में उद्योग ऋण की वसूलयाबी

*३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में १ जनवरी, १९६३ के बाद किन-किन लोगों को ५ हजार से ज्यादा रुपया किस-किस उद्योग में लगाने के लिये कर्जा दिया गया और उसमें से किस-किस उद्योग को कहां-कहां स्थापित कर दिया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना सदन की मेज पर परिशिष्ट 'अ' के रूप में रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ९९४–९९५ पर)

*४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिन लोगों ने उस रुपये का उचित प्रयोग नहीं किया है, वह कौन-कौन लोग हैं और उनसे रुपया वसूल किये जाने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है, और अब तक रुपया वसूल न होने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

४—उचित प्रयोग न करने वालों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

१—श्री छिदालाल गर्ग

२—श्री रघुबर दयाल सिंघल

३—श्री जितेंद्र शंकर शर्मा,

उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध वसूलयाबी की कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

श्री छिदालाल से रुपया इस कारण से नहीं वसूल हो पाया कि उनका देहांत हो गया । उनके वारिसों से ऋण का अधिकांश भाग वापस करा लिया गया है । शेष व्यक्तियों के उपयोग की अवधि अगस्त, १९६५ में ही समाप्त हुई है और उन्हें सम्पूर्ण धन की वसूली हेतु नोटिसें दी गई हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो १६ आदमियों को ५–५ हजार से ज्यादा रुपया दिया गया उन व्यक्तियों में से किन-किन ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर के द्वारा दरख्वास्त न देकर डायरेक्ट दी और उन्हें रुपया मंजूर किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसका उत्तर देना कि किन-किन लोगों ने इंडस्ट्रीज आफिसर के द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये, इस समय बताना संभव नहीं हो सकेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा मतलब सीधा सादा है कि जिन लोगों को कर्जा दिया गया, उनमें से कौन-कौन ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर के द्वारा न देकर डायरेक्ट दिए और अपने असर को इस्तेमाल करा कर रुपया मंजूर करा लिया और कितना-कितना रुपया उन्हें मंजूर हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जैसा मैंने निवेदन किया इस समय यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि किन-किन व्यक्तियों ने सीधे प्रार्थना-पत्र दिये और कितना-कितना रुपया प्राप्त किया ।

[२३ सितम्बर, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

थाना कोतवाली, फतेहपुर के अन्तर्गत बलवा

*१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक २ अप्रैल, १९६५ की शाम को थाना कोतवाली, फतेहपुर के अन्तर्गत मोहल्ला मुटाइन टोला में नईमुद्दीन आदि और सैयद अली आदि के बीच कोई झगड़ा हुआ है ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, नईमुद्दीन एवं सैयद अली के पक्षों में झगड़ा हुआ। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने पर सैयद अली के पार्टी के ५ आदमी और नईमुद्दीन के पार्टी के ३ आदमियों को धारा १५१ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और सैयद अली की पार्टी के १० मुलजिमान व नईमुद्दीन पार्टी के १७ मुलजिमान के विरुद्ध धारा १०७ / ११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत चालान किया गया। मामला एस० डी० एम० सदर, फतेहपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

*२—श्री रघुबीरसहाय कैथवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त झगड़े में कांता, बल्लम चला और कुछ लोगों के बल्लम लगा किन्तु पुलिस ने रिपोर्ट में और अस्पताल के डाक्टर के मुआयने में बल्लम की चोट नहीं लिखी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार झगड़े में कांता-बल्लम नहीं वरन् लाठियों का ही प्रयोग हुआ और लाठी की ही चोटें आई थीं जैसा डाक्टरी मुआइने की रिपोर्ट में लिखा है।

*३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि मुलिजमान को जेल भेजने पर वहां भी उनकी डाक्टरी हुई और अहसान अली नामक व्यक्ति की बल्लम की चोट लिखी गई ? यदि हां, तो इसकी वास्तविकता क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही है कि फतेहपुर जेल में अभियुक्त अहसान अली की चोटों का मुआइना हुआ था जिससे केवल दो साधारण चोटें पाई गईं। उक्त चोटें किस हथियार से पहुंचाई गई थी यह डाक्टर नहीं बता सके।

गवर्नमेंट यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट के कर्मचारी श्री वीरेन्द्रमणि त्रिपाठी की बहाली

*४—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप उद्योग मंत्री ने श्री वीरेंद्रमणि त्रिपाठी तथा उनके अन्य साथियों को दिनांक १२ दिसम्बर, १९६४ तथा ३१ दिसम्बर, १९६४ को इस बात का स्पष्ट आश्वासन दिया था कि यदि उपरोक्त श्री वीरेंद्रमणि त्रिपाठी तथा उनके अन्य साथियों से जूनियर कर्मचारी गवर्नमेंट यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट की सेवा में कार्य संलग्न है तो उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई हानि न होने पायेगी ? यदि हां, तो अब तक इस आश्वासन के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*५—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि इसी आश्वासन के समय अर्थात् दिनांक १२ दिसम्बर, १९६४ तथा ३१ दिसम्बर, १९६४ को उपमंत्री जी ने यह भी कहा था कि इस अवांछित कार्यवाही के प्रति कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसकी जांच वह किसी डिप्टी सेक्रेटरी से करायेंगे ? यदि हां, तो इस इन्क्वायरी कमेटी की नियुक्ति अभी तक हुई कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*६—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त पदयुक्त कर्मचारियों के समक्ष दिनांक ८ फरवरी, १९६५ को उप-उद्योग मंत्री जी ने इस प्रकार का भी कोई आश्वासन दिया था कि उन्हें उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को लिखित रूप में दिनांक ९ फरवरी, १९६५ को वह स्पेशल मैनेजर से दिला देंगे ? यदि हां, तो क्यों नहीं दिलायें ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी कब मंत्री जी से मिले और उनसे क्या बातचीत हुयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने कहा है कि आश्वासन मैंने कोई नहीं दिया । इसका प्रश्न नहीं उठता । मुझसे अवश्य मिले थे तो मैंने कहा था कि देख लूंगा, आपके खिलाफ कोई हकतलफी न हो और उसी के आधार पर आर्डर सरकार ने कर दिया है कि वह रीइंस्टेट कर दिये जायं क्योंकि वह जूनियर मोस्ट नहीं हैं ।

अजीतमल ब्लाक प्रमुख, महाशय गौरीशंकर की हत्या

*७—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इटावा के अजीतमल ब्लाक के प्रमुख जनता इंटर कालेज के सुयोग्य मैनेजर समाज सेवी और शिक्षा प्रेमी ६० वर्षीय महाशय गौरीशंकर आदि की मई के प्रथम सप्ताह में हत्या कर दी गई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, अजीतमल ब्लाक के प्रमुख तथा जनता इंटर कालेज के मैनेजर, श्री गौरी शंकर आर्य उर्फ महाशय, वय ६० वर्ष, की हत्या ५-५-६५ को की गई ।

*८—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपा कर अब तक प्राप्त सूचनाओं तथा की गई कार्यवाहियों और उसके केस से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

घटना की रिपोर्ट प्राप्त होते ही एक मुकदमा धारा ३०२ भा०दं०वि० के अन्तर्गत थाना अजीतमल में कायम कर जांच प्रारम्भ हुई । हत्या से संबंधित तीन अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग-पत्र न्यायालय को भेज दिया गया है ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

आटा चक्कियों के लिए ऋण

*९—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रमाणित कितने आटा चक्की निर्माण केन्द्र हैं और वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में उक्त केंन्द्रों द्वारा कितनी-कितनी आटा चक्कियों का निर्माण तथा विक्रय किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रमाणित आटा चक्की निर्माण केंन्द्रों की संख्या और वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में उक्त केंन्द्रों द्वारा निर्मित तथा विक्रय की गई आटा चक्कियों की संख्या परिशिष्ट 'क' में दी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९९६ पर)

*१०—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त तीन वर्षों में ५० प्रतिशत छूट देकर किस-किस केंन्द्र में कितनी-कितनी चक्कियां बेंची हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त वर्षों में ५० प्रतिशत छूट देकर विक्रित चक्कियों की संख्या तथा विक्रय करने वाले केंन्द्रों का विवरण भी परिशिष्ट 'क' में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९९७ पर)

*११—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अब तक प्रत्येक आटा चक्की निर्माण केंन्द्र को खादी कमीशन तथा उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितना-कितना ऋण दिया गया है और यह ऋण संस्थाओं के विगत कार्य के आधार पर दिया जाता है अथवा अन्य किसी आधार पर ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी संस्थाओं को भी ऋण दिया गया है जिन्होंने ऋण स्वीकृत होने तक एक भी चक्की का निर्माण नहीं किया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अब तक दिये गये ऋण की धनराशि तथा केंद्रों का विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है । यह ऋण पुरानी संस्थाओं को उनके विगत कार्य के आधार पर तथा नई संस्थाओं को उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए दिया जाता है । बोर्ड द्वारा अभी तक किसी ऐसी संस्था को ऋण नहीं दिया गया है, जिसने ऋण स्वीकृत होने तक एक भी आटा चक्की का निर्माण नहीं किया था । खादी कमीशन के ऋण का संबंध प्रदेशीय शासन से न होने के कारण इस विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ पर)

हैण्डी क्राफ्ट्स के शो केस

*१२—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि गवर्नमेंट यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट के किन-किन शो केशों में कितने-कितने मूल्य का सामान है तथा उसमें से कितना-कितना बिक्री के योग्य तथा अयोग्य है । क्या सरकार इस आशय का एक लिखित प्रमाण जिला उद्योग अधिकारियों से अलग-अलग मांगकर सदन की मेज पर रखेगी कि वे कभी शो केसों का निरीक्षण किये हैं तथा इस स्कीम के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी किस-किस उद्योग अधिकारी को दी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गवर्नमेंट यू०पी० हन्डीक्राफ्ट के देहरादून शो केस में रु० १,८९३.७३, हरद्वार में रु० ६४१.०६, गोरखपुर में रु० ३,१०६.६३ तथा वाराणसी शो केस में रु० ३,२२२.९१ के मूल्य का सामान है । सब सामान बिक्री योग्य है ।

ये शो केस संबंधित जिला उद्योग अधिकारी के स्थानीय निरीक्षण में रहते हैं, उस पर अलग से निरीक्षण प्रमाण-पत्र लिखने की प्रथा नहीं है। गोरखपुर शो केस पर एक निरीक्षण रिपोर्ट जिला उद्योग अधिकारी द्वारा लिखी गई थी जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९९८–९९९ पर)

*१३—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि १ अप्रैल, १९६२ से ३० अप्रैल, १९६५ तक कुल कितने रुपये का सामान इन शो केसों पर अलग-अलग बिका है तथा बिक्री का रुपया कब और क्यों देर से जमा हुआ? क्या सरकार तत्संबंधी रेलवे तथा स्थानीय निकायों द्वारा इस आशय का एक सर्टिफिकेट मांग कर सदन की मेज पर रखेगी कि इस बिक्री पर उन्हें कोई आपत्ति है या नहीं? यदि है, तो इस अनियमितता की जिम्मेदारी किसकी है तथा सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शो केस पर बिक्री करने की आज्ञा रेलवे से नहीं प्राप्त है। केवल हरद्वार शो केस पर भेजे गये सामान में से वहां के सेल्समैन ने केवल रु० १२.४६ का सामान अप्रैल-मई, १९६४ में विशेष परिस्थितियों में विजिटर के हाथ बेंच दिया था। नियमों से भली भांति परिचित न होने के कारण उसने रुपया देर से चार्ज देते समय नवम्बर, १९६४ में जिला उद्योग अधिकारी के पास जमा किया जिसके लिये उनसे जवाब तलब भी किया गया। चूंकि उपरोक्त बिक्री से कोई विशेष अनियमितता नहीं प्रतीत होती, इसलिये रेलवे तथा स्थानीय निकायों से सर्टीफिकेट प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

मुरादाबाद जिले में औद्योगिक आस्थान

*१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में कितनी इन्डस्ट्रियल स्टेट्स बनाई गई हैं और कहां-कहां बनाई गई हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुरादाबाद जिले में दो औद्योगिक आस्थान बनाये गये हैं जो क्रमशः हरथला, मुरादाबाद और जोया में स्थित हैं।

*१५—श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि कौन-कौन सी इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स हैं और किस इन्डस्ट्री को किस-किस पार्टी ने चलाना शुरू कर दिया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उपरोक्त आस्थानों में हरथला में स्थित लघु औद्योगिक आस्थान है तथा जोया में ग्रामीण औद्योगिक आस्थान है। दोनों ही जगह अभी बिजली और पानी की व्यवस्था करने को शेष है। अभी किसी भी इकाई ने काम शुरू नहीं किया है।

*१६—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि कुछ पार्टियों को इन्डस्ट्रियल स्टेट के शेड ३० या ३१ हजार रुपये में देना तय पाये थे, लेकिन अब उनको इत्तला दी गई है कि वह ४५ हजार रुपये में वह शेड दिये जायेंगे? यदि हां, तो इस रकम की बढ़ोतरी का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। इंडस्ट्रियल स्टेट में ३० या ३१ हजार रुपये में शेड दिया जाना तय नहीं किया गया था। हायर परचेज के आधार पर "सी" टाइप के शेड की कीमत ४३,३५६ रुपये और "डी" टाइप के शेड की कीमत ३९,७११ रुपये होती है और यही सूचित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुहम्मदाबाद थाने में हरिजनों पर अत्याचार

*१७—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, थाना मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत ग्राम सेमरा के बहुत से हरिजनों को माह जून, १९६५ में वहां के भूतपूर्व जमींदारों ने बुरी तरह पीटा और इन हरिजनों में से कितने जख्मी गाजीपुर सदर अस्पताल में हैं? क्या इसी ग्राम से हरिजनों को निकाल भी दिया है जो इस समय बेघरबार हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम सेमरा, थाना मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर के हरिजन अपनी मजदूरी की दर बढ़ाना चाहते थे। इस बात को लेकर ग्राम के भूमिहारों तथा उनमें तनातनी चल रही थी। ६-६-६५ को पंचायत हुई जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुये और सब मामला तय हो गया। इसी बीच फगुनी हरिजन ने कहा कि हम सब काम करेंगे किन्तु पालकी ढोने का काम नहीं करेंगे। इस पर कुछ उद्दण्ड लड़कों ने उन्हें तथा कुछ अन्य हरिजनों को मारा पीटा जिससे कुछ व्यक्तियों को चोटें आयीं। केवल एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ था और कोई अस्पताल में नहीं है। ग्राम से कोई हरिजन न तो निकाला गया है और न कोई भगा हुआ है।

*१८—श्री रघुवीरराम—

क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह—

६-६-१९६५ को ही थाना मुहम्मदाबाद पर इस संबंध में लिखाई गई रिपोर्ट धारा १४७/३२३ भा० दं० विधान के अन्तर्गत अंकित की गयी। पुलिस ने मामले में जांच नहीं की। हरिजनों ने न्यायालय में इस घटना के बारे में एक इस्तगासा दायर किया था किन्तु बाद में दोनों पार्टियों ने आपस में सुलह करके सुलहनामा न्यायालय में दाखिल कर दिया। अब दोनों पार्टियां शांति पूर्वक रह रही हैं।

फर्रुखाबाद का बम विस्फोट

*१९—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २२ मार्च, सन् १९६४ को फर्रुखाबाद शहर में जो बम विस्फोट हुआ था जिसकी जांच हो रही थी उस सम्बन्ध में क्या हुआ और किस व्यक्ति के घर में विस्फोट हुआ था?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह विस्फोट श्री राम भरोसे, पुत्र विशुन दयाल बढ़ई, मो० मक्का पुल, फर्रुखाबाद के घर में हुआ था जिसकी जांच समाप्त कर तीन अभियुक्तों के विरुद्ध चालान अदालत कर दिया है। मामला अदालत के विचाराधीन है।

कोतवाली फतेहगढ़ में दुलारे की रिपोर्ट

*२०—श्री अदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १० नवम्बर, १९६४ को दुलारे, पुत्र चुन्नी, निवासी कन्तला, थाना कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद को याकूतगंज के पास कुछ लोगों ने लाठी और बल्लम से बुरी तरह से मारा और मार से कई हड्डियां टूट गयीं थीं, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली फतेहगढ़ में उसी दिन हो गई थी? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, दिनांक ११-१०-६४ को याकूतगंज के पास दुलारे निवासी कन्तला, थाना कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद को चार आदमियों ने लाठियों से मारा था। इस घटना की रिपोर्ट कोतवाली फतेहगढ़ में धारा ३२३ भा० द० विधान के अन्तर्गत उसी दिन हुई थी। उसकी एक अंगुली में २ साधारण फ्रैक्चर हुए थे। पुलिस द्वारा इस मामले में विवेचना नहीं की गई।

थाना बड़ागांव में श्री सोमारू का पीटा जाना

*२१—श्री अदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख ४ जुलाई, १९६५ को रात में गांव बैरामपुर, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी के श्री सोमारू के घर सशस्त्र डकैती ने डाका डाला तथा सोमारू व उनके पुत्र श्री शीतला प्रसाद को बुरी तरह से मार कर घायल कर दिया है जिसके कारण उन लोगों को शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी में भर्ती कराया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और अब तक कितने डकैत गिरफ्तार किये गये हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

३/४ जुलाई, १९६५ की रात्रि में ग्राम बैरामपुर, थाना बड़ागांव, वाराणसी में श्री सोमारू के घर कोई डकैती नहीं पड़ी बल्कि रंजिश वश मारपीट हुई, जिसमें श्री सोमारू और उनके लड़के को चोटें आई थीं और उपचार के लिये शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल वाराणसी में भरती करा दिया गया था।

इस घटना की रिपोर्ट श्री सोमारू के लड़के श्री शीतला प्रसाद ने थाने में दर्ज कराई जिस पर एक मुकदमा धारा १४७/१४८/३२३/३२४ भा० दं० विधान के अन्तर्गत कायम कर जांच की जा रही है। कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ।

न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण

*२२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के ४थे गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न ११ नत्थी (घ) के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिले में न्याय विभाग और शासन विभाग अलहदा-अलहदा हो गया है वहां के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, जिला जजेज हाईकोर्ट के अधीन कब तक कर दिये जावेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

निश्चित अवधि बताना अभी सम्भव नहीं है।

मेरठ जिले में क्रशर लगाने के लिए ऋण

*२३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी —

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि मेरठ जिले में ऐसे कौन-कौन लोग हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में क्रशर लगाने के लिये ६,००० रु० से अधिक धन सरकार से कर्ज लिया, परन्तु १९६४ के अन्त तक क्रशर लगाने नहीं पाये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसे चार व्यक्ति हैं—(१) श्री आनन्द प्रकाश, (२) श्री मंगल सिंह, (३) श्री नंद किशोर शर्मा तथा (४) श्री बलबीर सिंह ।

*२४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त ऐसे व्यापारियों के क्या नाम हैं जिन्होंने अभी भी क्रशर नहीं चलाया तथा और सम्बन्धित व्यक्तियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त चारों व्यक्तियों ने अभी तक क्रशर नहीं चलाया । सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सम्पूर्ण धन की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

मूल्यांकन सलाहकार परिषद्

*२५—श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनकी अध्यक्षता में इस प्रदेश में कोई योजना मूल्यांकन समिति की स्थापना की बनाई गई है ? यदि हां ,तो उसका संगठन और उद्देश्य क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । इस प्रादेशिक मूल्यांकन सलाहकार परिषद् का संगठन तथा उद्देश्य संलग्नपरिशिष्ट में दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १००० पर)

*२६—श्री कृष्णानन्दराय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की नवनिर्मित योजना मूल्यांकन समिति प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन अपने हाथ में लेगी ? और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी कार्य आरम्भ हुआ है या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मूल्यांकन सलाहकार परिषद् तीसरी योजना का मूल्यांकन नहीं करेगी, परन्तु परिषद् के उद्देश्यों के अनुसार कुछ कार्यक्रम मूल्यांकन के लिये लिये जाएगें जिनमें तीसरी योजना-काल और उस से पहले लिये गये कार्यक्रम भी शामिल होंगे । परिषद् के सदस्यों को नामजद कर दिया गया है । श्री अशोक मेहता ने २६–८–१९६५ को इस संस्था का उद्घाटन किया है । अभी चालू वर्ष का कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

*२७—श्री कृष्णानन्दराय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि योजना मूल्यांकन समिति को यह भी अधिकार होगा कि मूल्यांकन के समय यह भी जांच करे कि किसी योजना के लक्ष्य पूरा न होने की जिम्मेदारी किस पर है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मूल्यांकन परिषद् की रिपोर्टों में कार्यक्रम की सफलता तथा असफलता के कारण इत्यादि दिये रहेंगे और यह भी सिफारिश होगी कि कार्य को और अधिक अच्छा कैसे बनाया जाय। असफलता या कमी के लिये किसकी जिम्मेदारी है। यह सरकार तय करेगी, मूल्यांकन परिषद् नहीं।

हैण्डीक्राफ्टस शो रूम, हजरतगंज को क्षति

*२८—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बतायेंगे कि दिनांक १८ अगस्त, १९५८ को उस समय के असिस्टेंट मैनेजर (सेल्स), हजरतगंज शो रूम ने स्पेशल मैनेजर गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स, लखनऊ को इस आशय का कोई पत्र लिखा था कि शो रूम के बिजली के तारों को बदलवा दिया जाय क्योंकि इससे आग लग जाने का खतरा है? यदि हां, तो स्पेशल मैनेजर ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की थी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*२९—श्री बसन्तसिंह—

क्या यह भी सत्य है कि इस पत्र के बाद उक्त हजरतगंज शो रूम में आग लग गई थी और उसमें १५,४०१ रु० ४५ पैसे के मूल्य के सामान का नुकसान एवं क्षति हुई थी? यदि हां, तो यह रुपया अब तक स्पेशल मैनेजर की तनख्वाह से क्यों नहीं वसूल किया गया जब कि उसी शो रूम में चोरी माल की क्षति शो रूम के कर्मचारियों से वसूल किया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जैसा ऊपर कहा गया, पत्र तो नहीं मिला लेकिन आग १६-८-५८ को बिजली के तार से लग गई। इसमें रु० ६,७६६, ३१ पैसे का माल बिलकुल जल गया और रु० ८६३५.१४ पैसे के माल को नुकसान हुआ। क्योंकि स्पेशल मैनेजर के किसी दोष से आग नहीं लगी। अतएव उनसे क्षति पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में औद्योगिक योजनायें

*३०—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

प्रश्नकर्त्ता के पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३, दिनांक २५ मार्च, सन् १९६५ के उत्तर के संबंध में क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन प्रस्तावित योजनाओं में से जिनकी सूची उत्तर में दी गई है कौन-कौन सी योजनायें और कहां-कहां कार्यान्वित की जा रही हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह योजना आजमगढ़ जनपद में निम्न स्थानों पर लागू की गई है:—

१—ऋण व अनुदान योजना—

यह योजना सम्पूर्ण जनपद के लिये है और गतवर्ष में जनपद में २ लाख दस हजार रुपये की धनराशि विभिन्न उद्योगों के विकासार्थ ऋण रूप वितरित की गई है।

२—रेशम की रंगाई और छपाई—

अभी तक निजी क्षेत्र में रंगाई व छपाई का कोई कारखाना चालू नहीं हो पाया है।

३—प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना—

इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष ४६ व्यक्तियों को एडवांस प्रशिक्षण दिया गया है—

अ—कारपेन्टरी व स्मिथी	..	..	१३
ब—फिटर-कम-मैकेनिक	..	..	१२
स—मोल्डिंग-कम-मशीनिस्ट	..	..	११
द—लेदर ..	..	..	१०
योग	..		४६

प्रशिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने के लिये ५५,०२२.५४ रुपये की मशीनें तथा यन्त्र खरीदे गये जिनके इन्सटालेशन का आयोजन किया जा रहा है।

४—मऊ क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान योजना—

इस योजना में मऊ क्षेत्र में एक औद्योगिक आस्थान बनाने की योजना है जिसके लिये लगभग ३० एकड़ भूमि एक्वायर करने के विषय में नोटिफिकेशन हो गया है।

५—हस्तकर्घा योजना—

हस्त कर्घा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देने की योजना जनपद की सभी सहकारी समितियों के लिये है। समितियों से आवेदन-पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। गत वर्ष धन वितरित नहीं हो सका क्योंकि उद्योग निदेशालय द्वारा कतिपय कठिनाइयों के कारण धन ३१ मार्च, १९६५ को निकाला (ड्रा किया) गया।

६—पाइलट वर्कशाप योजना—

पाइलट वर्कशाप, आजमगढ़ की प्रशिक्षण क्षमता ४५ से बढ़ाकर ७० कर दी गई है। वर्कशाप में प्रशिक्षण हेतु समस्त जनपद के इच्छुक व्यक्तियों का योग्यता के आधार पर चुनाव होता है।

७—बहुधंधी यांत्रिक कारखाना की योजना—

इस योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ में एक केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। इस वर्ष भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

८—विभिन्न सहायता—

बिक्री कर व चुंगी में अभी कोई छूट नहीं दी गई है। ब्याज की दर भी कम नहीं की गई है। कुछ कच्चे माल की आपूर्ति में कुछ प्राथमिकता दी गई है और जनपद की इकाइयों को कच्चा लोहा और लेड मिला है। अभी हाल ही में बी० पी० शीट्स कटिंग का भी एलाटमेंट आया है।

*३१—श्री बृजबिहारी—

उक्त प्रश्न के उत्तर के संबंध में क्या सरकार अतरौलिया क्षेत्र की उन इकाइयों का नाम बतलाने की कृपा करेगी जिन्हें ढाई हजार के ऋण दिये गये हैं और साथ ही सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उन इकाइयों ने अपना कार्य भी आरम्भ कर दिया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गत वर्ष अतरौलिया क्षेत्र में श्री अनोखे लाल, स्वर्णकार और घोसी क्षेत्र में श्री प्रभु नाथ, बड़ागांव, घोसी प्रत्येक को ढाई हजार रुपये का ऋण दिया गया था। इन दोनों में से किसी ने भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। श्री अनोखे लाल को ऋण ३०-१-६५ को दिया गया और श्री प्रभुनाथ को २३-१०-६४ को दिया गया। ऋण प्रयोग के लिये एक वर्ष का समय नियमानुसार दिया जाता है। इन व्यक्तियों के संबंध में एक साल अभी परा नहीं हुआ है।

श्री राम स्वर्णकार, अतरौलिया को भी २५०० रु० का ऋण स्वीकृत हुआ था, किन्तु इन्होंने अपने कागजात पूरे नहीं किये और इस कारण ऋण का वितरण नहीं हुआ।

*३२—श्री ब्रज बिहारी मिश्र—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त उत्तर के आइटम नं० ५ में दी हुई धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हस्तकर्घा उद्योग के विकास के लिये आर्थिक सहायता जनपद की सहकारी समितियों के माध्यम से बुनकारों को दी जायगी।

*३३-३४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[स्थानान्तरित किये गये।]

लखनऊ में कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पुलिस का पहरा

*३५—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर (Arm Police) आर्म पुलिस का पहरा लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सूचना प्राप्त होने पर कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, लखनऊ के कार्यालय में रखे अधिक धन के कारण वहां अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका है, दिनांक १६-७-६५ की शाम से १८-७-६५ की रात्रि तक उक्त कार्यालय पर सशस्त्र पुलिस का पहरा लगाया गया था।

*३६—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में दिनांक १७ जुलाई, १९६५ को झगड़ा हुआ था जिसकी सूचना टेलीफोन द्वारा तथा लिखित पुलिस थाने पर की गई है ? यदि हां, तो वह सूचना क्या थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १७-७-६५ का प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी लखनऊ के कार्यालय से झगड़ा होने की कोई सूचना मौखिक अथवा लिखित कैसरबाग कोतवाली पर नहीं प्राप्त हुई।

गंगा विकास परिषद्, मुण्डेरवा के अन्तर्गत पुल ध्वस्त होना

*३७—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जिला बस्ती में मुंडरेवा से सेमरियावां जाने वाली सड़क पर कठिनाइयां नदी के ऊपर जिलाधिकारियों की देख-रेख में नवम्बर, सन् १९६३ में एक बड़ा पुल बना है ? यदि हां, तो कितने हजार रुपये की लागत से वह पुल तैयार हुआ ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। परन्तु उस पुल का गन्ना विकास परिषद्, मुण्डेरवा, जिला बस्ती की देख-रेख में जून, सन् १९६० में न कि नवम्बर, सन् ६३ में निर्माण हुआ था। उसकी लागत १६,५३६ रु० थी।

*३८—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार को मालूम है कि जुलाई, १९६४ में वह पुल ध्वस्त हो गया है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। परन्तु जुलाई, सन् ६४ में नहीं वरन् सितम्बर, सन् ६४ की बाढ़ के कारण पुल ध्वस्त हो गया था।

*३९—श्री श्यामलाल—

इस संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई?

डाक्टर सीताराम—

इस संबंध में जांच हो रही है। तत्पश्चात् उचित कार्यवाही की जायगी।

बलरामपुर तथा गोंडा में बन्दूक एवं राइफल का नीलाम

*४०—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर तथा गोंडा नगर से सुरक्षा कोष में चीन के आक्रमण के समय बन्दूक एवं राइफल जो प्राप्त हुई थीं वह कितने में किस के हाथ नीलाम की गईं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बलरामपुर तथा गोंडा नगर में सुरक्षा कोष में एक राइफल तथा एक बन्दूक प्राप्त हुई थी जो क्रमशः सर्व श्री राम नाथ एवं अब्दुल रहीम को १६५ रु० तथा १५१ रु० में नीलाम की गई।

बस्ती जिले को उद्योग ऋण

*४१—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में उद्योग विभाग द्वारा १ जनवरी, १९६४ से आज तक उद्योग के लिये कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई और उसमें कितना रुपया उद्योग के प्रयोग में व्यय किया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उद्योग हेतु कुल २,७५,००० रु० की धनराशि ऋण के रूप में दी गई। उसमें से अब तक ३९,००० रु० का उपयोग किया जा चुका है।

*४२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

[हटा दिया गया।]

*४३—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

[२२ सितम्बर, १९६५ को उत्तर दिया गया।]

गोरखपुर जिले में लेहड़ा की भूमि

*४४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के लेहड़ा नाम स्थान का जहां पर अंग्रेजों के समय गोरखा भरती किये जाते थे तथा अब वह जमीन तथा बंगला खाली पड़ा है उसे किसी कार्य में लेने की योजना पर विचार कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या वह जमीन किसानों को वापस की जायगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

लेहड़ा नामक स्थान की भूमि तथा बंगला भारत सरकार के सुरक्षा मंत्रालय के अधिकार में हैं। जिस योजना के लिये यह भूमि भारत सरकार ने ली थी उसे कार्यान्वित करने का विचार अब उनका है अथवा नहीं, इसकी सूचना राज्य सरकार को नहीं है। योजना कार्यान्वित न होने की दशा में जमीन किसानों को वापस करने के संबंध में भारत सरकार ही विचार कर सकती है।

गोरखपुर जिले में अपराध

*४५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के पुरन्दरपुर कम्पियरगंज, फरेन्दा (आनन्द नगर) नईकोट थानों में ३० दिसम्बर, सन् १९६४ से १५ जुलाई, सन् १९६५ तक कितनी चोरी डकैती, कत्ल, राहजनी तथा लूटमार की घटनाएं घटित हुई हैं और उनमें कितने मुल्जिम पकड़े गये तथा उनमें से कितने को सजा मिली तथा कितने छूट गये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गोरखपुर जिले के बेपुरन्दरपुर, कम्पियरगंज, फरेन्दा तथा नई कोट थानों में ३०-१२-६४ से १५-७-६५ तक की अवधि में हुई चोरी, डकैती, कत्ल तथा राहजनी व लूटमार की घटनाओं का विवरण संलग्न नक्शे में दिया हुआ है।

(देखिये अनुलग्नक 'छ' आगे पृष्ठ १००१ पर)

*४६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[स्थानान्तरित किया गया।]

स्वर्णकारों को उद्योग ऋण

*४७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या यह सत्य है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो विस्थापित स्वर्णकार सरकार द्वारा उद्योग के लिये कर्ज प्राप्त कर लेते हैं कुछ समय बाद उनका व्यावसायिक प्रमाण-पत्र जब्त हो जाता है? यदि हां, तो पूरी व्यवस्था क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। जो विस्थापित स्वर्णकार पुनर्वासन के लिये सरकार से किसी उद्योग अथवा किसी अन्य व्यवसाय के लिये पत्र प्राप्त कर लेते हैं उन्हें अपना व्यावसायिक प्रमाण-पत्र तीन माह पश्चात् समर्पित करना पड़ता है। भारत सुरक्षा नियमों के नियम १२६ एच०एच० के अन्तर्गत प्राप्त व्यवसायिक प्रमाण पत्र पुनर्वासन सहायता प्राप्त करने के तीन माह बाद रद्द हो जाता है। यह प्रतिबन्ध भारत सरकार के आदेशानुसार लगाया गया है।

*४८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि तीन माह में कोई भी व्यक्ति नवीन व्यवसाय ठीक नहीं चला सकता तो क्या सरकार उक्त प्रश्न में उल्लिखित उक्त नियम रद्द करने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

पुनर्वासन सहायता प्राप्त स्वर्णकारों द्वारा व्यवसायिक प्रमाण-पत्र को तीन माह पश्चात् समर्पित करने के नियम को रद्द करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह नियम भारत सरकार के आदेशानुसार लगाया गया है और देश के अन्य सभी प्रान्तों में प्रचलित है।

*४९-५०--श्री दयाराम शाक्य--

[हटा दिये गये।]

गोंडा जिले में बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेंस

*५१--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि अप्रैल, १९६२ से जुलाई, १९६५ तक जिला गोंडा में किन-किन लोगों को बन्दूक और रिवाल्वर (पिस्टल) के लाइसेंस दिये गये? उनके नाम व पते क्या हैं?

*५२--उपर्युक्त अवधि में कौन-कौन लोग ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गयीं और उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया? उनके नाम और पते क्या-क्या हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--

५१ और ५२ प्रश्नों में मांगी गई सूचना बहुत विस्तृत है जिसको एकत्र करने में जो समय श्रम और व्यय होगा वह प्रश्नों की उपयोगिता को देखते हुए बहुत अधिक होगा।

*५३--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या यह सही है कि अप्रैल, १९६२ से जुलाई, ६५ तक जिला गोंडा के ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दिये गये हैं जिनके नाम पुलिस के रजिस्टर में हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज हैं? यदि हां, तो ऐसे लोगों को लाइसेंस के लिये जिन अधिकारियों ने स्वीकृति दी सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह--

गोंडा जिले में अप्रैल, सन् १९६२ से जुलाई, सन् १९६५ तक किसी भी हिस्ट्रीशीटर को असलहा का लाइसेंस नहीं दिया गया है।

मथुरा जिले में अपराध

*५४--श्री लखीसिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६५ से १० जुलाई, १९६५ तक मथुरा जिले में कितनी चोरी, कत्ल, डकैती, राहजनी और कितने मवेशियों की चोरी हुई? क्या यह सत्य है कि मई, सन् ६५ से १९ जुलाई, १९६५ तक थाना छाता तथा थाना कोसी में तार काटे गये हैं? यदि हां, तो उन तारों की क्या कीमत है और पुलिस ने इन केसों में कितनी गिरफ्तारियां की हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--

१-१-६५ से १०-७-६५ तक मथुरा जिले में हुए अपराधों की संख्या इस प्रकार है:

१--चोरी (जिसमें नकबजनी और तार की चोरी के मामलों की संख्या भी शामिल हैं)	५४८
२--कत्ल	१७
३--डकैती	९

४--राहजनी ६
५--मवेशी चोरी (यह संख्या चोरी की संख्या में भी शामिल है) ३६

१ मई, ६५ से १० जुलाई तक थाना छाता के अन्तर्गत तार काटने की २ घटनायें हुईं, इनमें चोरी गये तार की कीमत लगभग ९०३ रु० ४८ पै० है। दोनों मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोसी थाने में इस अवधि में कोई तार काटने की घटना नहीं हुई।

सूचना विभाग के कर्मचारी का कार्यकाल बढ़ाना

*५५--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग में कितने ऐसे अधिकारी कार्य कर रहे हैं जिनकी सेवायें अन्य प्रांतों से प्राप्त की गई हैं और उनमें से प्रत्येक की सेवायें कम कब और कितने समय के लिए प्राप्त की गई थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जनवरी, १९५७ में एक कर्मचारी की सेवायें एक वर्ष के लिए प्राप्त की गई थीं।

*५६--श्री भीखालाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिकारियों में से कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और वह कब कब और कितने कितने समय के लिये और किन-किन कारणों से बढ़ाया गया ? क्या यह भी सही है कि संबंधित प्रांतों की सरकारें उक्त अधिकारियों को वापस भेजने के लिये बराबर आग्रह कर रही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त एक कर्मचारी का कार्यकाल नौ बार माह से एक वर्ष की अवधि के लिए समय-समय पर बढ़ाया गया। कर्मचारी की कार्य-कुशलता तथा विभाग के लिये उसकी उपयोगिता के कारण कार्यकाल बढ़ाया गया। संबंधित प्रदेश सरकार द्वारा इस कर्मचारी को वापस करने का कोई आग्रह नहीं किया गया।

*५७--श्री भीखालाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिकारियों में से कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनकी चरित्र पंजिका में निदेशक द्वारा राजनैतिक दबाव डालने के इन्दराज किये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

चरित्र-पंजिका के इन्दराज गोपनीय होते हैं, अतः जनहित में उत्तर देना ठीक नहीं प्रतीत होता।

देवरिया जिले के थाना कोतवाली में हरी की गोली से मृत्यु

*५८--श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री कृष्णा (जिला देवरिया) तथा श्री उग्रसेन--

क्या गृह मंत्री देवरिया जिले के थाना कोतवाली के ग्राम करौंदी में जो पी०ए०सी० पुलिस द्वारा १९/२० जुलाई, १९६५ की रात्रि को गोली चलाई गई तथा जिसमें हरी को गोली लगी जो रास्ते में मरा तथा दूसरा व्यक्ति रामलोचन शाही अभी घायल अस्पताल में है, के घटना के संबंध में एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे तथा अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए और अब क्या जांच संबंधी कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोबिन्दसिंह--

वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १००२ पर)

पटेल आयोग की सिफारिशें गोरखपुर जिले में लागू करने की प्रार्थना

*५९—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पटेल जांच आयोग की सिफारिशें आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर और जौनपुर के अतिरिक्त अन्य किन-किन जिलों में लागू करने का निश्चय हुआ है और उसमें गोरखपुर है या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पटेल जांच आयोग की सिफारिशें तो केवल आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर और जौनपुर के लिये है । यह निश्चय किया गया है कि बलिया और बस्ती में भी तीव्र विकास का कार्यक्रम इस वर्ष आरम्भ कर दिया जाये । तीव्र विकास कार्य-क्रम गोरखपुर में इस वर्ष से नहीं लिया जा रहा है ।

*६०—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पटेल जांच आयोग की सिफारिशों को गोरखपुर में न लागू करने का क्या कारण है और उन सिफारिशों को गोरखपुर में कब तक लागू किया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पटेल जांच आयोग ने गोरखपुर के विकास की कोई सिफारिशें नहीं की । इस कारण आयोग की सिफारिशें गोरखपुर में नहीं लागू की जा सकतीं । तीव्र विकास के लिए भारत सरकार धन देती है और जब तक वह धन न दें तब तक गोरखपुर में ऐसा कार्य-क्रम आरम्भ नहीं किया जा सकता ।

गोला चीनी मिल में अग्नि दुर्घटना

*६१—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनके पास ऐसी कोई सूचना है कि गत २० जून, सन् १९६५ को हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि० गोला गोकर्णनाथ, जिला खीरी के अहाते के अन्दर लोहे के खंभों द्वारा (रुधी) घिरी हुई लाइनों के अन्दर मिल कर्मचारियों की उदासीनता के कारण अग्निकांड की दर्दनाक दुर्घटना हो गई, जिससे अनेक बैलगाड़ियां और पशु जल कर राख हो गये ? यदि हां, तो इनसे अनुमानित कितनी क्षति संबंधित किसानों को हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्राप्त सूचनानुसार निर्दिष्ट तारीख को गोला चीनी मिल के यार्ड में किसी काश्तकार द्वारा जलती हुई बीड़ी के टुकड़े सूखी पत्तियों के कूड़े पर डाल दिये जाने से अग्नि की दुर्घटना हो गई, जिसमें दो भैंसे तथा एक गाड़ी के जल कर नष्ट होने तथा अन्य चार गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचने के फलस्वरूप लगभग रुपये २,६००.०० की अनुमानित क्षति संबंधित किसानों को हुई । उक्त मिल तथा गोला गन्ना विकास समिति ने पीड़ित किसानों को जो सहायता दी उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १००३ पर)

खीरी जिले में गन्ना क्रय

*६२—श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १९६४–६५ गन्ना पिराई वर्ष में केन यूनियन्स गोला गोकर्णनाथ, पलिया–मोरा खीरी, जिला खीरी से बाहर किन-किन चीनी मिलों ने अलग-अलग कितना और कितने मूल्य का गन्ना खरीदा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

निर्दिष्ट सीजन में गन्ना समिति गोला तथा पलिया मीरा, जिला खीरी से बाहर की जिन चीनी मिलों ने जितने मूल्य का गन्ना खरीदा उसका विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १००४ पर)

*६३--श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटसिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि कि उक्त कथित गन्ना पूर्ति का भुगतान अलग-अलग मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को कर दिया गया है या नहीं ? यदि हां, तो कितना कुल धन अलग अलग मिलों पर शेष है, और उसका भुगतान कब तक होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त गन्ना पूर्ति के मूल्य का बकाया जो संबंधित मिलों द्वारा भुगतान किया जाना शेष है और उसकी जो स्थिति २७-८-६५ को थी उसका विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया हुआ है। गन्ना आयुक्त ने इस बकाया रकम की वसूली के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १००४ पर)

रामानन्द बालिका विद्यालय, फर्रुखाबाद

*६४--श्री हीरीलाल यादव--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके फर्रुखाबाद जाने पर उन्होंने ६ अप्रैल, सन् ६४ को रामानन्द बालिका विद्यालय, फर्रुखाबाद को ५ हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सीताराम--

मांग के उत्तर में यह सुझाव दिया गया था कि प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर समुचित संस्तुति के साथ शिक्षा विभाग को भेज दिया जायगा।

हरिजन छात्रों को पुस्तकीय सहायता

*६५--श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन छात्रों को जो पुस्तकीय सहायता या पुस्तकें दी जाती हैं वह इस समय दे दी गई है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? यदि दी जायेंगी, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम--

सरकार द्वारा धन की स्वीकृति वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही दे दी जाती है। किसी शिक्षा संस्था अथवा विद्यार्थी से शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः आशा है कि पुस्तकीय सहायता अथवा पुस्तकें दे दी गई होंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

*६६--श्री भगवानदीन--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि हरिजन छात्रों को जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है वह समयानुसार नहीं प्रदान की जाती है, उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम--

छात्रवृत्तियों का वितरण तीन स्तरों पर किया जाता है--(१) प्राथमिक स्तर; (२) जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल स्तर; (३) दशमोत्तर स्तर। अलग-अलग स्तर पर देर होने के अलग-अलग कारण होते हैं। कुछ सामान्य कारण नीचे दिये हुए हैं--

(क) प्राथमिक स्तर--

जिला परिषद् तथा नगरपालिकाओं द्वारा समय से वितरण न करना।

(ख) जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल स्तर---

१--जिला हरिजन सहायक समिति की शिक्षा उप-समिति की बैठक समय से न होना।

२--शिक्षा संस्थाओं द्वारा समय से बिल न बनाना तथा खजाने से देर से रुपया निकालना।

(ग) दशमोत्तर स्तर--

शिक्षा संस्थाओं द्वारा समय से बिल न बनाना तथा कुछ संस्थाओं द्वारा खजाने से रुपया निकालकर निजी खाते में डाल कर देर से भुगतान करना।

गांव चौकीदार का वेतन

*६७--श्री भगवानदीन तथा श्री शिवचरण (जिला आगरा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसका ध्यान उन राजकीय चौकीदारों की ओर गया है, जो पुलिस के साथ बराबर काम करते और उनको केवल ५ रुपये दिया जाता है? उनको अब महंगाई भत्ता कितना दिया जावेगा?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां। गांव चौकीदार अंशकालिक सरकारी कर्मचारी हैं अतः उनको कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। गांव चौकीदारों के वेतन आदि का मामला शासन के विचाराधीन है।

*६८-श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)--

[स्थानान्तरित किया गया।]

थाना पश्चिम शरीरा में चोरी किये गये मवेशियों की बरामदगी

*६९--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग जिले की तहसील मंझनपुर के थाना पश्चिम शरीरा में दिनांक २२ जुलाई, १९६५ में इस आशय की कोई सूचना मिली कि ग्राम सेसा में कुछ लोग लगभग ३५ व ४० भैंस जमुना पार से चुरा कर ले आये जिनका कि वध करने की योजना है? यदि हां, तो क्या पुलिस घटनास्थल पर गई और जो लोग पकड़ कर लाये थे उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हरगोविन्दसिंह--

२२-७-६५ को थाना पश्चिम शरीरा, जिला इलाहाबाद के थानाध्यक्ष को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुलामीपुर की तरफ कुछ लोग चोरी के जानवर लिये जा रहे हैं। थानाध्यक्ष पुलिस के कुछ कर्मचारियों और जनता के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साक्षी रूप में लेकर रवाना हुए और जांच पड़ताल और तलाश के बाद उन्होंने महावा गांव के निकट नहर के पुल के पास ५ व्यक्तियों को ९ भैंस, ३ पड़िया, एक बैल, एक गाय, एक बछिया व एक घोड़ा ले जाते पकड़ा। यह कहना संभव नहीं है कि अभियक्तगण की मंशा मवेशियों का वध करने की थी अथवा नहीं।

जांच से ज्ञात हुआ कि बरामद हुए कुछ मवेशियों के मालिक थाना पहाड़ी, जिला बांदा के रहने वाले हैं। जिन्होंने थाना पहाड़ी पर मवेशियों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अतः संबंधित कागजात आवश्यक कार्यवाही के लिये बांदा जिले को भेज दिये गये। बांदा जिले की पुलिस ने आवश्यक जांच के उपरान्त अपराधियों का चालान धारा ३७९/४११ भा० द० विधान के अन्तर्गत कर दिया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

तरबगंज तहसील में माताप्रसाद व रामरूप की गिरफ्तारी

*७०--श्री बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार को पता है कि दिनांक २६ जुलाई, १९६५ को पीपुरख्याला, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में नायब तहसीलदार तथा कुर्क अमीन आदि ने माता प्रसाद को लाठी-डंडों से मारा और नायब तहसीलदार ने एक व्यक्ति को पिस्तौल से मारा और माता प्रसाद को जेल में बन्द कर दिया? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वास्तविक घटना एवं मामले में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १००५ पर)

*७१--श्री बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेव प्रसाद--

क्या सरकार उक्त घटना की जांच किसी अन्य जिले के अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा जांच हो रही है। किसी अन्य जिले के अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

पन्नीजी शुगर मिल्स, बुलन्दशहर पर बकाया

*७२--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री दयाराम शाक्य तथा श्री रामचरण शाह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पन्नीजी शुगर मिल, बुलन्दशहर पर कितना सरकार का कर्जा है और काश्तकार का रुपया १९६० से आज तक कितना बाकी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

३१ जुलाई, १९६५ को पन्नी जी शुगर मिल्स, बुलन्दशहर पर गन्ना क्रय कर की मद के अन्तर्गत कुल रुपये १८.८० लाख रुपया बकाया था और काश्तकारों के गन्ने की कीमत के तौर पर वर्ष १९५९-६० से वर्ष १९६४-६५ (३१-७-६५ तक) कुल रुपये ५.०१ लाख बकाया था।

*७३---श्री हिम्मतसिंह, श्री दयाराम शाक्य तथा श्री रामचरण शाह--

[स्थानान्तरित किया गया।]

*७४--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री नाथूराम शिक्षक--

[हटा दिया गया]

पी० सी० एस० अधिकारी का रिटायरमेन्ट

*७५--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा), श्री रामसिंह तथा श्री काशीनाथबहादुर पाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने पी० सी० एस० अफसरों को १ जनवरी, १९६५ से अब तक जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया गया है ? यदि हां, तो किस कारण से ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

एक पी० सी० एस० अधिकारी को जनहित में रिटायर किया गया है।

*७६--श्री चिरंजीलाल जाटव , श्री रामसिंह, तथा श्री काशीनाथबहादुर पाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट ने यह रूलिंग दे दी है कि जबरदस्ती रिटायर करना अवैध है ? यदि हां, तो हाई कोर्ट की इस घोषणा के बाद कितने पी० सी० एस० अफसरों को रिटायरमेंट हुआ है ? यदि हां, तो हाई कोर्ट की आज्ञा की क्यों अवहेलना की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऐसी सूचना नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*७७--श्री चिरंजीलाल जाटव, श्री रामसिंह तथा श्री काशीनाथ बहादुर पाल--

क्या सरकार तुरन्त ही जबरदस्ती रिटायरमेंट देने वाले पी० सी० एस० अफसरों को वापस ले रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न नहीं उठता ।

अपराधशील एवं पासी खेतिहर मजदूर सम्मेलन के प्रस्ताव

*७८--श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर नामक स्थान में दिनांक ३० मई, सन् १९६५ ई० को उत्तर प्रदेशीय भूतपूर्व अपराधशील जाति सेवक संघ के तत्वावधान में फैजाबाद कमिश्नरी भूतपूर्व अपराधशील एवं पासी खेतिहर मजदूर नवयुवक तथा कार्यकर्त्ता सम्मेलन जिसका उद्घाटन श्री गेंदासिंह, कृषि मन्त्री ने किया उसमें ७ प्रस्ताव पारित कर के जून, सन् १९६५ ई० को माननीय मुख्य मंत्री , समाज कल्याण मंत्री, श्रीमती तारा अग्रवाल, सभा सचिव हरिजन कल्याण तथा संचालक महोदय, हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां।

*७९--श्रीमती गेंदादेवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सम्मेलन में ७ पारित प्रस्तावों द्वारा सरकार से क्या मांग किया गया है ?

डाक्टर सीताराम--

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १००६ पर)

*८०—श्रीमती गेंदादेवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सम्मेलन के ७ प्रेषित प्रस्तावों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १००६ पर)

चचाईराम मठ की सम्पत्ति की सुरक्षा

*८१—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला के बांसगांव तहसील के थाना सिकरीगंज के चचाईराम मठ के मठाधीश मर गये और उनके मठ पर परगनाधीश बांसगांव के आदेश से पुलिस ने ताला लगा रखा है ? यदि हां, तो क्या मठ के गुप्त धन का, जो लाखों की है, कोई विवरण तैयार किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो ताला के अन्दर के धन की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चचाईराम मठ के महन्त का स्वर्गवास हो चुका है। परगनाधीश की आज्ञा से मठ पर ताला नहीं लगाया गया बल्कि थाना सिकरीगंज की पुलिस को ग्राम चचाईराम के सभापति की एक इस आशय की दरख्वास्त प्राप्त हुई कि महन्त का कोई वारिस नहीं है अतः उनके अन्तिम संस्कार एवं उनकी संपूर्ण सम्पत्ति की समुचित व्यवस्था एवं संरक्षण हेतु कार्यवाही की जाय। अतएव पुलिस द्वारा मठ के सदर फाटक तथा अन्य दरवाजों पर ताला बन्द कर के मोहर लगाई गई। महन्त के मकान के अन्दर रखे माल का कोई विवरण नहीं तैयार किया गया। मवेशी आदि का विवरण तैयार कर के सभापति और एक अन्य की सुपुर्दगी में दिया गया है। इस विवरण में ३००।०० नकद भी सम्मिलित है जो महन्त की चारपाई पर मिले थे। यह रुपये मवेशियों के प्रबंध के लिये लिये दे दिये गये हैं। मकान के अन्दर रखे माल की सुरक्षा के लिये दो सशस्त्र कान्सटेबुल तैनात किये गये हैं।

सहारनपुर जिले की चीनी मिलों से बकाया की वसूली

*८२—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर जिले की सभी चीनी मिलों का भुगतान करना बन्द कर के ३०–४० लाख से अधिक रुपया रोक लिया है ? यदि हां, तो भुगतान कराने के लिये कौन-सा उचित कदम उठाया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सहारनपुर जिले की चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य के बकाया की जो स्थिति १५–८–६५ को थी और इस बकाया रकम की वसूली के लिये जो कार्यवाही की गई उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १००७ पर)

सीतापुर थाना कोतवाली के अन्तर्गत हरिजनों को सताने की शिकायत

*८३—श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री रघुवीरराम—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर के थाना कोतवाली के ग्राम-टिकबापारा के कोडियों तथा अनुसूचित जाति के लोग उसी ग्राम के कुछ लोगों द्वारा बेहद सताये जाने

अपने माल मवेशी और बाल-बच्चों सहित हाकिम तहसील के यहां १२ अगस्त, १९६५ से आये पड़े हैं ? यदि हां, तो पुनः उसी ग्राम में बसाने और सताने वालों से निजात दिलाने की तत्काल क्या व्यवस्था की गई है ?

डाक्टर सीताराम--

यह ठीक नहीं है।

श्री गनेशीलाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा कुछ टिकवापारा गांव के हरिजनों सहित हाकिम तहसील से मिले और हिन्दू जाति के लोगों से हरिजनों को सताये जाने की शिकायत की। जिसके लिये हाकिम तहसील ने हरिजन लोगों से कहा कि इस बारे में वे अपना प्रार्थना-पत्र दें।

विष्ट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, किच्छा

*८४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ सितम्बर, सन् १९५७ को विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को भारत सरकार द्वारा किच्छा, जिला नैनीताल में शुगर फैक्टरी लगाने का लाइसेंस प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो फैक्ट्री में गन्ना पेरने का कार्य कब से आरम्भ हो जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

किच्छा, जिला नैनीताल में एक ज्वाइंट स्टाक चीनी मिल लगाने के लिये बिष्ट इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन को ८ मार्च, १९५६ में भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया था। विष्ट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन की तरफ से एक करोड़ रुपये के हिस्सों की व्यवस्था (under writing) हो गई है और इन्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया से १ करोड़ रुपये का ऋण भी स्वीकृत हो गया है। प्रयत्न किया जा रहा है कि फैक्टरी जितनी जल्दी हो सके चल जाय।

*८५--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कम्पनी को उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक की गारन्टी पर ४० लाख रुपया दिया था, जो अब सूद सहित लगभग ६० लाख रुपया हो गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, पंजाब नेशनल बैंक की गारंटी पर राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को ४० लाख रुपया ऋण के रूप में ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर दो किस्तों में दिया गया था जिस पर अभी तक लगभग १६ लाख रुपया ब्याज हुआ जो जुलाई, १९६६ से देय होगा।

*८६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त कम्पनी भंग हो गई और उसके स्थान पर ही दूसरी कम्पनी बनाई गई जिले प्रादेशिक और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न स्रोतों तथा गन्ना किसानों से कुल मिलाकर २ करोड़ से अधिक रुपया प्राप्त हुआ है और शुगर फैक्टरी नवम्बर, १९६५ से भी नहीं चलने वाली है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं, बिष्ट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन भंग नहीं हुई किन्तु ठाकुर दान सिंह बिष्ट की मृत्यु के कारण मैनेजिंग एजेंसी श्री डी० एस० बिष्ट एन्ड सन्स के स्थान पर बिष्ट एन्ड कोहली प्राइवेट लिमिटेड को दिये जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। कम्पनी मिल के शीघ्रातिशीघ्र चालू होने के लिये भरसक प्रयत्नशील है।

पुलिस कप्तान, श्री कृपालसिंह के विरुद्ध शिकायत

*८७—श्री रघुवीरराम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के साप्ताहिक पत्र "प्रजा मंडल" के प्रधान सम्पादक रामचन्द्र बाजपेयी और सह सम्पादक श्री नन्द किशोर शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र जो ४,५ या ६—८—६५ को गृह मंत्री को एक सी० नियर पुलिस कप्तान श्री कृपालसिंह के विरुद्ध दिया गया है और जिसमें उनके विरुद्ध बहुत आरोप लगाये गये हैं? यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये? और सरकार ने उन आरोपों के बारे में क्या कर्यवाही की है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

४, ५ या ६ अगस्त, १९६५ के ऐसे किसी पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

आर्ट्स कालेज, लखनऊ में आर्किटेक्चरल असिस्टेन्टशिप का कोर्स

*८८—श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी), श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) तथा श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स लखनऊ में आर्किटेक्चरल असिस्टेन्टशिप का जो त्रिवर्षीय कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसको केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का रिकाग्नीशन प्राप्त है?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

*८९—श्री बृजेश्वर सहाय, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री लखपतराम शर्मा तथा श्री गणेशचन्द्र काछी—

यदि प्राप्त नहीं है तो क्या सरकार इसे तुरन्त रिकाग्नाइज करके इसे गवर्मेन्ट पालिटेक्निक लखनऊ के "डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग" के समकक्ष घोषित करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*९०—श्री बृजेश्वर सहाय, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री लखपतराम शर्मा तथा श्री गणेशचन्द्र काछी—

जो विद्यार्थी इस कोर्स को पास करके निकलते हैं उनको अभी तक आर्किटेक्चर का डिप्लोमा मिलता है या सर्टिफिकेट मिलता है? और किसकी ओर से मिलता है?

डाक्टर सीताराम—

प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० लखनऊ द्वारा आर्कीटेक्चरल असिस्टेन्टशिप का डिप्लोमा दिया जाता है।

जिला मैजिस्ट्रेट, हरदोई

*९१—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या कृपया सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि हरदोई जिले में लगभग २ महीने से अधिक हो रहा है जब से जिलाधीश का ट्रांसफर हुआ, उनके स्थान पर किसी जिलाधीश की पोस्टिंग आज तक क्यों नहीं हुई? और कब तक होगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हरदोई के जिला मैजिस्ट्रेट १६ जून, १९६५ को अपनी जगह से हटे। जिन अधिकारी की तैनाती उनकी जगह हुई, वे छुट्टी पर चले गये। बाद में नये जिला मैजिस्ट्रेट ने ३ सितम्बर, १९६५ को अपना काम सम्भाल लिया है।

अयोध्या पुल दुर्घटना

*९२--श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार अयोध्या दुर्घटना कान्ड की जांच कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह बताने की कृपा करेगी की दुर्घटना के मुख्य कारण क्या थे तथा दुर्घटना के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जांच कमीशन द्वारा अभी अयोध्या पुल दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः इस संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है।

*९३--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)--

[स्थगित किया गया।]

*९४-९६--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

[२२ सितम्बर, १९६५ को उत्तर दिया जा चुका है।]

यू० पी० कौन्सिल आफ स्पोर्ट्स के डायरेक्टर श्री तेजस्वीप्रसाद भल्ला

*९७--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार विधान सभा उत्तर प्रदेश के द्वितीय सत्र १९६५ के प्रश्नकर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कौंसिल आफ स्पोर्ट्स के डाइरेक्टर के पास क्या प्रमाण है कि उन्होंने अपने स्कूल के जीवन में पहलवानों की तथा जिला-स्तर पर पुलिस की टीमों को पहलवानों का प्रशिक्षण दिया और उन टीमों में भाग लिया ? यदि ऐसा कोई प्रमाण है, तो उन्होंने किन-किन प्रसिद्ध पहलवानों को पछाड़ा या उनका मुकाबला किया और इनाम हासिल किये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जिन दिनों श्री तेजस्वी प्रसाद भल्ला, उत्तर प्रदेश खेल-कूद परिषद् लखनऊ के वर्तमान डायरेक्टर दंगल में दिलचस्पी लेते थे उन दिनों स्कूल व कालेजों में कुश्ती की प्रतियोगितायें नहीं होती थी जिसमें कि वे कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते। श्री भल्ला एक अव्यवसायिक (amateur) थे न कि व्यावसायिक (professional) जो पहलवानों से कुश्ती लड़ते और इनाम व प्रमाण-पत्र इकट्ठा करते।

*९८--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तकिया (पिलोफाइटिंग) का खेल जो कि वर्तमान डाइरेक्टर अपने कालिज के जीवन में खेला करते थे क्या वह कोई महत्वपूर्ण खेल है और यह यू० पी० कौंसिल आफ स्पोर्टस की निगरानी में प्रदेश में कहां-कहां खेला जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

लगभग ४०-४५ वर्ष पहले जब श्री भल्ला एक छात्र थे, उन दिनों पिलों फाइटिंग एक लोक प्रिय खेल था। चूंकि इसे ओलिम्पिक ऐसोशियेशन से मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, इससे उत्तर प्रदेश क्रीड़ा-परिषद् इसको प्रोत्साहन नहीं देती।

*९९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार इसी विषय में यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त डाइरेक्टर ने किस प्रकार पुलिस की हाकी व रस्साकशी की जालौन व गाजीपुर जिलों की पुलिस टीमों को प्रशिक्षण दिया जब कि पूर्व उत्तर से स्पष्ट है कि स्वयं उन्होंने हाकी और रस्साकशी का कभी खेल नहीं खेला ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिस समय श्री भल्ला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद में प्रशिक्षण ले रहे थे तथा जब वह पुलिस लाइन्स अधिकारी थे उस समय खेल कूद में भाग लेना उनके कर्त्तव्यों में था इसी समय उन्होंने हाकी, रस्साकसी और अन्य खेल-कूदों में भाग लिया। जब वे जालौन व गाजीपुर जिलों के सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस हुए उन्होंने अपने प्रशासकीय योग्यता व खेल-कूदों में ज्ञान पर अपनी टीमों का संगठन किया। उस समय पुलीस अधीक्षकों को उनकी टीमों के पुलिस रेन्ज और सेन्ट्रल स्पोर्ट्स मीटस में सफल होने पर किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र देने का चलन नहीं था और न उनको इन प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता भी थी।

अतारांकित प्रश्न

सचिवालय प्रवेश-पत्र कार्यालय

१—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय प्रशासन विविध विभाग के मातहत जो रायल होटल में प्रवेश-पत्र कार्यालय हैं उसमें कार्य करने के लिये सहायक रोटेशन से नहीं भेजे जाते, जो नियम के विरुद्ध है ? यदि हां, क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कोई ऐसा नियम नहीं निर्धारित है जिसके अन्तर्गत सचिवालय के प्रवेश-पत्र कार्यालय में कार्य करने के लिये सहायक रोटेशन से भेजे जाते हों।

बाद का प्रश्न नहीं उठता।

गृह मंत्री द्वारा सदन में गलतबयानी करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैंने, श्रीमान्, कल एक प्रश्न उठाया था, उसे ले लें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हमारा जो माननीय हरगोविन्दसिंह के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न है जरा उसको आप पढ़ देते।

श्री अध्यक्ष—

माननीय केशरी प्रसाद पांडेय, माननीय काशीनाथ मिश्र और ८ अन्य सदस्यों ने विशेषाधिकार का प्रश्न इस प्रकार से उठाया है।

"सेवा में निवेदन है कि २९ अप्रैल, १९६५ को माननीय सत्यनारायण पांडेय एवं माननीय काशीनाथ मिश्र के तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर में माननीय गृह मंत्री श्री हरगोविन्द-सिंह ने सदन को सूचना दी कि श्री बी० डी० मुकर्जी द्वारा श्री कन्हैया लाल मिश्र, एडवोकेट जनरल तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट को उनका बयान मान लिया गया और श्री बी० डी० मुकर्जी के विरुद्ध श्री श्रीपत नारायण सिंह द्वारा २०-११-६२ को लिखायी गयी

रिपोर्ट के आधार पर धारा ४२० के अन्तर्गत पुलिस केस चला दिया गया है जो सत्र न्यायालय के विचराधीन है।" मुख्य चीज यह है कि २०-११-६२ को जो रिपोर्ट लिखवायी गयी थी उसके आधार पर ४२० के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और वह सत्र न्यायालय, सेशन्स जज के विचराधीन है। उक्त सूचना अर्थात् सत्र न्यायालय में विचाराधीन है, नितांत असत्य हैं। इस बात का पता तब चला जब कि सारे इजलास में दिनांक १० व १७ सितम्बर, १९६५ को निम्नलिखित घटना हुई। वस्तुस्थिति इस प्रकार है :

२९ अप्रैल, १९६५ को श्री बी० डी० मुकर्जी के विरुद्ध कोई भी मुकदमा सत्र न्यायालय के विचाराधीन नहीं था। माननीय गृह मंत्री ने अपनी इस गलत बयानी को सार्थक बनाने और उसका औचित्य सिद्ध करने के लिये अपने मित्र, श्रीमती राभीदेवी, ऐडवोकेट तथा सह अभियुक्त श्री कन्हैयालाल मिश्र, ऐडवोकेट जनरल, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फूलपुर, जिला इलाहाबाद पर नाजायज दबाव सरे इजलास दिनांक १० व १७ सितम्बर, १९६५ को यह कहला कर डाला कि माननीय गृह मंत्री की यह इच्छा है कि श्री कन्हैया लाल मिश्र, बगैरह का मुकदमा ड्राप कर दिया जाय और श्री बी० डी० मुकर्जी का मुकदमा सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाय। मैजिस्ट्रेट.....।" तो उनका कहना यह है कि जो यह सूचना माननीय गृह मंत्री ने इस सदन को दी कि उस तारीख को, यानी २९ अप्रैल, १९६५ को यह मुकदमा सत्र न्यायालय के विचाराधीन है, असत्य थी। अतः विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अदालत को इनफ्लूएंस कर रहे हैं कन्हैयालाल मिश्र और रामो देवी जो बराबर उनके यहां आया करती हैं, यह दो चार्ज हैं इनके खिलाफ....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। माननीय हरगोविन्द सिंह जी के पास मैंने यह सूचना भेजी थी कि इस संबंध में स्पष्टीकरण करें कि क्या सत्र न्यायालय के विचाराधीन वह विषय उस समय था उस संबंध में क्या कहना है।

उन्होंने यह लिखकर भेजा है--

"सर्वश्री केशरी प्रसाद पांडेय, काशीनाथ मिश्र, उग्रसेन तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न मुझे कल अपरान्ह प्राप्त हुआ, जिसका स्पष्टीकरण तुरन्त ही मांगा गया है। समयाभाव के कारण इस विषय में पूर्ण जांच करना संभव नहीं हो सका है और न ही कोई रिपोर्ट इस विषय में मंगाई जा सकी है।

२९ अप्रैल, १९६५ को माननीय सर्वश्री सत्य नारायण पांडेय एवं काशीनाथ मिश्र के तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर में यह कहा गया था "कि श्री मुकर्जी के विरुद्ध दर्ज मामले का पुलिस ने चालान किया। यह अभियोग जुडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया है जहां पर वह विचाराधीन है।" यह उत्तर जिले से प्राप्त सूचना के आधार पर दिया गया था। अब विभाग में जो पत्र आदि उपलब्ध हैं उससे यह ज्ञात होता है कि यह सूचना कि अभियोग जुडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया है जहां वह विचाराधीन हैं, सही नहीं थी जिसका मुझे खेद है।

जैसा कि पहले कहा गया समयाभाव के कारण इस विषय में पूरी जांच करना संभव नहीं हो सका है। किन परिस्थितियों में यह सूचना जिले से प्राप्त हुई इसकी पूर्ण जांच कराई जायगी और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही भी की जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, उस तरफ से खेद प्रकट करना साधारण-सी बात हो गयी है।

श्री अध्यक्ष--

पहले मेरी बात सुन लीजिये। बाद में आप कह लीजियेगा। खेद प्रकट कर देने से कुछ परिमार्जन हो जाता है और संसदीय परम्परा यह अवश्य रही है कि अगर कोई माननीय सदस्य खेद प्रकट कर दें तो साधारणतया विशेषाधिकार के सिलसिले में वह स्वीकार होना चाहिये। लेकिन इसको स्वीकार करते हुए भी मुझे माननीय मुख्य मंत्री से विशेष रूप से आग्रहपूर्वक निवेदन करना है कि यह चौथी मर्तबा है कि जो इस थोड़े से समय में मेरे सामने ऐसी बात आई, जबकि यह स्वीकार किया गया मंत्रियों द्वारा कि जो सूचना उन्होंने सदन में दी थी वह गलत थी यह सूचना उन्होंने स्वयं अन्वेषण करके अपनी तरफ से प्रस्तुत नहीं की बल्कि जब उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया तब यह जवाब दिया गया। ऐसी अवस्था में मैं यह समझता हूं कि एक बड़ी गंभीर परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ रहा है। मंत्रि मंडल की तरफ से एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, एक महीने में चार-चार मर्तबा ऐसे अवसर मिल जायं जबकि यह मालूम हो कि गलत सूचनायें दी जा रही हैं तो उस हाल में मैं समझता यह हूं कि आवश्यक होगा हमारे लिये कि हम कोई ऐसी पद्धति या प्रक्रिया अंगीकार करें जिसके द्वारा इन अधिकारियों के ऊपर पूरा नियंत्रण हो सके और पूरी सजा दी जा सके, ताकि वे इस असावधानी से हमें सूचना न देते रहें। (विरोधी पक्ष की तरफ से हर्षध्वनि) अधिकारी वर्ग को यह अच्छी तरह से समझना चाहिये कि इस आदरणीय सदन में कही गयी एक-एक बात अपना महत्व रखती है और विशेष रूप से सरकार की तरफ से कही गयी बातें ऐसी होनी चाहिये, इतनी नपी तुली कि जिनके संबंध में इस प्रांत में और इस प्रांत के बाहर किसी को भी शंका न हो कि वे गलत हैं। अगर इतना विवास हमारी सरकार के मंत्री, जन समुदाय तथा इस सदन में पैदा नहीं करेंगे तो फिर इस सदन का काम चलाना मेरे लिये अत्यन्त दुष्कर हो जायगा।

इस वजह से मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे विशेष रूप से अपने अधिकारियों को सूचित करें और आगाह कर दें कि अगर कोई भी इस किस्म की गलत सूचना हमारे पास आयेगी तो हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और जो कार्यवाही होगी उसकी सूचना इस आदरणीय सदन को देनी होगी। (विरोधी पक्ष से पुनः हर्षध्वनि)

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अध्यक्ष महोदय, हमारे काम की जिस त्रुटि पर आपने ध्यान आकर्षित किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं भी खेद प्रकट करती हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्लिप्स हो गये। मैं सारे डिपार्टमेंट्स को तम्बीह कर दूंगी कि वे इस बात का खयाल रखें और मिनिस्टरों से भी आग्रह करूंगी कि किसी सवाल का जवाब देने से पहले खुद चेक कर लिया करें ताकि आयन्दा ऐसी गलती न हो।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट हमारी बात सुन लें। जो आपने कह दिया और माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा उसके संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। मैं माननीय मुकर्जी के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं। मुकर्जी कौन आदमी हैं? क्या हैं, इसके संबंध में कुछ नहीं कहना है। लेकिन अदालत ने जो उनको सैशन कमिट किया है उसका निराकरण तभी होगा जब उसको वापस ले लें.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी, मैं एक निवेदन कर दूं। इस संबंध में यदि आप और कोई कार्यवाही चाहते हों तो आप मुझ से मिल लें। अब इसको यहीं समाप्त किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मंत्रि परिषद के अन्य सदस्य भी सूचना देते हैं लेकिन जितनी माननीय हरगोबिन्द सिंह जी की सूचनायें गलत होती हैं उतनी और किसी की नहीं होतीं।

गृह मंत्री द्वारा सदन म गलत बयानी करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब यह नहीं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, एक बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

चीनी सैनिकों के प्रदेश में कथित प्रवेश के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं । एक माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी का है । उसको मैंने काम रोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया है । वह इस प्रकार है कि "कल भारी संख्या में चीनी सैनिकों ने फियूलेह दर्रे को पार कर ....." केंद्रीय विषय होने के नाते मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं । माननीया मुख्य मंत्री के पास मैं इसे भेज रहा हूं ।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, चीन का विषय इस विधान सभा में फुल डिबेट में डिस्कस हो चुका है । इसे आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में भले ही न लें लेकिन मंत्री जी के पास भेज दें । लेकिन यह कहना कि उत्तर प्रदेश की सीमा में चीनी घुस आये, यह केंद्रीय विषय है...

श्री अध्यक्ष--

मैं मंत्री जी के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं ।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, यह आपकी रूलिंग न हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--

एक बात निवेदन कर दूं कि कई बार मेरे सामने यह उल्लेख हुआ है कि चीनी आक्रमण के संबंध में विचार सदन में हो चुका है । लेकिन आपको याद होगा कि वह विषय जब सदन के सामने आया था तो सभी पार्टियों ने उसे विशेष रूप से रखा था और यदि उस क्रम में आवे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन जहां इस तरीके से रखे जाने का प्रश्न है, उस संबंध में निवेदन है कि हम पूरे तथ्यों से परिचित न हों और यहां मुख्य मंत्री जी ऐसी बात न कह दें जो कदाचित् ठीक न निकले तो दिक्कत होगी । इसलिये मैं कह रहा हूं कि मैं विशेष ध्यान के लिये इसको मुख्य मंत्री जी के पास भेजूंगा और चाहूंगा कि वह माननीय सदस्य को बुला कर यथासमय सूचना दे दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारा झगड़ा पाकिस्तान से चला था तो उस समय पूरा भार लड़ाई का भारत सरकार ने गुजरात सरकार पर डाल दिया था और जब विशेष घटना हो गई तो केंद्रीय सरकार ने भार संभाला । जब बाराहोती में चीनी सैनिक दिखाई देते हैं और यह हमारे प्रदेश के अधीन है और सारी जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार की है और जब ऐसी घटना होने लगें, ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता और इस सदन को

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

जानकारी होनी चाहिये कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। जब तक यह बातें हम लोगों के सामने नहीं आयेंगी तब तक प्रदेश की जनता का विश्वास और सहायता प्राप्त करना कठिन हो जायगा। इसलिये आवश्यक है कि सरकार की तरफ से सूचना एकत्र हो कर सदन को मिल जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में हम और आप बैठ जायं और विचार कर लें।

पिथौरागढ़ में नजूल की भूमि मिशनरी को बेचने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय उग्रसेन का पिठौरागढ़ में नजूल की भूमि को मिशनरी को बेचने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना के संबंध में है। माननीय उग्रसेन ने इसमें यह नहीं दिया है कि किस तारीख की घटना है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

२० सितम्बर की घटना है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें तिथि नहीं है इस वजह से मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है। तो भी मंत्री महोदय के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन--

स्वामी रामानन्द तीर्थ, जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने किताब में लिखा है। उन्होंने इस बात को उठाया है। नजूल की जमीन किसी मिशनरी को, जहां चीनी ईसाई रहते हैं, क्यों दी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं भेज तो रहा हूं विशेष ध्यान के लिए।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने व्यवस्था दी कि चीन के संबंध में कोई विचार विनिमय नहीं कर सकते। जब पिठौरागढ़ में चीनी फौजें घुस गयी हैं तो सदन क्यों नहीं चर्चा कर सकता इस बारे में व्यवस्था जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी कह दिया कि इन विषयों पर बैठ कर हम विचार कर लेंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

एक बात जो महत्व की है जो इस मंत्रिमंडल से निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि गंगा प्रसाद जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत कहा है कि मंत्री जी जो जाते हैं इस समय दौरे पर उनके स्वागत में जो आडम्बर रचा जाता है वह कदाचित् आजकल मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुये नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जिला अधिकारियों को सूचना दे दी जाय कि मितव्ययिता और आपात काल को दृष्टि में रखते हुए यह आडम्बर न हो

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---

मैंने २० तारीख को भी दिया था जो गाली दे कर एक आदमी को बन्द करवा दिया था ।

श्री अध्यक्ष---

वह इसमें लिखा नहीं है ।

श्री गंगांप्रसाद वर्मा---

मैं आपके पास गया था । एक नागरिक को इस तरह से गाली दे कर दन्द करवा दिया ।

श्री अध्यक्ष---

यह सारी बातें अनियमित हैं ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---

मैंने २० तारीख को लिखकर दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया था कि उसमें क्या त्रुटियां हैं । दोबारा आपने लिखा नहीं ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---

देश की हालत इतनी खराब है । हम लोग यह बरदाश्त नहीं करेंगे । मैं किसी मंत्री के यहां नहीं जाता हूं । आपके यहां भी नहीं जाता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---

मुझे दुख इस बात का है कि एक नागरिक को मंत्री ने गाली देकर बन्द करवा दिया । हम कहां जायं ? हाई कोर्ट जायं, कहा जायं ? आप बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय गंगा प्रसाद, आप बैठिये या सदन छोड़िये । यह कौन सा तरीका है ? आप सदन छोड़ें ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---

मंत्री गाली दे सकते हैं आम जनता को ? आप बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

आपने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---

मैंने जो २० तारीख को दिया था, उसमें है ।

श्री अध्यक्ष---

और एक माननीय होरीलाल यादव का नियम ५२ की सूचना है । यह तो ६ जुलाई का है, अब आप भेज रहे हैं यह बहुत बिलम्ब से दी गयी है । एक सूचना माननीय बाबू बदरे जी की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में है । मुझे सूचना यह मिली है कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वह डी०आई० आर० में हुयी है । अतः इसके ऊपर नियम ५२ नहीं आ सकता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

बाबू बदरे कौन हैं और किस लिये उनकी गिरफ्तारी हुई है, यह तो समझ लीजिये और सबको बता दीजिये। उनकी गिरफ्तारी इसलिये हुई है कि उन्होंने एस०पी० के गलत कामों का विरोध किया और वे उनसे लड़े थे। बाबू बदरे कानपुर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री, नगर महापालिका के सभासद, सर्वदलीय नागरिक सुरक्षा समिति के मंत्री, तथा समाजवादी विचारधारा के माने हुए नेता और कर्मठ समाजसेवक हैं, जिन्होंने पुलिस के अत्याचारों का विरोध किया जो कि एक सैनिक की पत्नी को नवजात शिशु के साथ उसके घर से पुलिस द्वारा निकाल दिया गया था और जब यहां पर प्रश्न उठाये गये तो उसे वापस तो ले लिया गया लेकिन उसकी वजह बाबू बदरे की गिरफ्तारी डी० आई० आर० के अन्तर्गत कर ली गयी। यह बहाना है, यह कार्यवाही बदले की भावना से की गयी है। तो अध्यक्ष महोदय, आप बताइये डी०आई०आर० में गिरफ्तारी उस एस०पी० की होनी चाहिये या बाबू बदरे की इसे आप नियम ५२ में स्वीकार करिये।

श्री अध्यक्ष---

यह नियम ५२ में कतई नहीं आता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, गंगाप्रसाद जी ने परसों जो दफा ५२ की सूचना दी थी उसे आपने पढ़ा है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, और आपको भी बड़ी तकलीफ हुई होगी कि इस तरह की ज्यादतियां होती हैं। एक वरिष्ठ मंत्री एटा गये थे और वहां जिस सभा को वह सम्बोधित कर रहे थे उस सभा में एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि आज के जमाने में १८-२० फाटक क्यों बना दिये गये हैं इसी पर गिरफ्तार कर लिया गया वह व्यक्ति।

श्री अध्यक्ष---

मुझे अफसोस है कि इसका उल्लेख इसमें नहीं है जो आप कहे जा रहे हैं।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---

मैंने यह लिखकर २० तारीख को दिया था, मैंने दिया है, मेरा क्या दोष है, यदि आप उसे न देखें।

श्री अध्यक्ष---

न आप बैठेंगे न आप सुनेंगे बड़ी मुश्किल यह है। इन्होंने कई विषय लिखकर दिये थे, उन्हें मैंने अस्वीकार किया था और यह आशा की थी कि इसे यह लिखकर देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ लिखकर नहीं दिया। इस समय जो बात आप उठा रहे हैं वह मेरी सूचना के अन्तर्गत नहीं है। (व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

माननीय सदस्य जब कह रहे हैं, तो आप उसे सही मानिये।

श्री अध्यक्ष---

पहले दिन इन्होंने दो बातें लिखकर दी थीं और इनसे कहा गया था कि आप अपनी सूचना को एक विषय पर निर्बन्धित कीजिये। और उसके बाद जो मुझे दिया उसमें इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

आपने कल कहा था कि हम नियम ५२ के अन्तर्गत इसको ले लेंगे तब आपको दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइय ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष जी, इस विषय पर मैंने दो तीन बार खड़े होकर कुछ आग्रह करने का प्रयास किया किन्तु मुझे मौका ही नहीं मिल सका । इस बात में इतना मनोमालिन्य होने के बजाय यदि गंगाप्रसाद जी मेरे साथ बात कर लें तो संभव है उनको जो क्षोभ है वह दूर हो जावे । उनको मुझसे बात कर लेनी चाहिये ।

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज को और मुख्य मंत्री महोदय से सादर सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय गण जब दौरों पर जाते हैं तो हमारे बी०डी०ओ० और अन्य आफिसरों की १८–१८ मोटरें साथ में लगी रहती हैं । अगर यह रहेंगी तो मेरे जैसे आदमियों के लिये यही होगा कि इन मोटरों को चलने नहीं देंगे ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बहुत अच्छा सुझाव है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब मैं सूचना देता हूं । उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी २२ सितम्बर, १९६५ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों के संबंध में उनके सामने अंकित समय निर्धारित किया जाय:–

(१) उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार तथा उसका पारण .. २३ तथा २४ सितम्बर, १९६५ ।

(२) उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ पर विचार तथा उसका पारण .. २७ सितम्बर, १९६५ ।

(श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी के खड़े होने पर)

आप इसे हो जाने दीजिये, उसके बाद कह लीजियेगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति द्वारा निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के लिये किये गये समय निर्धारण से जिसकी सूचना आज सदन को दी गयी है, सहमत है:—

(१) उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ ।

(२) उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि यह जो कटुता सदन में फैली है इसक बारे में एक बात कहूं । मैं सबके हित के लिए अपनी बुद्धि से उस बात को कहता हूं । जब इतने महत्व के प्रश्न सदन के सामने आते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी बैठी रहती हैं और जब उनसे

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

कटुता और मलिनता होती है जो देखने में अशोभनीय मालूम होती है तो जैसा उन्होंने अर्ज किया वह जरा पहले ही खड़ी होकर कह दें तो जो अधीरता हमें जाती है वह थोड़ी रुक जाय। मैं तो इसीलिये निवेदन करूंगा उनसे जब वह देखें तो तुरन्त खड़ी हो जायं।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

इस पर मेरा कुछ सुझाव है और वह यह है कि दूसरा जो विधेयक है उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक उसके लिये कम से कम तीन दिन का मौका होना चाहिये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है और कई प्रोफेशंस पर लगाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

नियम आप देख लें। ऐसे प्रस्ताव में कोई संशोधन नहीं हो सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

हम लोग यह मांग करते हैं कि इसको वापस लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

वह तो आप कर सकते हैं लेकिन आपके प्रतिनिधि वहां मौजूद थे।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के लिये किये गये समय निर्धारण से सहमत है:--

(१) उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५।

(२) उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। असरकारी दिवस पर जो प्रस्ताव चल रहा था उस पर क्लोजर नहीं मूव हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

वह हो गया है और माननीय रामसुन्दर जी जवाब दे रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि क्या आपने असरकारी दिवस को सरकारी दिवस में बदल दिया है? सरकारी काम सरकारी दिनों में हो और यह हम नहीं चाहेंगे कि हमारा असरकारी दिवस भी आप काट दें।

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में कार्यक्रम में यही है कि २४ तारीख को विधान सभा तथा विधान परिषद् सचिवालय के वेतन आदि के बारे में निर्णय लेने के लिये विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति नियुक्त किये जाने के विषय में श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा उपस्थित संकल्प पर विवाद जारी रहेगा, और उसके बाद ये विधेयक लिये जायेंगे।

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी उसका जवाब दे रहे हैं, तो वह तो आधे घंटे में समाप्त हो जायगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

यह कोई जरूरी नहीं है। उनके लिये आप कोई टाइम लिमिट नहीं कर सकते। जब तक वे चाहें बोल सकते हैं। मेरा कहना है कि वे जो दिन गैरसरकारी काम के लिये है उसको आप सरकारी काम के लिये न लें।

श्री अध्यक्ष--

यह बात हम लोगों ने कल तय कर ली है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

यह तय नहीं किया गया, मैंने उस समय भी प्रोटेस्ट किया था कि या तो जो हमारा टाइम गैरसरकरी दिवस के लिये है उसे दें या सरकारी काम के लिये उसे सरकारी दिवस बना लें ताकि हमारा गैरसरकारी दिवस आगे ड्यू तो रहे। गैरसरकारी दिवस को सरकारी काम का दिन कर लेना, यह बहुत गलत है।

श्री अध्यक्ष--

उस विषय पर हम लोग कल बातचीत कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के लिये किये गये समय निर्धारण से जिसकी सूचना आज सदन को दी गयी है, सहमत हैं:--

१--उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५।

२--उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर सदन में बहस के सम्बन्ध में जानकारी

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कार्यक्रम निर्धारित था कि ४ दिन तक उसके ऊपर सदन में विचार किया जायगा। मेरा अनुरोध आप से यह है, आप देखें, जो इस वक्त टैक्सेशन के प्रस्ताव आ रहे हैं उन सबके उद्देश्य और कारण में यह लिखा हुआ है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन जुटाने व इकट्ठा करने के लिये यह किया जा रहा है, तो उस चौथी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप क्या होगा, कितनी बड़ी योजना होगी, उसके बारे में न तो माननीय मुख्य मंत्री ने कोई विधिवत् वक्तव्य दिया है और न इस सदन के सामने ही प्रस्ताव किया और न इस सदन को उसके ऊपर विचार करने का मौका मिला। फिर हम उसके साधन जुटाने की बात शुरू कर रहे हैं तो मुझे भय है जैसा कि सदन का कार्यक्रम निर्धारित है कि उस पर बगैर हमारे विचार के ही कहीं सदन स्थगित हो जायगा तो फिर वह प्रस्ताव रह जायगा। तो आपके द्वारा मैं माननीय मख्य मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे उसके लिए कब समय निर्धारित कर रही हैं ताकि जो उनकी बात केन्द्रीय सरकार से और प्लानिंग बोर्ड से हुई है, उनकी क्या राय है, कितनी बड़ी हमारी योजना होगी, उसका क्या आकार प्रकार होगा, कैसे साधन जुटाये जायेंगे ये तमाम चीजें सदन को बतला दी जायं।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

अभी कल परसों विरोधी दल के सभी नेतागण से मेरी बातचीत हुई थी और हम सभी एक सिंसियर आउटलुक से बात कर रहे थे। मेरे मन में एक बात उठी है कि एक छोटी सी कमेटी बना दी जाय जिसमें विरोधी दल के लोग हमारे यहां के लोग भी हों और वह कमेटी स्डडी करके हमें बतलावे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये साधन जुटाने के क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। फिर उसके बाद जरूरत हो तो उसके ऊपर यहां आपस में बहस कर लें लेकिन अभी तो दिल्ली से ही कुछ तय नहीं हुआ है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री से मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ जो अभी स्थगित किया गया है, आज कल की परिस्थिति में क्या उसको हमेशा के लिये समाप्त कर देने की कृपा करेंगी?

श्री अध्यक्ष---

अभी तो वह है नहीं, जब आयेगा तब आप कह लेंगे। पहले इसको समाप्त तो कर लें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि इसका और उत्तर दिलवा दें।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, मैंने कल भी स्थगन के सम्बन्ध में एक व्यवस्था की बात कही थी.....

श्री अध्यक्ष---

अभी आप बैठ जायं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि २ अगस्त को ही वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में विचार करने की मांग की गयी थी और तब से बार-बार यह कहा गया कि उस रिपोर्ट की हिन्दी कापी आ जायगी तब उसके ऊपर विचार होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये कोई समय निश्चित हो जाय कि कब तक वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट का हिन्दी संस्करण आ रहा है और क्या वर्तमान सत्र में ही उसके ऊपर डिस्कशन हो जायगा?

श्री अध्यक्ष---

नियमानुसार आप इस सप्ताह का कार्यक्रम पूछ सकते हैं जो उन्होंने बतला दिया है। आइन्दा के लिये बाद में बात कीजियेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

अगले सप्ताह की तारीख २७ है।

*उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५

*स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

---

*२१ सितम्बर १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

मान्यवर, यह सदन के सभी सदस्यों को विदित है कि उत्तर प्रदेश भूमि-भवन कर विधेयक १९६२ में यहां पर लागू हुआ था। प्रदेश की पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि करने के लिये इस प्रकार के आर्थिक साधन जुटाना प्रदेश की सरकार के लिये महान् आवश्यक है। उस समय जब यह कर लगाया गया था तो इसकी १० प्रतिशत सीमा रखी गयी थी। आज प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुये और आय के साधनों में अधिक वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि १० प्रतिशत की सीमा जो पूर्व ऐक्ट के अन्दर लागू थी उसको बढ़ाकर २५ प्रतिशत कर दिया जाय। वैसे प्रतिष्ठान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एक समान कर निर्धारित हैं। इस संशोधन विधेयक के जरिये से यह अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है कि इस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर विभिन्न दर से कर वसूल किया जाय। मैं समझती हूं कि इस प्रकार के कर निर्धारण से प्रदेश में उन्हीं मकान मालिकों पर प्रभाव पड़ेगा जो अपने दुकान या मकान १२० रुपये से ऊपर किराये की आमदनी के अधिकारी होते हैं। इसलिये समस्त प्रदेश की जनता इन करों के भार से प्रभावित नहीं होगी। इसलिये आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि प्रदेश की परिस्थिति और आवश्यकता को देखते हुये इस विधेयक पर शान्तिपूर्वक विचार करें।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो कर सन् १९६२ से लगाया गया था उससे प्रति वर्ष कितना रुपया वसूल होता है और जो यह टैक्स लगाया जा रहा है उसमें कितना मिलेगा।

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार १,२३,६५,४०० रुपये की अनुमानित आय थी।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५, को जनमत संग्रह के लिये ६ मास तक घुमाया जाय ताकि जनमत जाना जा सके और जनता की भावनाओं का आदर किया जा सके।

मान्यवर, इसके पहले कि मैं इस विधेयक के मूल आधार को स्पर्श करूं, एक बात कहना चाहता हूं। यहां चार धन विधेयक लाये गये और इन चार विधेयकों को लाने के पहले हमारे सामने देश की एक परिस्थिति रखी गई और उस परिस्थिति के संदर्भ में यह कहा गया कि यह तो हम पहले लाते पर अब और भी आवश्यक हैं। दोनों बातें परस्पर विरोधी कही गयीं। कभी यह कहा गया कि पहले इन चारों को पारित होने दिया जाय क्योंकि आज देश की परिस्थिति में इनकी बहुत आवश्यकता है चाहे वह नियोजन के लिये हो या सुरक्षा के लिये हो। तो इस संदर्भ में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आज हम एक बड़ी भयंकर और गम्भीर परिस्थिति में यहां पर खड़े हैं। यह ऐसा अवसर है कि हम अपनी भावनाओं को भी इस विषय में व्यक्त कर दें। अभी युद्ध हो रहा था और हमको यह सूचना मिली है कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई है इस सम्बन्ध में हम यह अवसर अपने हाथ में से जाने देना नहीं चाहते और अपनी सरकार से एक बात कहना चाहते हैं। जब इस देश पर संकट आया और हमने देखा कि हमारी परीक्षा का समय है तो इस अग्नि परीक्षा के लिये देश ने अपनी एकता का प्रमाण दिया। इतना ही नहीं हममें विश्वास था कि यह युद्ध न्याय और औचित्य के आधार पर किया जा रहा है। इसलिये हमने अपने तन मन धन से सरकार का साथ दिया, सहायता दी और इसकी हम में इच्छा उत्पन्न हुई। आज हमारी सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है किन्तु हमारा मन बड़े संकट में है। हम इसकी कोई आलोचना या विवेचना नहीं करना चाहते, लेकिन एक बार पहले भी हमने कहा था कि इस प्रकार जब सरकार युद्ध की घोषणा करती है तो हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

हृदय दहल उठते हैं और इसी बात को मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारी सरकार अब और आगे कुछ कदम उठायेगी। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब भारत ने ऐसी एकता दिखायी हो। कितनी ही ललनाओं ने अपने सिंदूर खोये कितनों ही की गोद के बच्चे गये और कितने ही लोग अनाथ हुए, लेकिन देश भर के हर कोने से यह आवाज आयी कि हमको इस पर गर्व है कि वे मातृ भूमि की सेवा में गये। मैं समझता था कि इतना त्याग करने के बाद हमको कुछ चीज मिलेगी और वह यह कि जो पिछला इतिहास है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। पहले का खोया हुआ राष्ट्रीय अपमान फिर से हाथ में आ गया, हम जानते थे कि हम अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं, हम जानते थे कि हमारे प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है कि हम किसी भी हालत में काश्मीर की समस्या पुनः नहीं उठने देंगे और हम पीछे नहीं जायेंगे। जो कुछ वचन दिया था आज उसके बाद हमारे मन में एक चोट है। हम नहीं चाहते कि कुछ विपरीत बात उन्होंने कही है, लेकिन हम उनको सावधान करना चाहते हैं।

आज की परिस्थिति में, जबकि हमने इतना त्याग किया है हमारे प्रधान मंत्री जी को चाहिये कि वे बहुत सम्भल कर अपना अगला कदम उठायें। बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि लड़ाई चलने के समय उन्होंने विरोधी दलों से सरकार का संपर्क बनाये रखा और उनका सहयोग मांगा और उनको अनरिस्ट्रिक्टेड सहयोग मिला। हमारे सारे देश के लोगों का हृदय एक था आवाज एक थी। देश में चाहे वह लेखक हो, कवि हो, किसान हो या मजदूर हो या टीचर हो या डाक्टर या वकील हो जहां और जिस परिस्थिति में था उसने सरकार को सहयोग दिया। आज सरकार से हम को एक अपेक्षा है। आज हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर इस परिस्थिति में हमारा एक इंच भी पग गलत हुआ तो हम कभी उठ नहीं सकते। हम यह कहना आवश्यक इसलिये समझते हैं कि कम से कम जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी विचार-धारा को तो आप के सामने रख ही देना उचित होगा कि अगर हमने अब गलती की तो इस के बाद हमारा सैनिक मनोबल कभी फिर उठ नहीं सकता। आप की पुकार पर आज देश भर में अपना सर्वस्व अर्पण करने की भावना है यह फिर कभी नहीं पैदा हो सकती अगर आप का इस पहलू पर गलत कदम उठा। तो हम ने जो खून से यह धरती सींची है, अपना शौर्य दिखलाया है और संसार में अपना नाम अमर किया है और खासकर ऐसी परिस्थिति में जब कि एक सुसज्जित सेना खड़ी हो उसका मुकाबला हमारे बहादुर जवानों ने अपने ऊपर थोपी गयी लड़ाई को स्वीकार कर के किया हो और अपने औचित्य में विश्वास कर के अपना सर्वस्व अर्पण किया हो और उसे उस बल पर पीछे हटाया हो और उस के पास जो अमरीका तथा इंग्लैंड आदि के हथियार थे उनके मुकाबले में तो वह हमारे लिये गर्व की बात है। इसका कारण था कि हमारे मन में विश्वास था कि हमारा काज, हमारा ध्येय उचित है, हम अपनी मां, देश और राष्ट्र के लिये लड़ रहे हैं। यह हमारी अग्नि परीक्षा का समय है इसलिये हमने वह किया और इस लिए हम सरकार से कुछ चाहते भी हैं। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और यह इसलिये भी कि हमने १९४७ में देखा था, मैं अपने दिल की कहानी कह रहा हूं जब कि काश्मीर पर हमला हुआ था उस समय आप के द्वारा जो गलती हुई उसको हम आज तक ठीक नहीं कर सके हैं। हमने देश को ऐसी दलदल में फंसा दिया कि हम निकल न सके। जब चीन की लड़ाई हुई तो बार बार आपको चेतावनी दी गई, लेकिन आप चूक गये। हम मुंह लटका कर चले आये। तिस पर भी आपने वादा किया था कि हम एक एक इंच भूमि ले लेंगे। हमने कहा कि हम आप के साथ हैं, लेकिन वह वादा भी पूरा नहीं हुआ। रन आफ कच्छ की घटना आ गयी। उसमें हम पहले मार खा गये, लेकिन जब युद्ध के कला-कौशल दिखलाने का हमने प्रारम्भ किया तो हम को रोक दिया गया। उसकी बहुत आलोचना हो चुकी है। हम आज भी समझते हैं कि हमारे राष्ट्र-प्रेम की और गौरव की मर्यादा को, हमारी सैनिक मर्यादा को जो कि अमर है उसको दुनिया के इतिहास में बहुत ठेस लगी है। लेकिन अब भी हम सम्भल नहीं पाये हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही न समझे कि हमें कोई ठेस लगी, लेकिन

हम समझते हैं। हमको फिर अवसर मिला, ईश्वर प्रदत्त अवसर। जब आदमी के साथ अन्याय होता है तो उसका बदला लेने के लिये या अपने आदर्शों के औचित्य को दिखलाने के लिये अवसर भगवान देता है।

आज पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक लड़ाई थोपी। हमारे पास अस्त्र-शस्त्र नहीं थे, लकिन दुनियां के सामने आज भारतवर्ष अपने हृदय को चीर कर दिखलाना चाहता था कि तुम दुनिया के अस्त्र-शस्त्र ले आओ अगर हम एक हैं, हमारी भावनाएं एक हैं और राष्ट्र के प्रति हमारा अटूट प्रेम है तो हम कट मरेंगे, हम अपने को बलिदान कर देंगे, सब आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का मुकाबला अपने हाथों से करेंगे और यही हुआ। पैटन टैंकों का मुकाबला किया गया हथ-गोलों से साधारण बन्दूकों से। जैसा कि कहते हैं कि "इट इज नाट दि सोर्ड दैट फाइट्स बट इट इज दि हैंड दैट फाइट्स; इट इज नाट दि हैंड दैट फाइट्स बट इट इज दि हार्ट दैट फाइट्स"। तो हमारा हृदय लड़ा। हमने अपना सर्वस्व लगा दिया और अपनी कुशलता दिखलाई। संकट की परिस्थिति में राष्ट्र ने अपना आत्माभिमान दिखलाया। यह भारतवर्ष अपनी नीतियों और आदर्शों का पालन करता है। अगर दुनिया भी छूट जाय तो भगवान में विश्वास रखता है, औचित्य में विश्वास रखता है। तो आत्म विश्वास जैसा अमूल्य और अनोखी चीज हमें मिली। मैं साहित्यकार नहीं कि बड़े सुन्दर शब्दों में अपने भाव व्यक्त कर सकूं केवल हृदय को आपके सामने रखता हूं। यह हमारी सब की और भारत की विजय है। इतिहास जब लिखा जायगा तो कहा जायगा कि निहत्थे भारतवर्ष ने किस प्रकार आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित एक देश का मुकाबला किया। आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं प्रसंग पर ही कह रहा हूं प्रसंग के बाहर नहीं कह रहा हूं। लेकिन मुझे डर यही है कि पुनरावृत्ति न हो...

श्री अध्यक्ष—

इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि अगर पुनरावृत्ति न हो तो आप फौरन इस बिल को पास कर देंगे ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं सुना रहा हूं कि सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहे और जो पीछे के हमारे अनुभव हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि आज सारा राष्ट्र उनकी ओर निहार रहा है जिसने एक स्वर से उनका साथ दिया। यह मैं इसलिये कहना चाहता था कि प्रधान मन्त्री को भी ज्ञान हो जाय कि प्रदेश में किस चीज की लहर है। लेकिन आज सामने बैठे लोग कुर्सी पर बैठ कर जनसाधारण से अपना सम्पर्क खो चुके हैं कम से कम मेरे माध्यम से इन भावनाओं को समझें। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने चूक दिखाई तो इन लीडरों को देश क्षमा नहीं करेगा, जनता क्षमा नहीं करेगी। ऐसी आज की परिस्थिति है।

इतना कहने के बाद प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे सामने आज वस्तुस्थिति क्या है। श्रीमन्, १९६२ से यह इमरजेंसी चल रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने तब से आज तक कितना इमरजेन्सी को अनुभव किया ? हमसे कहा जाता है इमरजेन्सी है, एकता दिखलाओ, रुपया दो, रक्त दो, टैक्स बिलों को पास होने दो आदि आदि। (व्यवधान) हमसे यह कहा जाता है, मगर इस सरकार ने इस को कितना अनुभव किया ? इस सरकार को कहां तक इमरजेंसी का ज्ञान है यह मैं श्रीमन्, आप को बतलाना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप सारे विभागों की छानबीन करिये,, या आडिट रिपोर्ट्स को देखिये। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि इन्होंने अपने ही घर में लड़ाई इसलिये लड़ी थी कि बाहर लड़ने का अभ्यास हो जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी का प्रभाव इस हमारी सरकार पर कहां तक है, इसे आप जरा देखें। जनता जब ४ पैसे देती है तो वह यह भी देखती है कि जो ४ रुपये देने वाले हैं उन्होंने वह दिया या नहीं। इस सरकार ने अपने व्यवहार से यह साबित किया या नहीं कि उस को भी इमरजेन्सी का अनुभव है ? मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस सरकार

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

को इमरजेन्सी का कतई ध्यान नहीं है। इमरजेन्सी के प्रथम चरण में, पिछले दो वर्षों में कितने माननीय मंत्री, उप मंत्री, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी तथा उनके अन्य सहायकगण कब-कब और कितनी बार नैनीताल गये? मुझे स्मरण है, मैं अगर गलत हूं तो श्रीमन् ठीक करें, आप की आज्ञा हुई थी कि कोई मन्त्री या कोई सदस्य वहां नहीं जायेगा, कोई कमेटी वहां नहीं जायेगी। जहां तक मुझे खयाल है, कदाचित मुख्य मंत्री का भी एक आदेश ऐसा ही निकला था। सदन की कमेटीज नहीं जायेंगी, दूसरी जो हैं वे जायेंगी। जहां तक मुझे याद है इस तरह का कोई आदेश था। मगर बहुत से लोग नैनीताल गये। कितना आभास इस सरकार को इमरजेन्सी का है?

आज हमें कितना खर्च करना चाहिये, कहां से बचत करना चाहिये, इस तरफ कतई ध्यान नहीं है। श्रीमन्, ऐसा अगर कोई आदमी करेगा तो वह छिपा नहीं रह सकता, विशेष कर वह जो कोई ट्रस्ट होल्ड करता हो। श्रीमन्, आप देखेंगे कि अपने सुख की भावनाओं को इस सरकार ने कतई छोड़ा ही नहीं। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता, न करूंगा। आप यहां कूलर में रहते हैं, खस की टट्टियां चारों ओर लगी रहती हैं, फिर भी आपको यहां काम करने में कठिनाई होती है, नैनीताल जाने की जरूरत होती है। अगर माधवप्रसाद मिनिस्टर हो जायं तो उनके घर में इस वक्त कूलर भी नहीं है, खस की टट्टी भी नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता कि कूलर के बिना हम काम न कर सकें। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कार्य था जिसे आप यहां नहीं कर सकते, नैनीताल में ही कर सकते थे? किसी का अगर वहां पर घर रहा हो तो मुझे पता नहीं। मगर आप देखें, इस वर्ष माननीया मुख्य मंत्री कब कब नैनीताल तथा अन्य पहाड़ी स्थानों पर गयीं। नैनीताल माननीया मुख्य मंत्री २५ मई से ३० मई तक, १० जून से १३ जून तक, २० जून से २३ जून तक रहीं। अन्य पहाड़ी स्थानों पर ५ जून से १० जून तक, १४ जून से १९ जून तक तथा २५ जून से २८ जून तक रहीं। वैसे हमारे राजस्व मंत्री तो शायद नहीं गये। सिंचाई मंत्री १५ से २२ एक जगह, ११ से २२ जून तक एक जगह, वन मंत्री २ जून से ८ जून तक, न्याय मंत्री २९ मई से ३ जुलाई तक गये हैं। सारे एरियर्स बाकी हैं। मैजिस्ट्रेटों के यहां लैन्ड रेवेन्यू केसेज सड़ रहे हैं, लेकिन उनको यहां न्याय करने की फुरसत नहीं मिली। यह प्रसंग आया तो मैंने कह दिया। उसके बाद गृह मंत्री नहीं गये, परिवहन मंत्री नहीं गये। सामुदायिक विकास मंत्री २५ मई से २९ मई तक, १४ जून से २२ जून तक और २४ मई से २५ मई तक और ५ जून से ११ जून तक इत्यादि इत्यादि गये। अब स्वास्थ्य मंत्री भी २० मई से २१ मई तक ९१, १२ जून और खाद्य मंत्री २८ मई से २ जून, ७ जून से....

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

मैं गया ही नहीं; आप कैसे फरमा रहे हैं?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे सूचना मिली है।

श्री अध्यक्ष—

स्वास्थ्य मंत्री पहाड़ नहीं गये होंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अगर मैं किसी एक का नाम लेता तो आप कहें। मैंने मुख्य मंत्री का नाम लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप क्यों गये। आपके जाने का कारण बता दिया जाय। नैनीताल ने ही आपका मस्तिष्क ठीक किया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

३५ दिन तक न्याय मंत्री क्या करते रहे? आखिर इससे हम क्या समझें?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैंने नहीं पूछा कि पार्लियामेन्ट्री सैक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर्स कहां कहां गये। तो मैं कह रहा था कि वार साईक्लाजी का प्रभाव इन पर कितना था। सारे मंत्रिपरिषद् में मैं नहीं कह सकता कि इमरजेन्सी का आभास कैसा हुआ। कुछ और नहीं सूझा तो कह दिया कि इमरजैन्सी है हमारे लिये। वह इमरजैन्सी हमारे लिये ही है या आपके लिये भी है? इनको बुरा नहीं मानना चाहिये। इस देश के हित में और समाज के हित में, मैं यह कह रहा हूं। मैंने नहीं कहा कि आपने बेईमानी की परन्तु आपने इमरजैन्सी पर ध्यान नहीं दिया। क्या आपने इस प्रशासन के बारे में ध्यान दिया? आपने इस एकोनामी के बारे में क्या ध्यान दिया? आप जानते थे कि बजट में जा रहे हैं; दूसरे टैक्सेशन बिल लाने हैं; ये सारी बातें हमारे सामने रक्खी जायेंगी। आप लोगों को क्यों लज्जा नहीं आई? आप उस गरीब जनता पर नाना प्रकार के टैक्स, मालगुजारी, भूमि भवन टैक्स आदि लाना चाहते हैं तो पे रैश्नेलाइजेशन कमेटी क्यों शिमला चली गई, क्यों मसूरी चली गई? सब अधिकारी यहां थे, उनसे शहादत लेते, उनको बुलाते। आप इसको क्यों भूल गये? आप हमें यही बतायें कि उस समय आपकी इमरजैन्सी साईक्लाजी कहां थी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक एकानामी कमेटी बनाई गई थी। कमेटी इसलिये बनती है कि शासन ठीक रास्ते से कार्य करे। फर्दर टैक्सेज मत लगाओ। एक कमेटी सरकार ने मुकर्रर की थी। एकानामी कमेटी ने भी रिपोर्ट दी थी कि यहां की स्थिति बहुत खराब है। यह भी एक स्थिति खराब होती। इस समय हम चाहते हैं कि आप टैक्सेशन उतना ही लगाइये जिससे उत्साह कामय रहे। हमने आपसे प्रार्थना करके इन्हीं कामों के लिये एकानामी कमेटी बनवाई थी जिससे फर्दर टैसेशन न लगाने पड़ें। एकानामी कमेटी नान आफिशियल कमेटी थी। जेड० ए० अहमद साहब आदि आदि उनके मेम्बर थे। लेकिन एकोनामी कमेटी की क्या सिफारिश आयी, मुझे पता नहीं। संबंधित मंत्रियों से पूछते हैं तो जिसे कहते हैं स्टैन्ड आन योर लैग्स, वैसी स्थिति हो जाती है, कहते हैं ऐसी कोई कमेटी भी है क्या? मैं पूछता हूं कि कितनी मीटिंग्स हुईं तो फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि बीच में मीटिंग नहीं हुई, हां, एक कमेटी ऐसी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो नानआफिशियल बाडी है वह जो सुझाव देती उस पर आप विचार करते, फिर उसको चाहे आप काटते, अपनाते या न अपनाते, लेकिन कोई तरीका तो होना चाहिये था? कैसे आप हम लोगों का विश्वास जीतेंगे? किस तरह से आपने कह दिया कि हम विरोधी दलों का सजेशन मानेंगे। जैसा आप हमारे साथ खेल करते हैं, हम भी उसको समझते हैं। कितनी परवाह आपको है हमारी जिसके लिये आप कहते हैं कि विरोधी दल साथ नहीं देता। तो यह एकोनामी कमेटी की हालत है। अगर कोई आफिशियल कमेटी होगी, उसने कोई सिफारिश की होगी और उसमें उसका स्वयं का हित निहित होगा, उसको आपने मान लिया होगा। जिस आधार पर आपने एकोनामी की होगी वह आफिशियल कमेटी द्वारा रिपोर्टेड एकोनामी होगी। लेकिन फिर आखिर हम लोग यहां क्यों बैठते हैं? यह प्रजातंत्र किस लिये है? जब हमारे सुझाव नहीं मानने हैं, नफरत के साथ नान-आफिशियल बाडी के साथ व्यवहार करना है, अरे होंगे डाक्टर जेड० ए० अहमद और राजा साहब कोई होंगे, कह देते होंगे फाइनेंस सेक्रेटरी क्योंकि वह अपने को फाइनेंशियल एक्सपर्ट समझते हैं। हम अपने को फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं मानते लेकिन हम जो रोज अपनी आंखों से देहातों में देखते हैं, वह भी कुछ वजन रखता है। हम देख रहे हैं कि ऐसी हालत उनकी है कि अब फर्दर टैक्स उन पर नहीं लगना चाहिये। ऐसा उपाय किया जाना चाहिये कि आपका काम भी चलता रहे और पैसे आपके ज्यादा खर्च न हों, खर्चे में कमी हो, लेकिन इसकी तरफ गौर करने की आपको जरूरत नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कह दूं। अभी आज पेपर में निकला है, सम्भव है उसका उद्धरण उधर से पेश किया जाय कि हमने इतने करोड़ की एकोनामी की है। मैंने दस बजे के करीब पढ़ा, मस्तिष्क ठीक नहीं कर पाया, लेकिन मैं समझ गया, यह बड़े होशियार हैं, इन्होंने पहले से निकाल दिया,

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

इनकी पहले की हालत देख लीजिये, जैसाकि वकालत में होता है, आप जानते हैं, सबसीक्वेंट कांडक्ट ऐंड प्रीवियस कान्डक्ट, पुट देम टुगेदर ऐंड जज देन व्हाट दे हैव डन ऐंड व्हाट इज देयर मंशा। जैसे कि एक देहाती मसल है कि 'यह जा रहा है तेल, दिखला रहा है भेली, खरीदेगा सरसों।' तो यही स्थिति इनकी है, यह जो कुछ भी करेंगे वह इसी तरह का होगा। इन्होंने जो कुछ भी एकोनामी की है, यह उन्हीं चीजों में की है जिन पर अन्धाधुन्ध खर्च कर रहे थे और जिसकी कि उस वक्त भी जरूरत नहीं थी। जानते थे कि हमारे सामने टैक्सेशन बिल है, उसकी आलोचना होगी तो झट से अखबारों में निकाल दिया कि हमने इतने करोड़ की बचत की जिससे कि यह आलोचना इनकी न हो सके। अभी मेरे पास एक सूचना बस्ती से आयी कि चार लाख रुपये बस्ती जिले में इन्डस्ट्रीज के लिये दिये गये जिसमें से केवल कुछ ही हजार रुपये इंडस्ट्रीज के काम के लिये इस्तेमाल हुआ करीब करीब ३ लाख रुपये आज तक इस्तेमाल नहीं हो पाये। मैंने माना कि इंडस्ट्रीज भी बहुत जरूरी है, लेकिन आज जो युद्धोन्मुखी योजना चाहते हैं उसमें वैसी ही इंडस्ट्रीज हम चलायें, ऐसी इंडस्ट्रीज को चलाने से क्या लाभ जिनके लिये रुपया दिया जाता है और इंडस्ट्री खोली नहीं जाती और फिर एक जिले की यह हालत है कि ४ लाख रुपये में से ७०–७२ हजार सिर्फ खर्च हुआ है, तो ५४ जिलों की हालत पर आप विचार करें। यह एकोनामी आप करते, आपको विरोधी दल का मुकाबला न करना पड़ता।

दूसरी बात–कोआपरेटिव डिपार्टमेंन्ट को आप ले लीजिये, इसको जब मैं देखता हूं और खाली "को" पढ़ता हूं आगे का निकाल दिया जाय तो यह बिलकुल कांग्रेस डिपार्टमेंन्ट है क्योंकि यह डिपार्टमेंन्ट केवल कांग्रेस का पालन पोषण करता है। कितना गोलमाल और फिजूलखर्ची इसमें है वह बराबर आपके सामने आता रहता है, तो इस वक्त कोआपरेटिव का यह रुपया आप रोक देते, कितना कितना रुपया दिया जाता है, कितने कितने कर्जे दिये जाते हैं, जो वापस नहीं होते, आप इमर्जेंसी में इसको रोक सकते थे। आप देखते कि वार एफर्ट्स में अमेरिका में क्या हुआ, इंग्लैन्ड में क्या हुआ। मैंने पिछले साल पढ़ा था उसमें उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं रखी जो अनावश्यक थी और उसमें ऐसी बात भी रहती कि जिस वक्त वार खत्म होगी उस वक्त हमारे सारे प्रयत्न, हमारी सारी इन्डस्ट्रीज उत्पादन की ओर मुड़ जायंगी। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। यह कोआपरेटिव डिपार्मेन्ट क्या है? उसमें अपना सेक्रेटरी चाहिये, अपना मैनेजर चाहिये। चार उसमें जीपें हों जो चुनाव के समय अपने काम आ सकें और उन्हीं आदमियों को उनमें सेक्रेटरी और डायरेक्टर रखा जाय जो इस काम में कांग्रेस को मदद दे सकें। एक अंग्रेजी की कहावत के अनुसार उन्होंने इस विभाग को ऐसा समझा है कि जो सारे समाज को चारों तरफ से जकड़ लेगा और उसने जकड़ लिया है, इसी लिये मैंने उसको कोआपरेटिव विभाग न कह कर कांग्रेस विभाग कहा क्योंकि केवल एक दो उदाहरण ही ऐसे होंगे जहां दूसरों के हाथों में इसका संचालन हो अन्यथा सब जगह कांग्रेस वालों के ही हाथों में इसका संचालन है।

दूसरा एक विभाग है सोशल वैलफेयर विभाग। इस विभाग के द्वारा हरिजनों के उद्धार का प्रयत्न किया गया जिसमें हमने देखा कि अभी वह नहीं हो पा रहा है। फिर क्यों नहीं थोड़े दिनों के लिये इसको रोक दिया गया?

फेमिली प्लानिंग की भी बहुत बात कही जाती है। इसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा, यह बहुत कन्ट्रोवर्शियल मामला है। बहुत सी बातें एक दूसरे के विरोध में कही जा चुकी हैं। आज चीफ जस्टिस महाजन का एक आर्टिकिल निकला है, डाक्टर सम्पूर्णानन्द का आर्टिकिल भी हमने पढ़ा। मेरी अनभिज्ञता है कि मैं स्वयं यह निश्चय नहीं कर पाया कि देश के लिये क्या मुनासिब है, भविष्य ही इस बात को बतायेगा कि वह हमारे लिये उचित है या अनुचित। यह भी हमें देखना होगा कि सब लोग समान रूप से इस फेमिली प्लानिंग पर विचार कर रहे हैं या नहीं। सब पहलुओं पर विचार करके हमें देखना होगा कि अगर फेमिली प्लानिंग उचित है तो हमें उसको कानून न अमल में लाना होगा अन्यथा उसको छोड़ देना ही होगा। हमसे कहा जाता है

कि रोज पापुलेशन बढ़ती जा रही है और भोजन की कमी हो रही है, इसलिये फेमिली प्लानिंग की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से यह काम किया जा रहा है, वह एक उपहास का विषय ही है। हम तो जिन्दा रहेंगे नहीं, लेकिन यह भविष्य ही बतायेगा कि इसका असर क्या होगा और भारत की क्या स्थिति होगी। इसके लिये हमें आवश्यक है कि हम इसको अच्छी प्रकार जांचें और भारत को सर्वस्व समझने वाले व्यक्तियों की ओर अपनी आंखें उठा कर देखें। अभी मेरी बातें कुछ फेमिली प्लानिंग वालों से हुईं। उन्होंने बताया कि बूढ़े बूढ़े लोग फैमिली प्लानिंग के लिये आते हैं और उनका उसके लिये इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमको तो अपना काम दिखाना ही पड़ता है। इस पर कम्पाउन्डर, डाक्टर और दलाल को पैसा दिया जाता है। सरकार जो भी काम करती है वह पैसे के बल पर करना चाहती है, हृदय की भावनाओं से कोई काम कराना नहीं चाहती। अगर सरकार फेमिली प्लानिंग पर होने वाले खर्चे को इस समय बंद कर देती तो कितना रुपया इस समय बच जाता और न फिर इतने कर ही उसको लगाने की आवश्यकता होती, न उसको मालगुजारी पर कर लगाना पड़ता और न वह कर लगाना पड़ता जो सरकार ने कल पास कराया।

(इस समय १२ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुए।)

अगर कर आपको लगाना भी था तो केवल युद्ध से संबंधित बातों के लिये कर लगाना चाहिये था, तब हमारा हृदय भी कहता कि सचमुच सरकार ने अच्छा प्रयास किया है और हम भी खुले हृदय से आपका साथ देते। हम भी सोचते कि चाहे हमें एक वक्त खाकर रहना पड़े लेकिन हम अपने देश के लिये यह त्याग तो करेंगे ही। न तो कोई आदर्श उपस्थित किया और न कोई विवेकपूर्ण कदम ही उठाया है। इतना कहने के बाद मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किस बैकग्राउन्ड में आज यह टैक्सेशन बिल हमारे सामने रखा गया? कितनी बड़ी एमरजेन्सी की कल्पना है और क्या इनकी मनोवृत्ति है। जीवन में ३ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन और आवास के संबंस में तो इतना ही कह दूं कि जितनी अधिक मंहगाई बढ़ गयी है इसे मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन आवास के संबंध में जिसके बारे में यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है और जिसके संबंध में मैंने संशोधन रखा है एक बड़ी कठिन समस्या हमारे सामने खड़ी हो गयी है। देहातों में तो इसलिये हो गयी है, जिससे इस विधेयक का कोई संबंध नहीं है कि इन्होंने लैंड का कानून बना दिया है। उस कानून के कारण थोड़ी सी आबादी में गांव घिर गया है। लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं रहा है और उस पर आपने कर लगाने की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों को पूरी छूट दे दी है। जहां तक स्थानीय निकायों का संबंध है, उसके लिये यह बिल प्रस्तुत किया गया है। इसके मूल में हमारी सरकार हमेशा यह कहती है कि हम विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखते हैं। हम लोकल बोर्डस् को अधिकार देते हैं कि वे अपने स्थानीय मामलों को स्वयं निपटायें, उसके शासन को अपने हाथ में ले, लेकिन यह बिल लाकर स्थानीय निकायों के अधिकारों का अपहरण किया गया है।

आज जो उनकी आर्थिक स्थिति है वह यदि देखी जाय तो पता चलेगा कि ९० या ९५ प्रतिशत स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यह उसी समय सुधर सकती है कि जब उनके जितने साधन हैं रुपया प्राप्त करने के उनके ही हाथ में छोड़ दिये जांय। इसके बारे में मैं आपका ध्यान टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन १९५३–५४ की रिपोर्ट के पेज ३६२ के पैरा १५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने सिफारिश की है कि भूमि भवन कर को स्थानीय निकायों के लिये छोड़ देना चाहिये। इसमें लिखा हुआ है कि :—

"The following heads of taxes should be reserved for Local Bodies:
Taxes on lands and building".

लेकिन हमारे सामने जैसा मैंने पहले ही कहा, इस कांग्रेस सरकार ने जितनी कमेटियां नियुक्त की हैं उनकी रिकमेंन्डेशन का ये आदर नहीं करेंगे। इसका भी ये खयाल नहीं करेंगे।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

दूसरी बात हाउस प्रापर्टी पर टैक्स के बारे में समिति का विचार था कि :

"We recommend that in Punjab, too, arrangements should be made to eliminate the duplication and harassment involved in two different authorities being engaged in the assessment of the same set of properties wherever situate, the State Government should accept the Municipal assessment and wherever necessary arrangement may be made the other way round i.e. the State Government's valuation should be the basis of the Municipal Tax."

जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेशीय सरकार को म्युनिसिपल असैसमेंट को मान लेना चाहिये, लेकिन हाउस पर टैक्स लगाने का अधिकार म्युनिसिपैलिटी पर ही छोड़ देना चाहिये। यह होते हुए भी हमारी सरकार ने यह अधिकार स्थानीय निकायों से ले लिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो दूसरे व्यक्तियों के हाथ में हैं, उनको भी सरकार चाहती है कि अपने आप खुद हाथ में ले ले। मैं तो ऐसा समझता हूं कि मध्यम वर्ग ही ऐसा है जो मकानों में रहता है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हटकर शहरों में जा रहे हैं क्योंकि खेती ही उनके जीवन का आधार नहीं हो सकता है। आज १६ या १८ परसेन्ट भिन्न भिन्न म्युनिसिपैलिटीज ने मकानों पर टैक्स लगाया है। उसके अलावा हमारी सरकार ने १० परसेन्ट टैक्स लगा दिया। तो जो सरकार ने टैक्स लगाया है उसको अदा करने की उनकी क्षमता नहीं है। तो एक टैक्स जो व्यक्ति दे नहीं पा रहा है वह कैसे इसको दे पायेगा? सरकार ने अभी हाल में आदेश दिया है कि जो कर म्युनिसिपैलिटी को देय हैं अगर उनको वसूल नहीं किया गया तो म्युनिसिपैलिटी जब्त कर ली जायगी। अव्वल तो पहले ही जो टैक्स लगा हुआ है उसको जनता दे नहीं पाती है, और उस पर से आदेश भी दिया जाता है, उसके अलावा आप एक और दूसरा टैक्स लगाने का विधेयक ले आये।

इस संबंध में मैं कहना चाहता था, मैंने क्यों कहा कि इसको जनमत के लिये भेज दिया जाय क्योंकि जो लोग अभी टैक्स नहीं दे पा रहे हैं उनके खिलाफ कुर्की हो रही है, लेकिन अगर यह भी बढ़ गया तो उनको और मुश्किल हो जायगी। दोनों पक्ष जो मकान बनवाते थे और जो टैक्स देते थे उन पर भी असर है। आप कहते हैं कि केवल बिजनेस क्लास के लोगों पर लगाने के लिये यह बिल लाये हैं और वह भी जो फैक्ट्रीज चलाते हैं और जो मध्यम या छोटे उद्योग वाले लोग हैं उन पर टैक्स नहीं लगायेंगे। लेकिन कहने को सरकार कुछ भी कहे, पर जो विधेयक आया है और जो उसका अमल होगा उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार की गरीबों को टैक्स से मुक्त करने की प्रवृत्ति नहीं है। वैसे कह देंगे कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो फैक्ट्रीज हैं उन्हीं पर यह कर लगेगा; २, ४, ५ सौ रुपये जिसकी आमदनी होगी उस पर टैक्स नहीं लगायेंगे, ऐसा न कर सबको लपेट लिया।

विधेयक में लिखा गया है कि सरकार जिस प्रकार गजट में नोटीफाई करे उस प्रकार २५ परसेंट तक वसूल कर सकती है। आज तक तो १० परसेंट तक का इनको अधिकार था, लेकिन लगाया ५ परसेंट ही और वह भी वसूल नहीं हो पा रहा है। लेकिन १० परसेंट से भी उनको संतोष नहीं हुआ। अब २५ परसेंट तक जा रहे हैं और कहते हैं कि केवल फैक्ट्रीज पर लगा रहे हैं। केवल उद्देश्य में लिख दिया। लेकिन जो इंटरप्रेट करेगा उसको वह यही करेगा कि २५ परसेंट तक उसको सब पर बढ़ा सकते हैं। जरा नीयत, श्रीमन्, देखिये कितने धीरे से कह दिया कि यू० पी० टेम्पोरेरी रेंट कंट्रोल और एविक्शन ऐक्ट, १९४७, के अन्तर्गत उन पर लागू करने के लिये कहा। क्यों आपने ऐसा कहा? गरीबों के प्रति कितने सचेत हैं, आप को उसका प्रमाण दे रहा हूं। जो सरकार १९४७ में थी उसने यह कानून इसलिये बनाया था कि शहरों में कम तनख्वाह वाले, फिक्स्ड इन्कम के लोग अधिकतर रहते हैं अतः मालिक मकान को अगर स्वच्छन्द छोड़ दें तो दफा १०६ टी० पी० ऐक्ट में नोटिस दे कर मकान मालिक उनको

बेदखल कर देंगे और नयी शर्त लगायगे कि हम ज्यादा किराया लेंगे। इसलिये रेंट कंट्रोल ऐक्ट आया था और उससे लोगों को राहत मिली थी, जितने भी मकान १९५३ या १९५१ से पहले के बने हुए हैं उन पर वह ऐक्ट लागू हुआ। तो उससे एक निश्चितता किरायेदारों की मिली थी। इन्होंने कहा, आराम हमने दिया हम ही तुमसे रुपया लेंगे चाहे जीवन की सभी आवश्यक चीजों के दाम बढ़ जांय, लेकिन हम तो पैसा इसलिये वसूल करेंगे कि हमने आपको सुविधा दी। मैं आपसे, श्रीमन्, सच कहता हूं कि इससे मध्यवर्ती पिस जायगा क्योंकि मकान वाले भूमि भवन कर, म्युनिसिपल टैक्स, आपका २५ परसेन्ट बढ़ा हुआ वही देगा। कानून में अगर आप लिख दें तो विश्वास होता। लेकिन आपने मिडिल क्लास और छोटे कारीगरों को हिट किया। आप कहते हैं कि हथकर्घा वाली चीजें बहुत बढ़ाना चाहते है लेकिन उनके लिए इससे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ लिमिट लगा देते तो भी आप पर विश्वास किया जा सकता था। मैं पूछता हूं कि बड़ी फैक्ट्रीज कितनी होती है नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया या म्युनिसिपल एरिया में। ये तो ज्यादा कार्पोरेशंस में होती हैं। आज आप इस विधेयक से छोटे-छोटे कारीगरों, कम तनख्वाह, परिश्रम करने वाले और श्रम जीवी जितने है उनको मारा है। माननीय गेंदा सिंह जी यहां नहीं हैं। मैं कल पढ़ रहा था। माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा नौ रत्नों में से हैं, उन्हीं ने यानी माननीय गेंदा सिंह ने कहा था कि सरकार झुकती कहां है। यह हर जगह नहीं झुकती, बल्कि चांदी वालों के सामने झुकती है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि यह सरकार बहुत कहती है कि हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन २० साल में भी कुछ नहीं कर पायी जबकि १८ साल में बालक बालिग हो जाता है, लेकिन सरकार बालिग नहीं हो पायेगी। इस मामले में इसको क्या कहा जाय, खुद समझिये। माननीय गेंदा सिंह के कथनानुसार यह विधेयक विवेकहीन है, किसी को नहीं छोड़ा। छोड़ा बड़े लोगों को। एक बड़ी भारी समस्या हो जाती है, कांग्रेस सरकार ही टैक्स लगा रही है तो आवास की समस्या सरकार के सामने बहुत बड़ी है। १९६१ में किसी स्टेटमेंट में यह निकला था कि लगभग ७.८ मिलियन यूनिट्स ऐसे मकान रह जायेंगे जो इस सरकार को बनाना पड़ेंगे। हम शिकायत करते हैं कि देहात में काम करने वाले नहीं रह गए हैं, सब शहरों में चले गए हैं जिससे शहरों की आबादी बढ़ रही है। अब यह समस्या कैसे हल करेंगे यह इनका काम है। १८ साल में इन्होंने हर समस्या को मल्टीप्लाई किया चाहे कोई भी समस्या हो, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय। एक प्रश्न किसी सज्जन ने किया था कि आवास के लिए केन्द्रीय सरकार ने जो रुपया दिया क्या सब इस्तेमाल हो गया? कई लाख रुपया लैप्स कर गया और आवास बने ही नहीं। माननीय सुशीला जी बतायें कि कानपुर की क्या स्थिति है। मकान बना नहीं पाए, लेकिन टैक्स इनको जरूर चाहिए। टैक्स का पहला सिद्धान्त है कि हम बड़े आदमियों से टैक्स इसलिए लेते हैं कि वे सारे समाज से लाभ उठाते हैं और उनसे पैसा ले कर गरीब को सुख सुविधा देते हैं। सरकार उनकी रक्षक है। बड़े आदमी के पास इतने साधन हैं कि वह जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, लेकिन आपने कौन सी अमानत दी? कहां म्युनिसिपैलिटी में मुफ्त शिक्षा दी, मुफ्त दवा दी और रहने की व्यवस्था की? कहीं भी नहीं, लेकिन बराबर टैक्स लगाए जाइए। वही स्थिति समझ लीजिए जैसे सोने की मुर्गी थी और उसकी कहानी सभी को मालूम है। इस विधेयक को देख कर सब लोग कांप उठे हैं। उस समय भी सारे प्रदेश में एक आन्दोलन छिड़ गया था इस विधेयक के बारे में। लाखों आदमियों ने भूख हड़ताल की। कितने आदमियों ने इस सदन के सामने धरने दिये, केवल इसलिए कि वे असन्तुष्ट थे। आज सरकार आवास बनाएगी नहीं और जो आवास बनाने वाले हैं वे भी प्रोत्साहित किये नहीं जायेंगे तो मकान की, आवास की समस्या सुलझेगी कैसे? एक किसी मकान का हिसाब लगा कर आप बैठ जाइए। १० हजार रुपये में जितना मकान बनता है उसमें कितना म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, कितना आप का टैक्स देना पड़ता है, उन दोनों को जोड़ लीजिए तो उसके बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर आपने १० हजार रुपये कर्ज ले कर मकान बनाया है और उसे अगर किराए पर भी दें तो मकान का कर्जा आप पे नहीं कर सकेंगे और मकान कर्जे के नीचे चला जायगा। आप ने मकान

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

बनाया नहीं। आपको मकान के लिए धनराशि दी गयी, लेकिन आपने लैप्स कर दिया क्योंकि आपको नैनीताल से फुर्सत नहीं थी। आपको गरीबों के मामलों पर विचार करने के लिए फुर्सत कहां? आपने यह भी नहीं किया कि जो साधन सम्पन्न लोग हैं उनको आप मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन देते, जिनके पास रुपया छिपा हुआ है, बैंक में है वे अपना रुपया मकानों में इन्वेस्ट करते और लोगों की आवास की समस्या हल होती, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया।

रोज आप देखते हैं लखनऊ में सड़कों पर, पार्कों में लोग सोते हैं। टैक्स आप लेते चले जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, जानकार लोग बतलाएं कि आज दुनिया में कहीं ऐसे आदमियों से टैक्स लिया जाता है जो लकड़ी चारों तरफ घेर कर और सिरकी ऊपर से डाल कर रहते हैं? ऐसे आदमियों पर टैक्स लगता होगा तो वह हिन्दुस्तान में लगता है या कांग्रेस सरकार के अन्दर लगता है जो हुकूमत यह कहती आई है कि हम रोटी, कपड़े और मकान का प्रबन्ध पहले से करेंगे। यह सरकार तो नीचे से ही जड़ काट रही है। जीवनभर के लिए रोटी के लिए दूसरे के सामने हाथ पसारना होगा। संकट काल में अगर बन्द कर दिया तो क्या होगा? कपड़े की स्थिति यह है कि कमाओ तो कपड़ा मिलेगा। लेकिन काम आप देंगे नहीं, पैसा आयेगा नहीं, तो कपड़ा वह गरीब खरीद सकता नहीं। जहां तक मकान की हालत है वह सब जानते ही हैं। उस गरीब को छोड़िये, बाबुओं को ही ले लीजिये चाहे कचेहरी में काम करता है या किसी अन्य आफिस में। मेरे रिश्तेदार के एक रिश्तेदार थे। उनके पास एक बार गया था। मेज पर बिछा कर चाय उन्होंने बना दी। मैंने उनकी लड़की के बारे में पूछा कि कहां है। उन्होंने कहा कि घर में है। तब उन्होंने विपत्ति बतलाई। यह जो कोट पैंट पहनने वाले सफेद पोश बाबू हैं वह केवल दफ्तर और इस सरकार की मर्यादा को रखने के लिए कर्ज ले कर ऐसा कर पाते हैं। बीबी तो घर में रहती है ऐसे कपड़े पहने रहती है कि हर एक के सामने नहीं आ सकती। अलबत्ता जब बाहर जायगी तो अच्छे कपड़े पहनेगी केवल मर्यादा रखने के लिए। गरीब भी चप्पल पहनने लगा है चाहे मोटर के रबड़ का सोल हो।

कहा गया कि अरवा और भुजिया का भाव एक हो गया है तो गरीब भी आज अरवा खाने लगा है। दोनों को बराबर कर दिया गया है। यह नहीं कहा कि दोनों की तादाद कितनी थी। आज वह सफेद चावल खाता है तो कांग्रेस के एक सज्जन कहने लगे कि यह कितने मजे में है कि सफेद चावल खा रहा है। यह श्रीमन्, कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कौन सा तरीका है कि हम छोटे-छोटे उदाहरण देकर इस कांग्रेस सरकार को सन्तुष्ट कर सकें। आज मध्यम वर्ग पिस रहा है। आपने क्यों नहीं अपनी तरफ से मकान बनाये? एक स्कीम चली थी पी० ए० सी० में आप भी थे और मैं भी था तो एक प्रसंग आया था। उसमें सरकार ने कहा था कि हम सीमेंट देंगे, लकड़ी देंगे और कर्जा देंगे। लोग अपने-अपने मकान बनायें। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इस सरकार के कागजी घोड़े दौड़ते रहे और उस पर २/४ लाख रुपया खर्च हो गया। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कोई प्रबन्ध यह सरकार नहीं कर पाई। केवल एक मखौल कर दिया। केन्द्रीय सरकार चाहे कितनी भी इनको मदद दे, लेकिन यह सरकार उसको कार्यान्वित नहीं कर पाती। यदि मैं कहूं तो यह शायद नाराज हो जायं कि इनको आपसी झगड़े से ही फुर्सत नहीं है। इनका इधर ध्यान ही नहीं है।

जब यह सरकार गरीबों की भलाई नहीं करना चाहती है तो इसको टैक्सेशन लगाने का क्या औचित्य है? एक बात समझ में आती है कि इनके जो विधि विशेषज्ञ हैं, उनके कानूनी सलाहकार हैं, वे बिल बना देते हैं और मिनिस्टर को लकड़ी कपड़ा देते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नियम बने हुए हैं चाहे उनमें बीसियों बार संशोधन करना पड़े। मैं इस समय इसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन वह लकड़ी कपड़ा देते हैं और कह देते हैं कि वह यही कहेंगे और वास्तविकता की बात नहीं आयेगी। जो कानून बनाते हैं उनको मकान से क्या दिलचस्पी है?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जरा माननीय त्रिपाठी जी, हमें भी समझा दें। वे चेयर को ही समझा रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं तो, श्रीमन्, आपकी तरफ देख रहा था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप ठीक कर रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, उनकी समझ में वह बात नहीं आएगी जो जनहित में होगी। ऐसी दशा में यह उनकी प्रवृत्ति उनकी नहीं है बल्कि यह सरकार की प्रवृत्ति है। श्रीमन्, सोए हुये को जगाया जा सकता है, लेकिन जागते को नहीं जगाया जा सकता है। मैं यह कह रहा था कि आज स्थिति यह है कि यह सरकार गरीब का भला नहीं कर सकती है या करना नहीं चाहती है। उसके हाथ से नाव छूट चुकी है। आज जन मानुष आपके टैक्सों से परेशान है और कोई भी आदमी इन चारों विधेयकों को पसन्द नहीं कर रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्थिति में सरकार इस बिल को लाई है जबकि हमारे और आपके मुताबिक स्थिति बड़ी गम्भीर है। हम सबका सहयोग चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सबका मनोबल बढ़े। ऐसे टैक्स लगाने चाहिए जो वसूल हो सकें और ऐसे लोगों पर लगें जो दे सकें। यदि आप इकोनोमी करें तो इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जनमत के लिए घुमाया जाय।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नगर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५, को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश की हालत को देख कर सरकार ने जो योजना बनाई है वह मेरी समझ में कुछ नहीं आई है। आज सारे देश का गरीब वर्ग संकट के मौके पर खड़ा है। इस मौके पर सरकार ने पूरी जनता के खिलाफ, मध्यम श्रेणी, मजदूर और किसान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। एक बिल किसानों का लगान बढ़ाने के लिए आया और दूसरा भूमि भवन कर आया। मन्त्री जी ने कहा कि भूमि भवन कर मालिक मकान पर आयेगा। यह गलत बात है। यह सीधा मध्यम वर्ग के लोगों और मजदूर वर्ग के ऊपर आएगा जिनकी हालत शहरों में पहले से खराब है। एक ड्राइवर की दस रुपये तनख्वाह बढ़ी और दूसरी तरफ भूमि भवन कर लगा दिया। किसी सरकारी कर्मचारी के दो चार रुपये बढ़े। नया टैक्स लगा कर उसका दुगना पैसा काट लिया। आज शहरों में जो मौजूदा दस परसेन्ट टैक्स है वही लोग नहीं दे पा रहे हैं।

आज महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रुपये की कीमत सोलह नये पैसे के बराबर है। सात गुने से ज्यादा मंहगाई बढ़ गयी है। मकानों की हालत यह है कि कानपुर में जो मकान तीन चार रुपये का था वह २५ रुपये के नीचे नहीं मिलता। सुचेता कृपालानी जी तीन साल पहले गयी थीं मजदूरों की कालोनी में। उस वक्त मजदूरों ने रिप्रेजेंट किया था कि दस रुपया किराया ज्यादा है और पानी बिजली का और पड़ता है। उन्होंने वादा किया था कि हम ८ रुपये कर देंगे। बजाय कम करने के तमाम लोगों पर नया टैक्स डाला जा रहा है। इसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

तीन परिणाम होंगे। एक परिणाम यह होगा कि लोग किराया नहीं दे पायेंगे, ज्यादा मुकदमेबाजी चलेगी। दूसरे मकान शहरों में पहले से ही कम हैं। मैं तीन साढ़े तीन साल से मकान के लिए कोशिश कर रहा हूं। मुझे मकान नहीं मिला, जिस आदमी को लोग जानते हैं, एम० एल० ए० होने से पहले भी जानते थे और अब भी जानते हैं। नये मकान का किराया नहीं दे सकते। डेढ़ सौ सवा सौ रुपये दो कमरे का किराया। जो पुराने मकान अलाटमेंट वाले हैं वह किसी को मिलेंगे नहीं। आम आदमी को मकान मिलना असम्भव है। लेबर कालोनी के मकान मजदूरों के लिए हैं, लेकिन ४० परसेन्ट उनमें गैरमजदूर रहते हैं इस लिए कि वह सस्ते हैं। सरकारी कर्मचारियों को वह मकान मिलने लगे हैं। तो शहरों में मकानों की बहुत बड़ी प्राब्लम है। मुझे खुशी होती अगर सरकार किराये के नये मकान बनवा देती। वह किया नहीं। उल्टे मकान का किराया बढ़ाने का इन्तजाम कर दिया। यह सीधा किरायेदार पर पड़ता है।

पिछली बार जब बिल आया था और बहस मुबाहिसा हुआ था तो माननीय मिनिस्टर ने कहा था कि जो सरकारी भवन हैं उनके ऊपर यह नहीं पड़ेगा। मन्त्री जी ने यहां यही कहा, लेकिन बाद में क्या हुआ? लेबर क्वार्टर जो सरकारी बने हैं, जिनमें गरीब मजदूर किराये पर रहते हैं, उस पर झगड़ा खड़ा हो गया। हम लोग डेपूटेशन लेकर कलेक्टर के पास मिलने गये और यहां हाउस में भी प्रश्न मैंने उठाया कि आपने क्या कहा था और क्या हो रहा है तो मुझे जवाब दिया गया कि लीगल डिपार्टमेंट की यह राय है कि चूंकि यह किराये पर उठे हैं, इसलिए इस पर भूमि भवन कर लागू हो सकता है। इस तरह से हजारों गरीब मजदूरों पर आपके आश्वासनों के विपरीत यह कर लागू हो गया। मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार को योजना के लिए रुपया चाहिए, किन्तु उसके लिये जो कदम उठाये जाते हैं वे बिल्कुल उलटे ही होते हैं।

फाइव ईयर प्लान में कितना रुपया खर्च होगा? मान लीजिए ४०० करोड़ रुपया खर्च होगा, यानी ८० करोड़ रुपये साल में इसके लिए चाहिए। इस रुपये को जुटाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाये जायें, इसे आपको विचार करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप इकोनामी करें, ऐडमिनिस्ट्रेशन पर जो भारी खर्च है उसे कम करें और लोगों से सलाह लीजिए। पूंजीपतियों और करोड़पतियों पर सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स का जो कानपुर में ही करोड़ों रुपया बाकी पड़ा है उसे आप सख्ती से वसूल कीजिए। लेकिन आप उनके पास नहीं जायेंगे, आप भागेंगे। किसानों के पीछे डंडा लेकर या मध्यम श्रेणी के लोगों या मजदूरों के पीछे डंडा लेकर भागेंगे, मेरी समझ में नहीं आता यह कौन-सा पुनर्निर्माण का आपका तरीका है। निर्माण का मुख्य ध्येय यही होता है कि जनता का वेलफेयर हो, उनकी हालत सुधरे, उनको खाने को मिले और रहने के लिए साफ सुथरे मकान मिलें, लेकिन आप उसके विपरीत बात कर रहे हैं। खाने की बात यह है कि दिन पर दिन मंहगाई विकराल रूप से बढ़ती जा रही है और मजदूरों और सरकारी नौकरों को लड़ने झगड़ने के बाद जो आप दो-चार रुपये देते हैं, उसे भी नये-नये टैक्स बढ़ाकर छीन लेते हैं और उनके पास से भी ले लेते हैं। इस तरह से वह बराबर हो जाते हैं और घाटे में भी पड़ जाते हैं। रहने के लिए भी यही हालत है, दोनों चीजों की यही हालत है। उसके ऊपर नया कर लगाकर यह जो थोड़ी बहुत हालत थी उसको और आप बिगाड़ने जा रहे हैं। पैसे वाले जो हैं, उनसे आप पैसा लीजिए। मुझे बड़ा दुःख है कि एमर्जेन्सी और प्लानिंग के नाम पर आप यह जुल्म मध्यम वर्ग और मजदूरों पर कर रहे हैं।

इसी एमर्जेंसी के समय में १४ तारीख को लेबर मिनिस्टर साहब कानपुर में गये और उन्होंने मजदूरों की एक मीटिंग बुलाई और एक मिल मालिकों की भी मीटिंग बुलाई। यह मीटिंग इसलिए बुलाई गयी कि इस समय एमर्जेन्सी है और लड़ाई के लिए रुपया चाहिए। मजदूरों की मीटिंग में हम लोगों ने कहा कि हम एक दिन का पैसा, जो दो तारीख को सवेतन

छुट्टी होगी, उसका देंगे। सूती मिलों के मजदूरों का करीब साढ़े चार लाख रुपया और कानपुर के कुल मजदूरों का करीब ९-१० लाख रुपया बनता है। बिना हमने मिनिस्टर के किसी प्रस्ताव के रखे खुशी से एक दिन का वेतन आफर किया। उसमें कहा गया कि मजदूरों और मालिकों की मीटिंग इसीलिए की गयी है कि देखें मजदूरों ने इतना दिया है तुम मालिकान कितना दे रहे हो। जब मीटिंग हुई तो उसमें कानपुर के बड़े-बड़े मालिक मौजूद थे, उसमें मिनिस्टर साहब ने कहा कि मजदूरों ने इतना रुपया देने का वादा किया है तुम कितना दे रहे हो। उस मीटिंग में जब जयपुरिया साहब बोले तो उन्होंने रुपये का उसमें कोई जिक्र नहीं किया, तो मैंने खड़े होकर पूछा कि मीटिंग किस परपज के लिए हो रही है, आप कितना रुपया दे रहे हैं। उसके बाद आई०सी० के चेयरमैन बोले। उन्होंने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, किसी ने यह भी नहीं कहा कि हम एक फूटी कौड़ी देंगे। इस बात पर जिलाधीश का कम्यूनिक भी इश्यू हुआ, लेकिन उसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। जिनके पास पैसा है उनसे मांगने से नहीं मिलता है तो कायदे कानून बनाइये। जिनके पास बड़े-बड़े मकान हैं, उन पर टैक्स लगाइए। पद्मपत सिहानिया पर लगाइए जिनके घर के प्रत्येक मेम्बर के पास ४-४, ५-५ बंगले हैं या जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उन पर लगाइए। यदि किसान पर ही लगाना है तो २, ४ और १० बीघे वाले छोटे-छोटे किसानों पर न लगाकर ५०-१०० बीघे वाले मोटे-मोटे किसानों पर कर लगाइए। जिनकी लाखों रुपये की मासिक इन्कम है उन पर लगाइए।

पुनर्निर्माण करना है तो उसका बुनियादी सिद्धान्त यह है कि जो आदमी निर्माण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दे सकते हैं वे दें। जो जो चीज दे सकता है वह वह चीज दे। किसानों ने अपने बेटे दिए जो फ्रन्ट पर लड़ रहे हैं। वे टाटा, बिड़ला, सिहानिया और रामरतन गुप्ता के लड़के नहीं हैं। वे किसानों के बेटे हैं जो देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। किसान ने अपने बेटे दिये और मजदूर आदमी जी जान से कारखानों में मेहनत कर रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम उत्पादन दुगुना करेंगे। जिसके पास जो है वह लीजिए। मजदूरों के पास मजदूरी है, मेहनत है उनसे मजदूरी और मेहनत लीजिए। जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लो, लेकिन उनसे नहीं बिगाड़ते हो। क्या उनसे कोई तुम्हारी रिश्तेदारी है? क्या चुनाव के लिए उनको छोड़ रखा है? गरीब आदमियों को रगड़ते चले जा रहे हो। पहले ५ परसेन्ट बढ़ा लिया फिर १० परसेन्ट कर दिया और अब २५ परसेन्ट कर दिया। भले आदमी किसी को जिन्दा भी रहने दोगे या नहीं। अगर उन्हें जिन्दा नहीं रहने दोगे तो वे रक्षा कैसे करेंगे? आप चलो कानपुर में मेरे साथ देखो जो मध्यम श्रेणी के लोग कानपुर में रहते हैं उनकी क्या हालत है। सौ पचास लोगों से बातें कीजिए। एक आदमी भी मिल जाय जो यह कहे कि हमारी हालत ठीक है तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करूंगा। जो लोग परेशान हैं उन्हीं के ऊपर परेशानी डालना आपने यही तरीका अख्तियार किया है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन आप उन पार्टियों के हाथ में खेल रहे हैं जो योजना का विरोध करती हैं जो कहती हैं कि प्लानिंग नहीं होनी चाहिए जो पब्लिक सेक्टर के खिलाफ हैं। आप उनको आगमेंट देते हैं यह कहने के लिए भइया ऐसी प्लानिंग से हम बाज आये। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि आप शहरों में जाइये मजदूर से, किसान से, मध्यम श्रेणी के लोगों से, सरकारी कर्मचारियों से और टीचरों से पूछिए। वे कहेंगे कि माफ कीजिए अपनी प्लानिंग से हमारी चमड़ी मत उधेड़िये और अगर यह नहीं कहें तो मुझे जो समझ में आवे कहियेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आपका मन्त्रिमण्डल फिर बैठेगा और फिर से विचार करेगा कि प्लानिंग के लिए कितने रुपये की जरूरत है और कहां से पैसा मिल सकता है जहां से हम अपने साधन जुटायें। करोड़ों रुपया आज आप अनुदान देते हो, लेकिन वह सब बेकार जा रहा है। न कोई कारखाना बन रहा है और न कोई फैक्टरी लगेगी, सिर्फ कारखाने का नाम लिया और सब रुपया घोंट गये। माफ करना, आपका लाखों रुपया बरबाद होता है उसको बचाइए। तो कौन कौन से साधन हैं जिनसे हम रुपये बचा सकते हैं, इकोनामी कर सकते हैं और जो बेस्टफुल एक्स-पेंडीचर हैं उनको रोक सकते हैं, पहली बात तो यह होनी चाहिए।

[श्री संतसिंह यूसुफ]

आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो उससे मालूम हुआ कि इस लड़ाई में हमारे ७५ आफिसर मारे गये हैं जब कि पाकिस्तान के २२ आफिसर मारे गये हैं। इससे मेरे मन में एक उत्साह पैदा हुआ कि हमारे आफिसरों ने मोर्चे पर आगे जाकर बढ़ने का एक आदर्श रखा ताकि दूसरे सिपाही भी उनका अनुकरण करें। यह नहीं कि हमारे मन्त्री लोग तो मजे कर रहे हैं और जनता मर रही है बल्कि हमारे इन नौजवानों ने अपनी जान को आगे रखा, जिससे औरों में भी उत्साह पैदा हुआ। उसी तरह से आप भी कुछ मिसाल रखें, अपने जीवन सम्बन्धी कुछ खर्च कम कीजिए, अपनी ऐय्याशी कम कीजिए। आखिर किसी न किसी मिनिस्टर के खिलाफ पर्चेबाजी क्यों होती है? इस तरह की बातें बन्द कीजिए। आप भी कोई आदर्श पेश कीजिए ताकि जनता भी समझे कि हमारे मिनिस्टरों ने फलां खर्चा कम किया है इसलिए हमको भी अपने खर्चे कुछ कम करने चाहिए। यह न करके आप अपना खर्चा बढ़ाते जायं ऐश आराम और रंगरलियां भी बढ़ाते जायं और दूसरी ओर गरीब जनता पर कर का बोझ पड़े; तो यह मामला नहीं चलने वाला है। आप अपने यहां इकोनामी कीजिए और जिसके पास इफरात रुपया है उससे टैक्स लीजिए। अगर आप इफरात पैसे वालों से पैसे न लेंगे और गरीब जनता से पैसे लेना चाहें तो मैं आपको बतला दूं कि सीज फायर हो जाने के एक डेढ़ महीने बाद ही आपको अपने यहां के गरीब किसानों और मजदूरों का सामना करना पड़ेगा और फिर लाठी, डंडे से काम चलाना पड़ेगा। आज जो लोगों में सद्भावना, उत्साह और एकता बनी हुई है उसका अगर आप सही इस्तेमाल करें और ठीक तरीका अख्तियार करें तो मेरे खयाल से आपको पैसा भी मिलेगा और आपका निर्माण-कार्य भी चलता रहेगा। अभी तो लोग समझ रहे हैं कि सीज फायर अभी हुआ है इसलिए कुछ करना ठीक नहीं है, लेकिन जहां लोगों के मन से यह परेशानी खत्म हुई, लोगों के सामने १०-१५ दिन के बाद ही रियल प्राब्लम आफ लाइफ आएगी जो मंहगाई, तनख्वाह, नौकरी और बोनस वगैरह से सम्बन्धित होगी। ऐसी हालत में अगर आप गरीब लोगों पर टैक्स बढ़ाते जायेंगे तो लोगों के मन में यही आयेगा कि सरकार जो कुछ भी कहती है उसके विपरीत बात करती है। इस तरह की चीजें आपकी मदद करने वाली नहीं होती हैं। इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, हमारे मन्त्रिगण इस पर सोचें। हमारी तारा जी तो कानपुर की ही हैं, वे जरा कानपुर के अन्दर ही अपनी कांस्टीटुएंसी में घूम कर देखें...

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यक्तिगत बातचीत यहां न करें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

मैंने उनके लिये कोई गलत बात नहीं कही है। मैंने तो यही कहा कि वे अपनी कांस्टीटुएंसी में जरा घूम कर देखें तो उनको वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जायगा। उनके लिये मैं कोई बुरी बात नहीं कह सकता हूं क्योंकि उनको मैं खास तौर से जानता हूं और उनके प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है। ४०-४५ वर्ष तक हम लोगों ने मिल जुल कर एक साथ काम किया है। आखिर में मैं फिर एक मर्तबा यह कहता हूं कि सरकार को इस बिल को वापस ले लेना चाहिये और नहीं तो जिस प्रकार की देश में स्थिति है उसको देखते हुये इसको प्रवर समिति में भेज देना चाहिये।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने इन दिनों ४ विधेयक आये जिनके द्वारा कर बढ़ाने की बात का प्रस्ताव है। उनमें से एक यह है। जो कर हमको बताये गये हैं या जो एम्स ऐण्ड आब्जेक्ट्स में उद्धृत हैं वह दो केटेगरीज में आते हैं। एक तो इमरजेन्सी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यानी युद्ध से पैदा हुई स्थिति के द्वारा और दूसरी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये साधन जुटाना। मान्यवर, जहां तक इमरजेन्सी का सम्बन्ध है, वह स्थिति तो देश में यकायक पैदा हो गई जिसके ऊपर हमारा काबू नहीं था। वह पैदा हुई हमारे पड़ोसी देशों के षड़यंत्र से। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि वह समाप्त हो गई। परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि वह समाप्त हो गई है। आज भी वह स्थिति हमारे देश में है। उसके लिये हमको जागरूक रहना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि हम चौथी योजना के लिये साधन जुटायें। मैं ऐसा समझता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि इमरजेन्सी का मुकाबला करना। कोई देश और राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता जब तक वह अपनी प्लानिंग को सफल न बनाये अपनी योजनाओं के अनुसार। यह मानी हुई बात है कि इसके लिये हमको टैक्स लगाना पड़ेगा। इससे हमारे लिये कोई बचत नहीं है। लेकिन, मान्यवर, इमरजेन्सी में और चौथी योजना में अन्तर है। इमरजेन्सी में हम आंख मूंदकर सरकार के हर प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, लेकिन चौथी योजना को इमरजेन्सी के स्थान पर नहीं रख सकते चाहे देश के भविष्य को हम कितना भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हों और आवश्यक मानते हों तब भी। यह मुझे ऐसा लगता है जैसे "कार्ट पुटिंग बिफोर दि हार्स"। हम यह समझते थे कि चौथी योजना के ऊपर, जिस पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है, इस सदन में विचार होगा। उसके लिये तिथि भी निश्चित हो गई थी। छपे हुये कार्यक्रम में भी वह रख दिया गया था, लेकिन उस पर विचार करने का मौका नहीं आया कि उस चौथी योजना का क्या आकार होगा, क्या नकशा होगा और कितना व्यय उसके लिये आवश्यक होगा। इसके लिये इस सदन को विश्वास में नहीं लिया गया। सदन को अपनी राय प्रकट करने का मौका नहीं दिया गया। उसका अवसर न मिलने पर भी सरकार साधन जुटाने के लिये अपने प्रस्ताव लेकर हमारे सामने आ जाती है।

मान्यवर, एक पुरानी कहावत है कि जब दर्जी कपड़े सिल कर लाता है तो उसमें खराबी देखने की कुछ आदत होती है। आज हमारा कोई प्रश्न नहीं है। हम कोई हैसियत नहीं रखते। उत्तर प्रदेश की सात करोड़ जनता सरकार से यह जानना चाहेगी कि आप के कोट में कहीं कोई खराबी तो नहीं है। तीसरी योजना के अन्तिम चरण में हम गुजर रहे हैं और हमें बड़ी लज्जा और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन योजनाओं के द्वारा जनता में वह आस्था और श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सके जो कि हम अपेक्षा करते थे। आज जनता में हमारी योजनाओं के प्रति वह उत्साह नहीं है जो कि उसमें होना चाहिये या जब हमने पहले योजनाओं की घोषणा की थी उस समय जो उत्साह जनता में था वह आज नहीं है। उस समय हमने घोषणा की थी कि इन योजनाओं को बना कर हम अपने देश को समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आप देखें कि इन योजनाओं का लक्ष्य क्या है। योजना चाहे जैसी हो, जब तक हम लक्ष्य को पूरा न कर पायें वह विफल ही रहती है। अपनी योजना का लक्ष्य है जनता की समृद्धि को बढ़ाना और इसका छोटा सा मापदण्ड हो सकता है कि हम पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में देखें कि हमने जनता की कितनी आय बढ़ायी है, एक आदमी की देश और प्रदेश में कितनी आय बढ़ी है। मान्यवर, लज्जा से सिर झुक जाता है यह कहते हुए कि हम उत्तर प्रदेश में योजना के द्वारा बजाय आय बढ़ाने के आय घटाने में ही सहायक हुए हैं। आप देखें कि जो पुस्तक बांटी गयी है उससे पता चलता है कि १९६२-६३ में हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय घटी है। इस साल में सारे देश की जो औसत आय थी वह ३३० रुपया प्रति व्यक्ति थी जब कि हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय २४० रुपया थी। तीसरी योजना के अंत तक हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय २५५ रुपया हो जायगी। इससे हमें सबक लेना चाहिये और अधिक साधन जुटाने चाहिये। लेकिन, श्रीमन्, इसके दूसरे माने भी निकलते हैं। हमारी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में एक दोष यह भी रहा है कि जिसके कारण हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सके। जनता से आपने धन मांगा, वह उसने दिया, अपना पेट कसा और वह इसलिये कि हमको बुराइयों से, गरीबी से मुक्ति मिले। हम जनता से आशा भी करते हैं और हमें वह देगी भी, लेकिन हमको चाहिये भी कि हम जनता को उसके बदले में जो वह हमसे अपेक्षा करती है उसे पूरा करें।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

तीन योजनाओं के बाद हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गयी है और हमें आशा थी कि तीसरी योजना के बाद, चतुर्थ योजना के लिये साधन जुटाने से पहले हम प्रदेश में एक वातावरण उत्पन्न करेंगे। पिछली बार इमरजेंसी के अवसर पर जब जनता पर टैक्स लगाये गये थे तो जनता में एक भावना पैदा करने का प्रयत्न किया गया था और उसे कहा गया था कि यह टैक्स इसलिये लगाये जा रहे हैं, लेकिन दुख है कि इस इमरजेंसी में हम इतनी बाधाओं को लांघ कर भी आपका साथ देते हैं फिर हमें सोचना है कि हम कितने जनता में मनोबल पैदा करेंगे। जनता में वातावरण पैदा करना तो दूर रहा, इस सदन के सदस्यों को भी विश्वास में नहीं लिया गया। न सामूहिक रूप से, न व्यक्तिगत रूप से, न पार्टियों में या किसी छोटे समूह में बैठकर कोई वार्ता हुई, न इस सदन में वार्ता का अवसर आया। इन सारे अवसरों को लांघ कर एक साथ हमारे सामने कर के विधेयक आ गये। मान्यवर, मैं इसको अनुचित समझता हूं और मैं समझता हूं कि इससे हम जनता में वह मनोबल पैदा नहीं कर सके, जनता को उन आशंकाओं से दूर नहीं कर सके जिनसे दूर करना हमारा कर्तव्य था। यह अवश्य है कि अपने बहुमत के बल से हम इसको आज पास कर लें, लेकिन जो दायित्व और जो बेसिक ड्यूटी थी उसमें हमारी सरकार पीछे रही है या मैं कहूं कि सरकार फेल रही, तो ठीक होगा।

मान्यवर एक बात और है। जब हम जनता से कमर कसने की बात कहें, कठिनाइयों का सामना करने की बात कहें तो हमें वस्तुस्थिति का ध्यान होना चाहिए। यह मैं इसलिए कहता हूं, और सभी लोग इसको मानेंगे, कि आज जन-साधारण का जीवन बड़ा संकटमय है। हो सकता है कि मोटरों में बैठ कर हमें वह आवाज न आवे जनता की या स्वागतों के समारोहों में वह करुण-क्रंदन न सुनाई पड़े, लेकिन अगर हम वसेज में घूमें, रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में आदमियों से मिलें या जनता के और छोटे वर्ग के लोगों से मिलें तो चारों तरफ एक त्राहि-त्राहि का वातावरण हमारे प्रदेश में है। ऐसी दशा में भी हम उस जनता से कह सकते हैं कि वह अपनी कठिनाइयों को और बढ़ायें; भविष्य को बनाने के लिए और अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए और कठिन हानियां सहें। लेकिन, मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया, उसके लिए कुछ आवश्यक प्रि-रिक्विजिट्स हैं। हमें जनता में यह विश्वास पैदा करना है कि हमने सारे साधनों को टटोल लिया, जितनी बातें खर्च कम करने की, इकोनामी करने की शासन में और किफायत करने की थीं वह कर चुके। लेकिन होता यह है कि कुछ रिवाज सा है कि सिर्फ इकोनामी का जिक्र इस सदन में उस समय आता है जबकि कोई कर विधेयक आता है। उसी वक्त कहा जाता है एक रोटीन के रूप में कि हम इतनी इकोनामी करने की बात सोच रहे हैं। कितनी होती है, कैसे होती है, कितनी हुई, इसका कोई विवरण न इस सदन को मिला है और बाहर का कहना ही क्या!

इस सदन की चुनी हुई समिति है, एस्टीमेट्स कमेटी। मुझे भी उसकी सेवा करने का अवसर मिला। एस्टीमेट्स कमेटी की एक नहीं अनेक रिपोर्ट्स हैं जिनका कदाचित वेस्ट पेपर का मूल्य सरकार की निगाह में है। क्या यह आवश्यक नहीं था कि जब आज चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए साधन जुटाने की बात सोची जा रही थी तो किसी एक आफिसर की नियुक्ति की जाती और उन सारी सिफारिशों को जांचा जाता और विचारा जाता कि उन सुधारों को मानने से सरकार कितनी इकोनामी कर सकती है? अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो मैं यह कह सकता हूं कि उन सिफारिशों के आधार पर ५ से १० करोड़ रुपये साल की बचत अवश्य हो सकती है।

मान्यवर, सरकार ने इकोनामी कमेटी बनाई। उस इकोनामी कमेटी का मुझे भी सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मंत्री जी जानते होंगे कि उसकी कितनी मीटिंग्स हुईं। एक दो जरूर जो जाब्ते की मीटिंग हुई उनमें विभिन्न दलों के नेताओं और विभिन्न सदस्यों के सुझाव आये। उनका क्या परिणाम हुआ? तो आज जब हमारे देश में एक वातावरण पैदा करने की जिम्मेदारी है तो यह आवश्यक था कि हम उस इकोनामी के जितने भी तरीके हो सकते थे उनको

अच्छी तरह से जांचते। और जांचने के मानी यह नहीं समझना चाहिये कि माननीय वित्त मंत्री ही उसको देख लें और अपने को संतुष्ट कर लें। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री एक सद्भावना रखने वाले व्यक्ति हैं और वे उचित दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। फिर भी जो जनता के प्रतिनिधि इस सदन में हैं उनमें भी माननीय मंत्री जी को अपने प्रति विश्वास पैदा करना होगा जिससे कि वे जनता की शंकाओं का समाधान कर सकें। अब भी समय नहीं बीता है, मेरी सरकार से नम्रतापूर्वक मांग यह है कि वह इस सदन की एक कमेटी नियुक्त करे, वह स्थायी कमेटी हो और वह एकोनामी के जितने तरीके हो सकते हों उन पर विचार करे, प्राक्कलन समिति तथा अन्य समितियों की जो सिफारिशें हैं उनके ऊपर विचार करे और विचार करने के बाद अपनी राय सरकार को दे। उसका एक टोटल इम्फेसेस होगा। एक मंत्री का उच्चारण करना दूसरी बात है, उसका इम्पलीमेन्टेशन दूसरी बात है। आज हमें एकोनामी की तरफ पूरी तरह से ड्राइव करना है।

अब मैं इस बिल पर आता हूं। सबसे पहले मुझे यह निवेदन करना है, मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान उस तरफ दिलाया, मैंने पढ़ा भी था कि इसके उद्देश्य और कारणों से यह पता चलता है कि पहले कुछ असमानता थी उसको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मान्यवर, आज चार कर-विधेयक हमारे सामने है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के नाम पर तथा इमरजेन्सी के नाम पर साधन जुटाने की मांग है, लेकिन यह जो प्रस्तुत विधेयक है इसमें इसके उद्देश्य और कारणों में, कहीं भी यह नहीं लिखा है कि चौथी योजना के लिये या इमरजेंसी के लिये यह कर बढ़ा रहे हैं। कुछ असमानता थी, उसको दूर करने के लिये केवल यह विधेयक ला रहे हैं। इस विधेयक को, मान्यवर, मैं क्या संज्ञा दूं, अंग्रेजी का एक शब्द है "Camouflage" इसको यही कहा जा सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस रेट से टैक्स बढ़ाने का प्रश्न है, अपनी मेमोरी में मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी लेजिस्लेचर के इतिहास में इतने बड़े अन्तर के साथ कोई टैक्स का बिल आया हो। ५ परसेंट से एक दम जम्प करके हम २५ परसेंट कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि १० से २५ किया है। श्रीमन्, वर्तमान कानून में १० प्रतिशत तक की छूट ले रखी है, अभी लिया ५ परसेंट ही जा रहा है। जब यह कानून पास हुआ था उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम पावर्स यद्यपि १० परसेंट तक की ले रहे हैं, मगर हम ५ परसेंट ही लगायेंगे। अब यह ५०० परसेंट टैक्स हम बढ़ा रहे हैं। यह कितनी अजीब बात है ! कुछ माननीय सदस्य यह कहेंगे कि शहरी जनता पर यह टैक्स है, उसमें गलत बात क्या है। मुझे इस झगड़े में, मान्यवर, नहीं पड़ना है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं कि शहरों में अभी भी सारा वातावरण, सारा आन्दोलन जो प्रदेश में या देश में होता है, वह क्यों होता है ? अगर हम शहर की जनता को यह औचित्य नहीं बता पाये कि ५ प्रतिशत से २५ प्रतिशत क्यों लगाने जा रहे हैं तो हमारे सामने उन कठिनाइयों का सामना आयेगा जिनकी कल्पना भी कदाचित् आज नहीं हो रही है।

कल माननीय उग्रसेन जी कह रहे थे कि यह टैक्स इसलिये लगाया जा रहा है कि सरकार की गद्दी बनी रहे। मैं माननीय उग्रसेन जी से क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह गद्दी बनाने के लिये तो नहीं, बिगाड़ने के लिये चाहे हो। मैं माननीय मंत्री जी की इस भावना की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने गद्दी को खतरे में रखकर भी इस टैक्स को लगाया है। लेकिन प्रश्न यह है कि इससे कोई लाभ होने जा रहा है या नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि वह लाभ नहीं हो रहा है। मैं आशा करता था कि जब हम इतने बड़े टैक्स लगा रहे हैं, जब माननीय मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे तो उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं उस समय नहीं था परन्तु पता लगा कि उस पर क्या प्रकाश पड़ा है। पता चलने पर मैंने यही पाया कि मैं जितने अन्धकार में पहले था उतने ही अन्धकार में अब भी हूं। पहला सिद्धान्त है कि जब हम लेजिस्लेचर के सामने बिल लायें तो सच्चाई से कहें कि हमारी अनुमानित आय इतनी है। अनुमानित आय बताई है कि ८५ लाख या एक करोड़ के लगभग है...

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

नहीं, अनुमानित आय ५० लाख है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

सुनी हुई बात में फर्क होता है। माननीय मंत्री जी बताते हैं कि ५० लाख अनुमानित आय है। मान्यवर, इस बात से ज्यादा शिकायत शुरू होती है....

श्री गिरधारी लाल (जिला वाराणसी)—

जो पचास लाख की आय बता रहे हैं वह पुराने ८ प्रतिशत की दर से है या २५ प्रतिशत की दर से?

श्री कैलाशप्रकाश—

क्योंकि यह प्रश्न उपस्थित हो गया। यद्यपि मैं किसी और समय बात साफ करूंगा। इस विधेयक को उपस्थित करते हुए आंकड़े दिये गये थे। वे आंकड़े दिये गये थे जो वर्तमान आय है यानी जो पिछला अधिनियम है उस पर पांच फीसदी से जो लगाया जाता है उससे एक करोड़ २३ लाख के करीब रुपया मिलता और यह जो अब बढ़ाया जा रहा है इससे अनुमान पचास लाख का है। वह पचास लाख क्यों है, यह बात मैं साफ कर दूंगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मुझे जो मूलभूत इत्तला थी इससे और ज्यादा मेरी शिकायत बढ़ जाती है। एक करोड़ २५ लाख रुपये का कलेक्शन है पांच परसेंट से। मेरी समझ में नहीं आता कि पांच परसेंट के दुगुने १० परसेंट के अधिकार के अलावा २५ परसेन्ट का अधिकार माननीय मुख्य मंत्री जी अपने में ले रहे हैं। वह पांच परसेंट का गैप दुगुना करने का गैप प्रभावी रेट से जो आपको लेजिस्लेचर द्वारा परमिटेड रेट है, हमारे द्वारा अधिकृत दर है वह दस परसेंट है। इससे मैं तो यह समझता हूं कि या तो आपको अपनी मशीनरी पर कोई विश्वास नहीं या बिल्कुल अन्धेरे की इमरजेन्सी से पैदा हुए वातावरण में आप भी इमरजेन्सी में थे। जब आपने पचास लाख का अनुमान बनाया तो कोई कारण समझ में नहीं आता. . .

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अधिष्ठाता महोदय, अगर इजाजत हो तो मैं स्पष्टीकरण कर दूं। वर्तमान कर जो लगा हुआ है इसमें सब पर एक समान दर से कर लगाया जाता है। व्यवसाय एवं आवास दोनों पर एक प्रकार का पांच परसेंट कर लगा हुआ है। इस वक्त जो संशोधन विधेयक लाया गया है इसमें दोनों से विभिन्न दर से लेने का अधिकार लिया जा रहा है। इसलिए व्यवसाय का अलग होगा एवं आवास का अलग होगा। हो सकता है कि आवास का कम हो और व्यवसाय का ज्यादा हो, इसलिए अनुमानित आय बतायी गयी है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

माननीय मन्त्राणी जी ने और माननीय मन्त्री जी ने जो स्पष्टीकरण किया उससे मेरी कठिनाई और बढ़ गयी। इसलिए कि अगर पांच परसेंट से ऊपर करने का इरादा नहीं है, अगर पांच परसेंट ऊपर कर के दस लें तब तो एक करोड़ २३ लाख आमदनी उस स्रोत से हो ही जानी चाहिये लेकिन अगर उस को पांच परसेंट ही रखना है और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मैन्युफैक्चरिंग सेन्टर्स पर बढ़ाना है तो फिर प्रश्न यह पैदा होता है कि इतना अन्तर कर देना, मकान और दुकान में पांच गुने का फर्क कर देना, किसी के छोटे से कारखाने और उसके मकान में, यह कहां तक उचित है? उद्देश्य और कारणों में यह है कि रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट जिन मकानों पर लागू है उन पर आप ऊंची दर करने जा रहे हैं। मैं, मान्यवर, इस को भी समझने में असमर्थ

माननीय मन्त्री जी ने कुछ शंका तो दूर कर दी, लेकिन एक शंका यह रह जाती है और मैं निवेदन करूंगा कि कृपा कर वह इस को देखें। प्रश्न यह है कि आज जो मालिक मकान है जिन्होंने बाद को मकान बनाये हैं वह एक तरह से लूट मचाये हुये हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा किराया ले सकते हैं वह ले रहे हैं। तो मैं यह आशा करता था कि जब हम यह अमेंडमेंट ला रहे थे तो कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाता कि वह ज्यादा रुपया जो वह ले रहे हैं उस में हम हिस्सदार होते। अधिक पैसे में हिस्सेदार ही सच्चे मानों में सही टैक्स लगाना होता है, गरीब पर टैक्स लगाना उतना अच्छा टैक्स मैं नहीं मान सकता।

माननीय यूसुफ साहब ने बताया कि यह कहा गया है कि यह टैक्स किरायेदारों पर नहीं पड़ेगा, तो यह बात तो ठीक नहीं है क्योंकि जो आप का ऐक्ट है उस में साफ लिखा हुआ है कि जो मालिक मकान हैं वह उस टैक्स को किरायेदार से वसूल कर सकते हैं केवल उसके देने की लायबिलिटी, सरकार को देने की जिम्मेदारी मालिकान पर है। इस के मानी यह हुये कि अगर हम यह टैक्स लगायेंगे तो उन मकानों पर जो रेंट कन्ट्रोल के मातहत हैं तो उस के उस किराये दार को जो आज कुछ सुख की सांस ले रहा था, इस बढ़ौत्तरी से बचा हुआ था, उस को सुविधा जो मिली हुई थी, उस से वंचित कर देंगे। अगर ऐसा होता कि आप यह प्राविजन करत कि नये मकानों के लैन्डलार्ड्स पर यह टैक्स लगेगा और वह इस टैक्स का इंसीडेंस वसूल नहीं कर सकते किरायेदारों से, और अगर ऐसा कोई प्राविधान होता किरायेदार को बचा कर उस लैन्डलार्ड पर यह सारा बोझ पड़ता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। मेरी शिकायत तो यह है और इसी लिए प्रवर समिति की मांग का मैं समर्थन करता हूं कि यह वह विधेयक है जिस का बहुत बड़ा असर जनता पर पड़ता है और जिस में होने वाली कठिनाइयां आज आप के दफ्तरों में भीड़ लगा सकती हैं और आप का समय नष्ट कर सकती हैं इस लिए अच्छा है कि इस समय दो-तीन, चार रोज बैठकर उन आने वाली बातों को सोच कर इसका रूप बदल लें।

मान्यवर एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक में यह साफ करें कि जो नीचे स्तर के लोग हैं जिनका किराया ३० रुपये मासिक तक है उन पर यह कर कई नहीं लगेगा। ३० रुपये मासिक तक किराया देने वाला व्यक्ति वह हुआ जो साधारणतया दो सौ रुपये की आमदनी करता है। सिद्धान्ततः दस प्रतिशत मकान के किराये में जाना चाहिए लेकिन आज जैसी परिस्थिति है उसमें दस प्रतिशत में मकान मिलता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि २०० रुपये पाने वाला ३० रुपये मासिक किराये पर रहे, तो सरकार उनको बढ़ोत्तरी से मुक्त कर दे। यूसुफ साहब कहते हैं कि ३० रुपये में एक कोठरी मिलती है। ठीक है, कहीं-कहीं वह भी नहीं मिलती होगी। तो मैं यह मांग करता हूं कि ३० रुपये मासिक किराये वाले को इससे मुक्त किया जाना चाहिये। जहां आप कारखानों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है: आखिर हम को योजनाओं के लिये रुपया चाहिए और जो दे सकते हैं उनसे लिया जाय। लेकिन वहां भी जो कारखाने ५० रुपये माहवार तक के हैं, उन पर टैक्स की कोई बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिये, चूंकि उनकी छोटी पूंजी है और वे आम तौर से कर्जा लेकर अपना काम चलाते हैं। अगर आप जमींदारी अबालिशन की तरह ऐसा कानून लाते कि जिसके पास एक मकान है वह अधिक नहीं रख सकता तो उसको मैं समर्थन करता। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पर है कि नीचे के स्तर के लोग जो आज सांस नहीं ले पाते हैं, उनके घर में रोज एमरजेंन्सी रहती है, जब नहीं मिला, एमरजेंसी हो गयी, उन पर हम ५ गुना टैक्स न लादें। उस वर्ग की हालत वैसे ही है जैसे ऊंट की कमर तोड़ने के लिए तिनका काफी होता है, जैसा की कहवत है। अगर आपने इस वर्ग को ज्यादा कसा, तो यह अशांति का कारण हो जायगा।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसे माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी ने सदन के समक्ष रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में चाहे जो भी लिखा हो, उसके अतिरिक्त भी कुछ जानकारी हम लोगों को कराई गयी है माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा। मैं वित्त मंत्री जी का बहुत ही आभारी हूं कि जिस समय नेताओं के बीच बात चल रही थी उस समय उन्होंने स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी थी और यह कहा था कि जो भूमिकर पर वृद्धि होने वाली है वह संकट के कारण है परन्तु शेष जो तीन विधेयक कर बढ़ाने के हैं, वे चौथी योजना के लिये लाये गये हैं, उसके लिये साधन जुटाने के लिये वे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन तीन करों से कुल मिलाकर २ करोड़ रुपये से ज्यादा सरकार को मिलने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश की चौथी योजना १,००० करोड़ रुपये की बनने वाली है, जिसमें से लगभग ६० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देगी, ऐसी उन्हें आशा है। ४०० करोड़ रुपये के अपने साधन जुटाने हैं यदि चौथी योजना को चलाना है। उन्होंने यह भी बताया कि ४०० करोड़ रुपये में से २०० रुपया तो वे टैक्सेशन से वसूल करेंगे और बाकी २०० करोड़ के लिए कर्जा लेंगे। यानी वह हमारी भावी संतानों को टैक्स के रूप में देना होगा। वास्तव में इस प्रदेश की जनता को चौथी योजना के लिए ४०० करोड़ रुपया टैक्स के रूप में, नये टैक्स के रूप में देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि संकट न होता तो भी ये टैक्सेशन के विधेयक आते इस से मेरे मन में यह संकोच कि सरकार द्वारा लाये करों का विरोध किया जाय या नहीं, दूर हो जायगा। अब प्रश्न इतना ही रह जाता है कि ये टैक्स चौथी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए लगाये जा रहे हैं। हम जानते हैं कि बिना साधनों के योजनायें नहीं चल सकती हैं और योजनायें चलनी चाहिये। लेकिन मैं स्वयं और हमारी पार्टी जिस प्रकार से इस सरकार द्वारा योजनायें चलायी जा रही हैं उसमें विश्वास नहीं करते। अतः हमारे लिये तो बिलकुल साफ है कि इन टैक्सेशन मेजर्स का, न केवल इस विधेयक का, बल्कि हर पंच-वर्षीय योजना के लिए जितने भी टैक्स लगाने या बढ़ाने से विधेयक आवेंगे उनका हम यहां भी और बाहर भी विरोध करेंगे।

श्रीमन्, जहां हम यह कहते हैं कि हमको इस प्रकार के नियोजन में विश्वास नहीं है, वहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वतंत्र पार्टी यह नहीं कहती कि नियोजन नहीं होना चाहिये। ६१ में स्वतंत्र पार्टी का मैनीफेस्टो बना था उसमें से ४,५ लाइनें मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं, जिससे स्थिति और साफ हो जायगी—

"The Swatantra Party rejects outright the current pattern of centralised and top-heavy planning based on totalitarian frame. It is not opposed to planning as such. Planning must, however, be carried on within the limits of the Constitution without relaxation as regards the freedom guaranteed in it."

हम यह कहते हैं कि जिस ढंग से यह नियोजन चल रहा है उसका हम विरोध करते हैं। हम उन कारणों को रखना चाहते हैं कि क्यों हम विरोध करते हैं। इस सारे टैक्सेशन के पीछे एक विचारधारा काम कर रही है कि जितने ही साधन होंगे, उतना ही देश समृद्ध होगा। देश को समृद्ध बनाना अच्छा लक्ष्य है। हम मानते हैं कि जब तक पूंजी नहीं लगेगी, तब तक राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकती। हमारा मतभेद केवल यह है कि जो राष्ट्रीय बचत है उसे सरकारी माध्यम से लगाया जाय या देश के नागरिक अपने अपने स्थान पर लगायें। जहां तक पूंजी लगाने का सम्बन्ध है, हम मानते हैं कि देश के बनाने में अधिक से अधिक पूंजी लगानी चाहिये, लेकिन जैसे हमारी योजनायें बनती हैं, उनसे ऐसा लगता है कि यदि राष्ट्रीय बचत का अधिक से अधिक भाग सरकारी माध्यम से ही खर्च होता रहा तो देश तेजी से उन्नति करेगा, ऐसा हमारे नियोजन के निर्माताओं का खयाल है। श्रीमन्, उनका यह विचार इसलिए है कि वे समाजवाद में विश्वास करते हैं। कोई भी समाजवादी यह जरूर चाहेगा कि देश की पूंजी का अधिक से अधिक भाग सरकारी माध्यम से लगता रहे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर योजना में

सरकारी खर्चे का अंश बढ़ता गया। पहली योजना में यह ४० फीसदी था, दूसरी में ५४ और तीसरी में ६० हो गया। और चौथी योजना में इससे ज्यादा होने वाला है। इसका परिणाम मैं सूक्ष्म में रखना चाहता हूं। पहली योजना में जितना रुपया व्यय हुआ वह था ३,३०० करोड़। दूसरी में ६,८३१ करोड़ हुआ और तीसरी में १०,४०० करोड़ हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि पहली योजना की तुलना में तीसरी योजना पर दुगने से ज्यादा व्यय हुआ और तीसरी में पहली की तुलना में ३ गुना से ज्यादा व्यय हुआ। लेकिन जो नतीजा हमें प्राप्त हुआ उस को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। पहली योजना का लक्ष्य था राष्ट्रीय आय में १२ प्रतिशत की वृद्धि, हो, उसकी तुलना में १८.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना में हमारा लक्ष्य था २५ प्रतिशत की वृद्धि लेकिन केवल २० प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरी योजना में ३४ प्रतिशत की राष्ट्रीय आय बढ़ने का अन्दाजा था लेकिन प्रथम ४ वर्षों में वह केवल १७ प्रतिशत बढ़ी है। यह मैं सारे देश की आय की बात कह रहा हूं और उसका कारण भी बता देना चाहता हूं, वह यह है कि उत्तर प्रदेश की योजना पूरे देश की योजना का एक बहुत छोटा-सा अंश है। सारे देश की चौथी पंचवर्षीय योजना २१,५०० करोड़ रुपये की है जबकि उत्तर प्रदेश की चौथी योजना केवल १ हजार करोड़ की बनी है। मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी अभी उस के लिए कोशिश ही कर रहे हैं लेकिन अभी रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार यह पूरी योजना का एक बहुत ही छोटा अंश हुआ। दूसरा कारण यह है कि अभी उत्तर प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा स्पष्ट नहीं हुई है। हमने जो योजना बनायी थी वह १,४०० करोड़ की थी लेकिन जब उतना रुपया नहीं मिला तो अब हम १,००० करोड़ पर आ गये हैं। इस लिए मैं पूरे देश की योजना के हिसाब से ही आलोचना कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार न तो नीति निर्धारित करती है और न उसका अपना कोई अलग सोचने का ढंग ही है, जो कुछ आदेश ऊपर से निकलते हैं, उनका वह पालन करती है। क्योंकि वह आदेश गलत होते हैं, अतः उसके नतीजे भी गलत निकलते हैं। इसलिए मैं पूरे देश की योजना के ऊपर ही आलोचना कर रहा हूं और नियोजन का जो सिन्द्धान्त है और उसके पीछे जो व्यवस्था है और यह टैक्स मेजर जिसका एक भाग है, मैं समझता हूं उस को समझने का हमें प्रयत्न करना चाहिये।

मैं यह बता रहा था कि पहली योजना के मुकाबले में दूसरी योजना में दुगुना और तीसरी योजना में तिगुना खर्चा हुआ, लेकिन राष्ट्रीय आय में उतनी ही वृद्धि हुई। अब आप चौथी योजना में ५ गुना खर्च करने जा रहे हैं। जब दुगना और तिगुना खर्च करने से कोई नतीजा नहीं निकला तो पांच गुना खर्च करने से कोई नतीजा निकलेगा, यह हम कैसे मान लें? उसके लिए आपने हमें क्या आश्वासन दिया है? हम कैसे यह विश्वास कर लें कि पांच गुना खर्च करने के बाद कोई बेहतर नतीजा निकलेगा? श्रीमन्, इसका भी एक कारण है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज्यों-ज्यों सरकारी अंश योजनाओं में बढ़ता चला जा रहा है त्यों-त्यों कार्य-कुशलता घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि जो पूंजी निजी हाथों से निकल कर सरकारी खजाने में पहुंच जाती है और सरकारी माध्यम से उसका खर्चा होता है उसमें एक रुपयेकी कीमत ५० पैसा हो जाती है। यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं। रिजर्व बैंक ने कहा है—

"The average rate of return of state enterprises is 5 per cent on capital investment but the same figure for private enterprises is 10 per cent."

यही कारण है कि जो धन सरकारी हाथों से व्यय हो रहा है उसका नतीजा खराब निकल रहा है। पहली योजना वास्तव में समाजवादी योजना नहीं थी, इसीलिए १२ प्रतिशत के बजाय उस से १८ प्रतिशत राष्ट्रीय आय बढ़ी, लेकिन दूसरी और तीसरी योजना में हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रहे और पहली योजना के बराबर ही बढ़ सके।

आप स्वयं इसको सोच लें कि आपके पास अगर दस हजार रुपया है तो आप अपना काम करके राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में ज्यादा योग दान दे सकते हैं बनिस्बत इस के कि वह खजाने में

[श्री भानुप्रतापसिंह]

जमा हो और फिर वह कर्मचारियों के हाथ से खर्च हो और अगर ऐसा हो तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि जो देश गरीब है कहा यह जाता है कि उसकी प्रगति का एकमात्र मार्ग प्लानिंग का है।

पिछले ४-५ वर्षों में दूसरे देशों में आर्थिक प्रगति कैसी हुई है, उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। सन् १९५९ से १९६२ के बीच में भारत में ५.८ प्रतिशत राष्ट्रीय आय बढ़ी है, पाकिस्तान जिसको एक गया गुजरा देश समझा जाता है वहां भी ६.८ प्रतिशत के हिसाब से राष्ट्रीय आय बढ़ी है, टाइवान चीन में १४.९ प्रतिशत और इसराइल में १६.६ प्रतिशत बढ़ी है, जापान में १६.८ प्रतिशत बढ़ी है जब कि इन दोनों देशों में कोई सेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं होती। लेकिन यहां की नीतियों को बनाने वालों को इसका कारण सोचना चाहिये। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, और हर बार यह असफलता क्यों मिलती है, इस पर क्यों नहीं सोचा जाता?

हमारे माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ने कहा कि जनता में योजनाओं के प्रति उत्साह नहीं है और वह अब इतना नहीं है जितना आरम्भ में था। वह हो कैसे सकता है? उनको क्या मिला है योजनाओं के फलस्वरूप? एक तो मैंने योजनाओं को गलत बताया इस लिए कि अधिक से अधिक व्यय सरकार अपने माध्यम से करना चाहती है। दूसरी गलती यह है कि खर्च की प्राथमिकतायें बिलकुल उल्टी-पुल्टी हैं, जिस काम पर ज्यादा खर्च होना चाहिए था उस पर ज्यादा खर्च किया गया है और जिन कामों पर कम खर्च होना चाहिये था उन पर ज्यादा खर्च किया गया है। हमारे वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि जो कुछ मुनासिब था उस दौरान में किया गया और बहुत से कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कृषि के महत्व को अब समझा गया है और कृषि पर अब बहुत खर्च होने वाला है। मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि इस देश में कितना राजनैतिक झूठ बोला जाता है। तीसरी और चौथी योजना में कृषि पर और सिंचाई पर मिलाकर जो व्यय होने वाला है उसके आंकड़े मैं रखना चाहता हूं। तीसरी योजना में खेती और सिंचाई दोनों में मिला कर कुल व्यय का २१.२ प्रतिशत व्यय हुआ। चौथी योजना का जो प्राविधान खेती और सिंचाई के व्यय का प्रतिशत है वह है २१.८ प्रतिशत यानी कुल .६ प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है और उसका बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम ने सब से अधिक प्राथमिकता कृषि को दी है। यू० पी० सरकार द्वारा जो पुस्तक दी गयी है उस में इन आंकड़ों का प्राविधान है। माननीय वित्त मन्त्री जी पूछ रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है कि वह यह बात नहीं जानते। मुझे खेद है, यह आंकड़े तो उन जैसे जिम्मेदार आदमी को जबानी याद होने चाहिये थे। जहां पर कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण व्यवसाय पर तीन चौथाई आबादी निर्भर करती है और जिससे राष्ट्रीय आय का ५० प्रतिशत योगदान होता है और सब से ज्यादा भाग खेती पर खर्च होना चाहिये वहां, कुल २१.८ प्रतिशत का प्राविधान है और उद्योग पर २३.४ प्रतिशत जिससे मुश्किल से राष्ट्रीय आय में दस प्रतिशत का योगदान मिलता है और ४० प्रतिशत लोगों को रोजी मिलती है यह उल्टी प्राथमिकता नहीं तो क्या है?

बार-बार यह बातें कही गयी हैं लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। श्रीमन्, इतना ही नहीं, अगर और गहराई में जायं तो यह मालूम होगा कि उद्योग के साथ और भी रियायतें हैं। उदहारण के रूप में बिजली को ही ले लीजिये। ऐसा लगता है कि हमारे जो प्रगतिशील लोग हैं वे कहते हैं कि उन्होंने उसको गऊ के समान एक ऐसी चीज बना ली है जिस के विरोध में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि बिजली के विरुद्ध जो बोलता है वह व्यक्ति अन्धकार युग का व्यक्ति होगा। मैं यह भी जानता हूं कि किसी देश की सभ्यता का मापदण्ड बिजली ही होती है, लेकिन जिस प्रकार से और जिस अनुपात में आज बिजली पर खर्चा हो रहा है वह भारत जैसे गरीब देश के लिए उचित नहीं है। बिजली की बाबत जब माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा तो माननीय मन्त्री जी ने बिजली की कड़क के साथ उत्तर दिया था। मैं नहीं जानता हूं कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने क्या कहा था लेकिन उन्होंने (माननीय मन्त्री जी ने) कहा कि क्या आप

चाहते हैं कि खेती के लिए बिजली प्राप्त न हो? तो जितनी बिजली बनती है अगर देखा जाय, तो उसमें से केवल १२ प्रतिशत उत्तर प्रदेश में खेती के काम में आती है। शेष ८८ प्रतिशत दूसरे कामों में आती है। उसमें से भी ६८ प्रतिशत बड़े उद्योगों में काम में आती है। ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, लेकिन जहां तक सारे देश की बात है वहां यह स्थिति है कि खेती पर ६ प्रतिशत बिजली खर्च होती है। ७४ प्रतिशत बड़े उद्योगों पर खर्च होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो खर्च होने वाला है अगर आप उसको देखें, तो आपको पता चलेगा कि उद्योग पर डयोढ़ा खर्च करने जा रहे हैं खेती के मुकाबले में। आप कहते हैं कि हम खेतों को प्राथमिकता देने जा रहे हैं तो यह उत्तर आप का मेरी समझ में नहीं आता है।

(इस समय १ बजकर ४९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, एक एम्प्लाइड इकोनोमिक ऐन्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट है। उसमें य आंकड़े निकाले गये हैं कि ग्रामों में कितने परसेंट आमदनी है। उन्होंने लिखा है कि गांवों में रहने वाले ३५ करोड़ व्यक्तियों की औसत आमदनी ६८ पैसे है। तो मैं इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, कि इन ३५ करोड़ ग्रामीण जनता को जिनकी आमदनी ६८ पैसे प्रति दिन से ज्यादा नहीं है, वे इसे बिजली से किस प्रकार से लाभान्वित होंगे? तो जो आप खेती के लिए भी खर्च करने जा रहे हैं, उससे ये ६८ पैसे पाने वाले किसान लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इन गरीबों से क्यों टैक्स लेते हैं जिनको इन करों से सीधे कोई लाभ होने वाला नहीं है?

ये तो केवल सैद्धान्तिक बातें हुयीं। इन योजनाओं का नतीजा क्या निकला? यह पुस्तिका गवर्नमेंट आफ इन्डिया की है "इकानामिक सर्व"। इसमें पिछले १० वर्ष से औसत भारतीय को कितना भोजन मिलता है, कितना कपड़ा मिलता है यह सब लिखा हुआ है। पिछले १० वर्षों में एक औंस भी भोजन औसत भारतीय को अधिक नहीं मिला। और एक फुट कपड़ा भी नहीं बढ़ सका। तो फिर इस देश का नागरिक आपकी योजनाओं के प्रति उत्साहपूर्वक भाग कैसे लेगा?

जहां यह नतीजे हैं वहां दूसरे नतीजे सुन लीजिये। इतना विदेशों से कर्जा लिया गया है। शायद संसार में कोई देश इतना ऋणी नहीं है जितना भारत। इस कर्जे का सूद तथा किस्तें जो अगले ५ वर्षों में अदा करनी होंगी वह पूरा जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे अगले ५ वर्षों में उसका २८ प्रतिशत होगा, यानी हमने इतना कर्ज ले लिया है कि कम से कम १/४ भविष्य आप ने गिरवीं रख दिया है। जो कुछ अगले ५ वर्ष में आप पैदा करेंगे उस का एक चौथाई आप को बिना कीमत के देना पड़ेगा और इस तरह से इस सरकार ने इस देश का भविष्य गिरवीं रख दिया है और गिरवीं रखती चली जा रही है। टैक्स से काम नहीं चलता, कर्जे से काम नहीं चलता, तब एक उपाय और है कि नोट छाप दिये जाते हैं। नोटों के छापने का यह परिणाम है कि पिछले ४ वर्षों में ६० से ६४ तक मुद्रा का प्रसार ४३.७ बढ़ गया जबकि राष्ट्रीय उत्पादन केवल १७.३ प्रतिशत बढ़ा। जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा और नोट बढ़ेंगे तो जो परिणाम हो सकता है वह होगा। जब सरकार नोट छाप कर घाटे का बजट बनायेगी, तो यह बड़े आदमियों की जेब नहीं काटती, छोटे आदमियों की जेब काटती है। अगर रुपये की कीमत गिरती है, तो उन लोगों का गला कटता है जिनकी आमदनी फिक्स्ड है, जिनको पेंशन मिलती है, जो मजदूर हैं। किसी बड़े आदमी का काम उससे नहीं बिगड़ता है।

इन योजनाओं से क्या असर पड़ा, इसमें जरा अलग-अलग एक-एक वर्ग को देख लें। लैन्डलेस लेबर १७ प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा जो कमेटी इस सम्बन्ध में बिठायी गयी थी उसकी सिफारिश है कि लैन्डलेस लेबर की दशा पहले से भी अधिक गिर गयी है। इन्डस्ट्रियल लेबर १६ प्रतिशत है और यूसुफ साहब का कहना है कि समाजवादी सरकार के अनुसार भी उसकी वास्तविक आमदनी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है और वह घाटे में रहा है। उसके बाद मध्यम वर्ग में हैं जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो वकालत करते हैं, डाक्टरी करते हैं, पेंशन पाते हैं, ये लोग महंगाई और टैक्सों की चक्की के दोनों पाटों के बीच में किस तरह से पिस रहे हैं, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जितना कष्ट आज उन्हें हो रहा है इतना

[श्री भानुप्रतापसिंह]

पिछली शताब्दी में नहीं हुआ होगा। इसके बाद किसानों की बारी आती है। उनकी संख्या ५१ पर सेंट है। उन की दशा यह है कि इन बढ़े हुये भावों पर जो मूल्य उन्हें अपनी जरूरत की चीजों पर देना पड़ता है उस के मुकाबले में उसके गल्ले का मूल्य कम है। मैं अपनी बात नहीं कहता बल्कि जिनको सन्देह हो वह यू० पी० सरकार द्वारा स्थापित स्टैटिटिक्स विभाग से आंकड़े मगाकर देख सकता है। इस किसान वर्ग को भी आर्थिक लाभ नहीं हुआ। अब इन सबका टोटल कर लीजिये। लैन्डलेस लेबर का १८ पर सेंट, इन्डस्ट्रियल लेबर का १६ परसेंट, मिडिल क्लास का १४ परसेंट और किसान वर्ग का ५१ परसेंट, यानी ९९ परसेंट पब्लिक को कोई लाभ नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी मन्त्री या सदस्य बतायें कि इस आबादी के लोगों को किस प्रकार का लाभ हुआ है।

लगभग एक परसेंट लोगों को लाभ हुआ है। राष्ट्र की आय में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन उसका लाभ एक परसेंट लोगों को ही मिला है। अब देखने की बात यह है कि वे लोग कौन हैं जो इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं ? वह एक ऐसा अनहोली एलायेंस तीन प्रकार के लोगों में उदय हो रहा है।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण पूछूंगा। वे काफी पढ़े लिखे विद्वान हैं। वे कृपया बतायें कि आयोजना के पहले राष्ट्रीय आय क्या थी और इस समय क्या है ?

श्री भानुप्रतापसिंह---

मन्त्री जी मुझे क्षमा करेंगे। पहले ऐसा था कि आंकड़े इतनी अच्छी तरह से नहीं रखे जाते थे। दूसरे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे बीते हुये युग से क्यों तुलना करना चाहते हैं ? वे क्या फिर से इस देश में गुलामी की स्थिति कायम करना चाहते हैं ? आप अपने समान दूसरे देशों से तुलना क्यों नहीं करते हैं ?

श्रीमन्, एक परसेंट लोग कौन हैं ? वे वही लोग हैं जो इन गद्दियों पर बैठे हैं या तो उनके सगे संबंधी मित्र वर्ग, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट पूंजीपति। इन तीनों ने मिलकर समाजवाद के नाम पर आयोजना के नाम पर और देश की जनता को लूटने के लिये एक साजिश की है। श्रीमन्, समय कम है, नहीं मैं यह भी बता देता कि किस तरह से गरीब से धन निकल कर उच्च वर्ग के पास जा रहा है। जो नया वर्ग स्थापित हो रहा है उसका स्वरूप ज्यादा भिन्न नहीं है उससे जिसकी परिभाषा में एक पुस्तक न्यू क्लास के ऊपर लिखी गई है और पुस्तक लेखक को उसके कारण जेल में रखा गया है। उसी प्रकार की न्यू क्लास हमारे देश में तीन प्रकार के व्यक्ति जैसे राजनीतिक नेता, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट पूंजीपतियों ने मिलकर एक साजिश गढ़ी। लेकिन हमारा और हमारी पार्टी का दोष इतना ही है कि हम इसमें आने वाले नहीं हैं। हम ९९ परसेंट लोगों के साथ हैं और हम कहना चाहते हैं कि जनता की आंख खुल जायगी तो आप यहां नहीं बैठ सकते हैं। संकटकाल आपके भाग्य से आया था। हमारा ध्यान उसमें लग गया था। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है, जरा आप संभल कर कदम रखें, मैं धमकी नहीं देता, लेकिन जो लोग गरीबी से पीड़ित हैं, जिसका अनुमान इससे लग जाता है कि कम से कम १० करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी आठ आने से भी कम है, इन लोगों के ऊपर टैक्स का भार लादते जायंगे तो आपके लिये हितकर नहीं होगा।

इकानमी की बात कही गयी। एक दिन समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा, डेढ़ वर्ष पहले कि मैं इकानमी कमेटी का सदस्य बना दिया गया हूं। आज तक उस इकानमी कमेटी की एक भी बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया या बैठक नहीं हुई। मैं नहीं जानता,-लेकिन

इकोनामी कमेटी का सदस्य होते हुए भी मुझे जानकारी नहीं है। जब मैंने चर्चा की तो मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्री को मालूम ही नहीं हैं कि इस प्रकार की कोई इकोनामी कमेटी काम कर रही है। कितने शर्म की बात है!

श्रीमन्, हमने पूछा कि कितना रुपया आपको संकटकालीन परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये चाहिये? तो हमे बताया गया कि दस करोड़ रुपया प्रति वर्ष की आवश्यकता है। आप घर गृहस्थी को ले लीजिये जिसकी आमदनी २३५–२३६ रुपये मासिक हो, क्योंकि उनका बजट २३५–२३६ करोड़ का है। उस गृहिणी से अगर यह कहा जाय कि दस रुपया तुम बचाओ, यह संकट, काल आया है और फिर अगर वह गृहणी नहीं बचा सकती है तो मैं कहूंगा कि वह गृह लक्ष्मी कहलाने लायक नहीं है, वह घर का इन्तजाम करने लायक नहीं है। मगर हमारी यह सरकार यह कहती है कि २३५ करोड़ में से १० करोड़ रुपया निकाल कर वह संकट का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके लिये किसानों पर नया टैक्स लगाना जरूरी है तभी देश की रक्षा हो सकती है। कहा जा सकता है कि घर–गृहस्थी की बात दूसरी सरकार चलाने में ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री, भारत सरकार ने स्वयं इस बात की घोषणा की है भारत सरकार का व्यय दस प्रतिशत घटाया जायगा। अगर भारत सरकार दस प्रतिशत व्यय घटा सकती है तो कोई कारण नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार न घटा सके। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार दस प्रतिशत व्यय घटा ले तो २३ करोड़ रुपया मिल सकता है जो दस करोड़ से दुगने से ज्यादा है जो संकट के लिये चाहिये। हम सिद्धान्त रूप में पांच पैसे का टैक्स लगाना भी स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन आप जो नया कर भूमि कर लगाने वाले हैं उसको वापस ले लें, उसमें आपकी और हमारी भी भलाई है। जिस संकट काल के कारण हम संकोच में थे वह संकट ईश्वर की कृपा से टल गया है। (व्यवधान)

अगर संकट मौजूद है तो उसके लिये केवल दस करोड़ रुपया चाहिये और आप २३ करोड़ रुपया बचा सकते हैं। अब हम इस बिचार के नहीं हैं कि किसी प्रकार का टैक्स किसानों पर लगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्री से अपने दल की ओर से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो थोड़ा बहुत संकोच था, जो थोड़ा सा सोच रहे थे, जो उनके सामने शर्तें रखी थीं, कि इन शर्तों को अगर मान लें तो एक साल के लिये लगा लीजिये, मैं वह सारी बातें वापस लेता हूं। अगर भूमिकर विधेयक आया तो हम उसका विरोध जितनी हमारी शक्ति है, यहां भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। श्रीमन्, जैसा मैंने पहले भी कहा मैं टैक्सों की वृद्धि का सिद्धान्ततः विरोध करता हूं, लेकिन अगर टैक्स लगाने का शौक ही है तो मैं एक रास्ता, जो पहले ही बता चुका हूं, आज भी बताता हूं जिसे वित्त मंत्री को भी बतलाया था। जब पिछली बार भूमि भवन कर आया था तब भी बताया था, उस समय भी मुझसे कहा गया था कि इस पर बिचार किया जायगा। किन्तु उससे कोई नतीजा नहीं निकला गया और आज टैक्सों की वृद्धि का प्रस्ताव फिर यहां आ गया। शहरों में लोग जमीन लेकर मकान नहीं बनवाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। उस जमीन के मूल्य की दर में वृद्धि किस तरह से हो रही है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जो जमीन आठ आना स्क्वायर फिट पर लेकर छोड़ दी जाती है, उसकी दर ५–६ वर्ष में २ रुपया फी स्क्वायर फिट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक एकड़ जमीन जिसे किसी ने २०–२१ हजार में खरीदा था, उसकी कीमत आज ८०–८५ हजार हो गयी है। कहने का मतलब यह है कि उस जमीन के मालिकों ने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई खतरा मोल नहीं लिया, फिर भी उन्हें फी एकड़ जमीन से कई-कई हजार रुपये का लाभ हो रहा है। यह लाभ उन्हें केवल जमीन के मूल्य में वृद्धि के कारण हो रहा है। वास्तव में यदि हम सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, तो यह जो नाजायज मुनाफा जमीन वालों ने प्राप्त किया है, उसकी ओर आपकी

[श्री भानुप्रतापसिंह]

निगाहें जानी चाहियें। यदि आप ऐसे लोगों से टैक्स वसूल करने का प्रयास करेंगे तो इससे आपको दोहरा लाभ पहुंचेगा। एक तो लाभ यह होगा कि आपको जो रुपया चाहिये वह टैक्स के रूप में इनसे प्राप्त हो सकेगा, दूसरे यह कि वे इस जमीन को अपने पास अधिक समय तक रोक नहीं सकेंगे, बढ़ते हुए टैक्सों के कारण, या तो वे उसे बेंच देंगे या उस पर मकान बनवा देंगे, जिससे आवास समस्या भी आपकी बहुत कुछ हल हो सकती है। इस पर विचार होना चाहिये, लेकिन इस पर बिचार हो तो कैसे हो ? वह भी जो इन जमीनों के मालिक हैं वे उस नये क्लास के मेम्बर हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। इसकी तरफ उनकी निगाह कभी नहीं जा सकती है।

मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार को भगवान बुद्धि देंगे और सरकार अपना रास्ता सुधारेगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मैं भी सबेरे से कई बार खड़ा हो रहा हूं, मेरा भी संशोधन है। मुझे मौका मिलना चाहिये। जिनके संशोधन हैं उन्हें अवश्य प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जिनके संशोधन में नाम हैं उन सबको समय दिया जाय, यह जरूरी नहीं है, आप बैठिये।

श्री गिरधारी लाल—

श्रीमन्, मुझे एक निवेदन यह करना है कि इस बिल पर बोलने वाले बहुत से महानुभाव हैं, तो यदि समय को कुछ प्रतिबन्धित कर दिया जाये तो अच्छा हो जिससे सब को अवसर मिल जाए। कुछ लोग सबेरे से ही इस आशा में बराबर बैठे हुए हैं कि उनको बोलने का मौका मिलेगा लेकिन नहीं मिल पा रहा है। मैं समझता हूं कि जो तरीका चल रहा है उससे ३–४ लोग ही बोल सकेंगे और सब निराश होंगे। इसलिये निवेदन है कि समय को प्रतिबन्धित कर दिया जाये।

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, यह बता दें कि मुझे बोलने का मौका आप देंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कोई प्रामिज नहीं करता, आप बैठें। संभव होगा तो समय मिल जायगा।

श्री राम चन्द्र विकल—

यह तो सदन की परम्परा रही है कि जिनका संशोधन होता है, उन्हें अवश्य अवसर दिया जाता है और जब कि मेरा संशोधन है, आप मुझे बुलायेंगे नहीं, यह समझ में नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह न परम्परा है और न आवश्यक है कि जितने लोगों के संशोधन पर नाम हैं सभी को बोलने दिया जाय।

श्री रामचन्द्र विकल—

मेरा अलग से संशोधन है, यदि उसे आप लिस्ट में न लें तो मैं क्या करूं ? मेरा अकेले का एक संशोधन है।

श्री गिरधारीलाल--

श्रीमन्, मेरी एक बात सुन ली जाए। यह भूमि भवन कर शहरों से संबंधित है और शहरों से संबंधित प्रतिनिधियों को इसमें अधिक मौका [अवश्य मिलना चाहिये। खास कर ऐसे लोगों को अवश्य मौका मिलना चाहिये जिनको बहुत कम बोलने का मौका मिलता है।

(श्री बेचनराम का नाम लेने पर)

श्री विजयसिंह--

श्रीमन्, अभी कोरम नहीं है, अभी किसी को न बुलवायें।

(घंटी बजायी गयी और घंटी बजते रहने पर)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

जिनके नाम से अलग संशोधन हैं उनको तो आपको बोलने का मौका देना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जरूरी नहीं है कि उनको जरूर ही मौका मिले और जिन्होंने संशोधन नहीं दिये हैं उनको मौका न दिया जाय। जिन्होंने पहले संशोधन दिया था उनको मौका मिल गया है और जिनका नाम संशोधन की सूची में हैं वे अपना मौका देखें। जब मौका मिले तो वे बोल लेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल--

मेरा निकलवा कर देख लीजिये, अलग से है।

श्री उपाध्यक्ष--

इससे क्या हुआ? अलग से होने से क्या होता है?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

आपने हमारी पार्टी के तो किसी भी आदमी को मौका दिया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो तीन ही चार आदमी बोले हैं, आपका भी नम्बर आयेगा।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय माधवप्रसाद जी त्रिपाठी तथा अन्य माननीय सदस्यों के संशोधनों का विरोध करता हूं। मैंने माननीय त्रिपाठी जी के भाषण को सुना और जो अपेक्षा माननीय विरोधी दल के नेता से हम करते थे कि इस परिस्थिति में बिल की व्याप्ति पर, उसके अर्थों पर, उसके तर्कों पर जो उनका भाषण आ सकता था, जिन गंभीर विचारों की हमें अपेक्षा थी, उनके भाषण के पश्चात मुझे उससे निराशा हुई। उन्होंने कोई निश्चित तथ्य नहीं रखे। न बिल के संबंध में, न साधनों के संबंध में, न जिन सिद्धान्तों पर यह बिल आधारित है उनके संबंध में, उसके किसी भी पहलू पर उन्होंने कोई बात नहीं कही। साथ ही साथ देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक योजना या आज की संकटपूर्ण घड़ी में देश का सही नक्शा जो होना चाहिये था वह नहीं रख सके। इसके साथ ही और माननीय सदस्यों ने जो भाषण किये हैं उन सबने अपने अपने दलों के मैनिफेस्टों के अनुसार बिल पर आघात किया है, बिल पर सम्यक रूप से बिचार नहीं किया है। ४ बिल हमारे सामने हैं। उनके द्वारा हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये साधन जुटाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो वर्तमान संकट आया है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम]

जो हमारे देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का हमला हुआ और उसके कारण जो परिस्थिति पैदा हुई और जिनका वर्षों पहले आभास मिल चुका था और हमारे देश की नीतियों और चुनाव को लेकर जो हमारा देश चल रहा था और जिन आर्थिक और उद्योग धंधों के निर्माण में हमारा देश लगा हुआ था---उनके संबंध में जो विदेश नीति और उनका प्रोग्राम था, उस संबंध में भी हमारा देश सचेत रहा और उसकी तहत में हमारे देश पर हमला हुआ। हमारा देश समाजवाद, जनतंत्र, सामाजिक न्याय और जनता को सुख सुविधा देने के लिये तथा सामाजिक नियमों में प्रगतिशील परिवर्तन करने के लिये कटिबद्ध रहा। हमारा पूरा देश इसके बुनियादी सिद्धान्तों, नीतियों और तरीकों के बिलकुल विपरीत है, उनसे कोई संगति नहीं है और हमारी बिचारधाराओं से उनकी बिचारधाराओं का क्लेश है, द्वन्द्व है। हमारे विद्वानों, राजनीतिज्ञों तथा विरोधी दल के नेताओं का भी चीन की नीति से संघर्ष रहा है क्योंकि सर्वसत्ता वाद के आधार पर उस देश की रचना हुई है। वे अपने देश में विस्तारवादी मनोवृत्ति को फैलाने की कोशिश करते हैं तथा उस देश में जनता की आजादी तो नाममात्र के लिये भी नहीं है। वहां पर जनता के लिये कोई फन्डामेंटल राइट्स नहीं हैं। वहां के मजदूर और किसान वर्ग का पूंजीवाद के साथ नौकरशाही नीति और सत्तावादी नीति के साथ भारी संघर्ष है। वहां कोई अपनी संपत्ति नहीं रख सकता है जबकि हम अपने यहां व्यक्तिगत संपत्ति रख सकते हैं, सब अपने अपने धर्म पर चल सकते हैं, हमारे यहां सबके लिये संविधान एक है, जिसके अन्तर्गत आपस में किसी का एक दूसरे से कोई टकराव नहीं है।

जहां तक सन् १९६२ में चीन के साथ युद्ध होने की बात है, कुछ लोगों का खयाल है कि हम लोगों को उसके सामने थोड़ा सा पराजय का सामना करना पड़ा लेकिन हमारे देश की उस आर्थिक नीति का ही परिणाम है कि आज पाकिस्तान के मुकाबले में हम विजयी हुए हैं। हम अपनी आर्थिक नीति और अपने बुनियादी सिद्धान्तों के आधार पर ही विजयी हुए हैं। क्योंकि हमारे देश की रचना ही आर्थिक आधार पर हुई है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में ही पाकिस्तान की रचना हुई जिनके कांस्टीटयूशन और कार्य को आप देखें तो अब तक १५ बार तो उनके यहां गवर्नमेन्ट बदल चुकी है। वहां कोई स्थायित्व नहीं है क्योंकि सेक्रेटेरियन आधार पर ही वहां इस्लामिक स्टेट बनी है और माइनारिटी को नष्ट किया जा रहा है। जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को नष्ट करने का बीड़ा उठाया था उसी तरह से पाकिस्तान की भी मनोवृत्ति है। हमारे यहां जब कि हिन्दू मुसलमान तथा इतर जाति के लिये पूरा अधिकार है वहां पाकिस्तान में जिसकी रचना इस्लाम के आधार पर ही की गयी है माइनारिटी को कोई अधिकार नहीं है। एक तरह तो इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान का है और दूसरी तरफ सर्व सत्तावादी देश चीन का है और इन के बीच में नान एलाइनमेन्ट के आधार पर हमारा देश है जो जनतंत्र के बुनियादी सिद्धान्त के आधार पर बना हुआ है। समाजवाद के आधार पर हमारा इस तरह के देशों से टकराव है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब तो सीज-फायर हो गया है इसलिये संकट की घड़ी तो समाप्त हो गयी, अब इस तरह के टैक्स की जरूरत ही क्या है। लेकिन आपको मैं बतलाऊं कि सन् ६२ के बाद चीन ने फिर जो अल्टीमेटम दिया और उसके बाद भी चीन की हिम्मत हमारे देश से भिड़ने की नहीं हुई और अब सारे संसार को स्पष्ट हो गया कि चीन केवल गिट्टी का शेर है। तीन रोज का जो अल्टीमेटम का समय उसने बढ़ाया था उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। हमारा देश आज भी लड़ मरने के लिये तैयार है और हमारे प्रधान मंत्री का अपने जवानों को स्पष्ट आदेश है कि अगर कोई विदेशी तत्व, चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान हो या और कोई हो, हमारे ऊपर हमला करता है तो उसको अपने यहां से खदेड़ बाहर करो। इस प्रकार से हम आज भी युद्ध से विरत नहीं हैं।

आज भी हमारी सेना मोर्चे पर डटी हुई है और बन्दूकें ताने हुए है। आपको याद होगा कि कच्छ समझौता हो गया था उसके बाद भी पाकिस्तान ने जम्मू पर हमला कर दिया, इसलिये दुश्मन की तरफ से यह समझना कि अब उसका हमला नहीं होगा, यह हमारा अंडर रेट करना होगा। आज हमारा देश जबकि एक संकट की घड़ी से गुजर रहा है और जब कि हमारे सारे माननीय सदस्य, सारा विरोधी दल, सारे देश की जनता देश को बचाने के लिये, दुश्मन से मोर्चे पर लड़ने के लिये तथा सारे संसाधन जुटाने के लिये, सारी सामरिक तैयारी के लिये दृढ़प्रतिज्ञ हैं तो ऐसी हालत में यदि सीज-फायर हो गया है तो मेरे विचार से अभी अपने बिचारों को गिराना नहीं चाहिये। हमको उनका सही मूल्यांकन करना चाहिये। सीज फायर के बाद बहुत से विचार होने हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमको देखना है कि इसके बाद क्या परिणाम होते हैं। काश्मीर की क्या समस्या रहेगी और दूसरी समस्याओं का क्या समाधान होगा। इस वजह से हमारा भी उसके साथ नोट आफ डिसेन्ट है। पता नहीं उस ५ अगस्त वाली बात को हम मानें या नहीं . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आप जरा धीरे बोलिये। आप इतनी तेज बोल रहे हैं कि यह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री बेचनराम--

मैं कोशिश करूंगा। एक बात और कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कही थी दूसरे बिल पर कि हम देश की रक्षा के लिये और देश के दुश्मनों को मिटाने के लिये अपने सर्वस्व को भी देने के लिये तैयार हैं लेकिन योजनाओं के लिये वह सहमत नहीं हैं कि रुपया दिया जाय। जहां तक उनकी दिल की भावना का संबंध है वह साफ है और सराहनीय है किन्तु जब इस प्रश्न का विश्लेषण किया जाय तो यह मालूम होगा कि पंचवर्षीय योजना में और युद्ध की तैयारी में क्या कोई अन्तर है। क्या ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं? वे इनको अलग समझते हैं। युद्ध की तैयारी तो पंचवर्षीय योजना का आधार है। बिना अपने यहां योजना के सफल हुए हम युद्ध की सफल तैयारी नहीं कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाकर ही हम अपने यहां नागरिकों की और देश की सुरक्षा कर सकते हैं और अपने देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। यह बिलकुल साफ है और मानना चाहिये कि युद्ध की तैयारी बिना योजनाओं के चलाये पूरी तरह से नहीं हो सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे यहां बड़े-बड़े कारखाने लोहे और दूसरे उद्योगों के लगाये गये हैं उससे हमारी कितनी कितनी शक्ति बढ़ी है। उनसे हम अपने यहां अच्छे हथियार तैयार कर सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि हमको दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आयेगी। इसलिये पंचवर्षीय योजना को सफल बनाये बिना हम अपने यहां भरी उद्योग खड़ा नहीं कर सकते और अपने देश को प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सकते और हमारा देश विकसित नहीं हो सकता और साथ ही हम कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। इस नजर से हमको इसका मूल्यांकन करना चाहिये। इन सब बातों का मूल्यांकन करने के बाद आप यह समझ सकते हैं कि जो यह बिल हमारे सामने आया है यह उस मन्शा को पूरा करता है। यह बिल उन चार बिलों में से एक कड़ी है। चौथी योजना को सफल बनाने के लिये आपको साधन जुटाना होगा और उनको जुटाकर हम अपने देश को उन कामों की तरफ ले जायंगे जिससे आगे चलकर कृषि उत्पादन में और हमारी आर्थिक स्थिति के सम्भालने में सहायता मिलेगी।

एक बात भानुप्रतापसिंह जी ने बतलाई कि उनकी पार्टी के मैनिफैस्टो में यह बात मानी गई है कि वे प्लानिंग के विरोधी हैं और इस देश के नियोजन में उनका कोई विश्वास नहीं है। यदि वह श्रम के महत्व को समझते हैं जो जानते होंगे कि श्रम से हमारा देश बहुत

[श्री बेचन राम]

उन्नति कर सकता है। श्रम शक्ति के विषय में जो इस योजना की पुस्तक में बताया गया है उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। - उसमें यह है कि "अर्थ व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की एक प्रक्रिया को आरम्भ करना जिससे १५ वर्ष के भीतर ही कृषि पर लोगों की निर्भरता कम की जा सके और अतिरिक्त श्रम शक्ति उद्योग तथा कृषि के अलावा अन्य कार्यों में खपाई जा सके जिससे बुनियादी और भारी उद्योगों के लिये आधार मिल सके, लेकिन इसके साथ ही लघु उद्योग के विकास पर भी विशेष ध्यान देने की बात है क्योंकि इसमें रोजगार की संभावना अधिक हैं।"

श्रीमन्, दूसरी बात मैं और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ६३.६८ परसेंट जो जन-संख्या है वह कृषि पर लगी हुई है। हमारी इस योजना का मन्तव्य है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में एक आमूल परिवर्तन आरम्भ हो। यहीं हमारी और उनकी बिचारधाराओं में टकराव है। उनकी पार्टी समझती है कि समाज की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन न किया जाय। उत्पादन के लिये केवल अच्छा बीज देने से, सिंचाई के साधन बढ़ाने से ही उत्पादन नहीं बढता। उसके न बढने के भी कई कारण हैं। हमारी अनुदार-वादी व्यवस्था है और आप उसके एक हिस्सेदार हैं। हम अपनी टेनेन्सी में कोई परिवर्तन न करें और साथ-साथ अधिक उत्पादन भी चाहें, यह संभव नहीं है। हम व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जिसमें उत्पादन के रास्ते में जो भी रोड़े हैं वे सम सब समाप्त किये जा सकें। इसमें हमारा और उनका टकराव होगा। हमारी योजना तभी बनती है कि जब हमारे पास साधन कम हों और हम उसके लिये टैक्स लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं, और सीलिंग आदि की बात करते हैं। यह सब चीजें एक तरह की सामान्य, नेचुरल कांसीक्वेन्सेज हैं योजना के। ऐसा करने में लोगों के कुछ बुनियादी अधिकार कम होना भी आवश्यक हैं। लोगों को टैक्स भी देने पड़ेंगे और अपनी व्यवस्था में परिवर्तन भी लाना पड़ेगा। हमारे सामने इसकी मिसालें मौजूद हैं, जर्मनी की, इंग्लैन्ड की, अमरीका की। उनके पास साधन थे, और उसके बाद भी उन्होंने टैक्स लगाये, मेहनत की और अपने देश को उन्नत किया, समृद्धि की।

हमारा देश १९४७ में आजाद हुआ और उस स्थिति में हम या तो रूस और चीन की पद्धति अपना सकते थे या इंग्लैंड की पद्धति अपना सकते थे। हमने अपने संविधान में मिली जुली पद्धति को अपनाया। हम ने अपने देशवासियों को कुछ बुनियादी अधिकार दिये। उनको सिटीजन्स के मौलिक अधिकार प्रदान किये। लेकिन हमारे और सरकार के सामने एक प्रश्न है कि क्या इतने से ही हम देश की उन्नति कर सकते हैं। भानु प्रताप जी ने जार्डन का उदाहरण दिया। उसके मुकाबले में हमारा क्या इंवेस्टमेन्ट है? हम अगर यू० पी० की ही बात करें तो आप देखें कि पंजाब के, बंगाल के या मद्रास के मुकाबले में हमारा क्या इंवेस्टमेन्ट है? इसका कारण हमें खोजना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी नीति में कोई परिवर्तन न हो। हम मेहनत और मजदूरी न करें। यह लज्जाजनक बात है। केवल खसरे और खतौनी के बल पर अपने को जो लोग किसान कहते हैं उनके लिये यह लज्जा की बात है। जिन्होंने खेत नहीं जोता उनको किसान कहलाने का क्या अधिकार है? जो खेत जोत कर उत्पादन करें वही किसान कहला सकते हैं। लेकिन जो खुद खेत नहीं जोतते वह फर्जी और कनकाक्टेड और आर्टिफिशियल किसान हैं। हमारी योजनाएं किसानों के लिये और खेतिहर मजदूरों के लिये कौन सी संभावनाएं पैदा करती हैं? वह बड़े-बड़े और लघु उद्योगों की संभावनाएं पैदा करती हैं। आज छोटे-छोटे किसान जो बड़े-बड़े जमींदारों के पंजे में हैं, शिकंजे में हैं और दम तोड़ रहे हैं उनसे कर्जा लेकर, वह फैक्टरियों में जायेंगे तो जमीन पर से प्रेशर हटेगा और उत्पादन ठीक होगा। हमें जमींदारी अबालीशन में किसान की व्यवस्था को बदलना होगा।

तो यह जल्दबाजी की बात नहीं है। यह तो पास करना ही है, बिचार-विमर्श करें और पास करें अगर हमें पंचवर्षीय योजना को आगे बढाना है। आप कहते हैं कि उत्पादन घटा है, लेकिन घटा नहीं है। हमारी पापुलेशन बढी है इसलिये उत्पादन कम मालूम होता है। उसके अनुपात में उतना नहीं बढा। पापुलेशन कंट्रोल करने की जब बात

की जाती है तो आप बुराई करते हैं। आप संसार की टेक्नालाजीज को छोड़ देते हैं और आप समझते हैं कि बिना उन रीतियों के अपनाये हुए हम अपने देश को उन्नत कर सकते हैं—यह कहां तक संभव है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वैसे तो कोई समय की सीमा नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को खयाल रखना चाहिए कि बोलते समय संयम से काम लें ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह आपकी जिम्मेदारी है कि इर्रेलेवेंट न बोलने दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

योजना के बारे में सभी ने कहा है और इस बिल का उससे थोड़ा संबंध भी है तो मैं तो नहीं रोक सकता, अपने आप संयम रखना चाहिये ।

श्री बेचनराम—

मैं यह निवेदन करूंगा कि इंटेशन क्या था इस बिल का। इसके मंतव्य के संबंध में माननीय सदस्यों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। इसका मंतव्य स्पष्ट है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अधीन जो व्यक्ति हैं उनको ज्यादा देना पड़ेगा। रेंट कंट्रोल ऐक्ट, मैं निवेदन करूं, कि जब लागू हुआ सन् १९४२ में तो मकान बनने बन्द हो गये, मकानों की लोगों को किल्लत हो गयी। उसके बाद लोगों को सुविधा दे दी गयी कि अब वह ऐक्ट लागू नहीं होगा। तो लोगों ने मकान बनाने शुरू किये। जिन लोगों ने बनाये वह जरूर पैसा ज्यादा किराये का ले रहे हैं, लेकिन मकान की उपलब्धियां बढ़ीं। आपको पूरी पृष्ठभूमि को सामने रखकर चलना होगा। आज जनता को रिट में जाने की सिविल कोर्ट में जाने की सुविधा है। तो लोगों ने मकान बनवाने शुरू किये, लोगों की आशंकाएं दूर हुईं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो इसमें प्राविधान किया गया है कि रेन्ट कन्ट्रोल के जो मकान होंगे उन पर यह टैक्स बढाया जायेगा। रेन्ट कन्ट्रोल के जो मकान मिले हुए हैं वे जो ३०–३० और ४०–४० रुपये माहवार पर हैं, वही मकान जो नये हैं और रेन्ट कंट्रोल के बाहर के हैं वे १५० रुपये माहवार पर उठे हैं। तो रेन्ट कन्ट्रोल वाले मकानों पर अगर कुछ टैक्स बढाया जाता है तो वह कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, उचित ही है ।

दूसरे जो व्यावसायिक संस्थायें आदि हैं उन पर कुछ बढाया जायेगा। व्यावसायिक स्थान तथा आवास में कुछ अन्तर होना चाहिये था और वह किया गया है। टैक्स तो उसी से लिया जाना चाहिये जिसमें देय शक्ति हो। इसी मंशा से यह किया जा रहा है । इसकी मंशा यही है कि जिसमें कर देने की अधिक शक्ति है उससे अधिक लिया जाय। जिसकी जैसी स्थिति है उससे उसी के अनुपात में कर लिया जाय, वह इस बिल का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय का ही इसमें समावेश किया गया है ।

माननीय अग्रवाल जी ने कहा कि इसमें उनका भी समावेश होना चाहिये था जो मकान रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के बाहर हैं और मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। वह श्रीमन्, इस विधेयक के स्कोप में नहीं आता। उसको तो रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट में ही लाया जा सकता है। इस विधेयक में वह नहीं लाया जा सकता ।

श्रीमन्, चौथी योजना की पूर्ति की दिशा में हम कटिबद्ध हैं। इसी की पूर्ति पर हम बड़े से बड़े युद्ध लड़ सकते हैं। जब आर्थिक रूप से हम समुन्नत होंगे, सम्पन्न होंगे, तब हमारे, शत्रु भी हमसे डरेंगे, हम देश की सुरक्षा भी ठीक प्रकार से कर सकेंगे और अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकेंगे। यह संकटकालीन परिस्थिति अभी गयी नहीं है। इसे

[श्री बेचनराम]

भी हमें अपने ध्यान में रखना है। हो सकता है २० साल तक यह परिस्थिति बनी रहे। इसलिये जब तक हम आर्थिक उन्नति नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी विदेशी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वह तभी संभव है जब कि हमारी योजनायें सफल हों।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत है सबसे पहले मैं इसके उद्देश्य और कारणों को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। "उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९६२) १ जुलाई, १९६२ से प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम के अधीन दुकानों, वाणिज्य अधिष्ठानों और फैक्ट्रियों के लिये प्रयुक्त भवनों तथा उन भूमियों या भवनों के संबंध में, जिनका इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जाता है अथवा रेन्ट कन्ट्रोल के अधीन भवनों तथा अन्य भूमियों और भवनों के संबंध में कर की विभिन्न दरें निश्चित करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। ऐसा विचार किया जाता है कि अन्य भवनों की अपेक्षा कारोबार के भू-गृहादि के रूप में प्रयोग किये जाने वाले भवनों के लिये तथा इसी प्रकार यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७) के अधीन भवनों के लिये ऊंची दर निश्चित करने का अधिकार होना चाहिये। यह भी आवश्यक समझा गया है कि कर की अधिकतम दर को बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर दिया जाय। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

अब श्रीमन्, यहां क्या बात थी। ये चार विधेयक जो सदन में आ रहे हैं इनके प्रति मुझे पता लगा है कि पांच, छः महीने और हमको सुनने में आ रहा था कि यू० पी० सरकार बड़े-बड़े टैक्स लगायेगी। तब कोई पाकिस्तान के हमले की बात नहीं थी, चीन की फौजें सिक्किम में मंडरा नहीं रही थीं। पर चूंकि सरकार समझती थी कि ऐसे समय में लाया जायेगा तो विरोध करने का मौका होगा और उस समय हमारे सामने बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि सरकार पहिले ही लगान के मामले पर जबरदस्त विरोध भोग चुकी है, देख चुकी है। तो सरकार ने सोचा कि जिस वक्त संकट की बात आये उसी वक्त इसको भी पेश कर दें। सबकी जुबान बन्द होगी कोई कुछ कह नहीं सकता। श्रीमन्, कल साढ़े बारह बजे तक हमारी जुबान भी बन्द थी। इसलिये बन्द थी कि जरा भी कोई बात कहते तो माननीय मिश्र तथा अन्य माननीय सदस्य कहते कि हम लोग देश के प्रेमी नहीं हैं और जो बार बार इन्टरटेनमेन्ट टैक्स पर बात हुई थी वह यही एक ही बात माननीय सदस्यों ने दोहराई कि मातृभूमि की रक्षा के लिये टैक्स नहीं लगाने देते हो, अपनी इस बात से लज्जित होते थे। वह बात भी साफ हो गई। अब आप क्या कहते हैं? अब आप कहते हैं कि लड़ाई तो बन्द है, अपनी तैयारी तो आवश्यक है। हमको और लड़ना पड़ेगा इसलिये टैक्सों की जरूरत है। यह कोई श्रीमन्, दलील है? इस सारे औचित्य पर मैं कहना चाहता हूं कि टैक्स हर सरकार लगाया करती है इसमें कोई नई बात नहीं। बिला टैक्सों के कोई सरकार चलती ही नहीं यह भी सब कोई जानता है और जिसके लिये टैक्स लगाया जाय उसपर उसका पूरा-पूरा उपयोग होना चाहिये।

माननीय भानुप्रतापसिंह जी का भाषण अगर पार्लियामेन्ट में होता तो अच्छा होता। उन्होंने सारे देश के आंकड़े अच्छी तरह रक्खे। मैं अलग से उत्तर प्रदेश के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। सरकार सब योजनाओं के लिये कर लेना चाहती है। एक रुपया लेने के बाद अगर पौन रुपया रह जाय तो ये योजनायें किस काम की हो सकती हैं? जिस वक्त आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी उस समय आपके प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी २३५ रु० थी और उसके बाद जब आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्त

हुआ तो वह २३२ रुपया रह गई। जितना खर्च किया उसका परिणाम यह हुआ कि घटकर २३२ रह गया। उसके बाद आई द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसमें २३६ हुई, उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्य में २४० हुई और उसके बाद अब, श्रीमन्, अन्त में २५५ होगी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में २७२ से आगे जा नहीं सकती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद द्वितीय पंजवर्षीय योजना में दुगुना लगा, तीसरी में तिगुना लगा, चौथी में और बढ़ गया और उसका परिणाम क्या हुआ कि साढ़े चार करोड़ लोगों की उत्तर प्रदेश की आमदनी साढ़े चार आने ही है। इससे ज्यादा नहीं बढ़ी तो उपाध्यक्ष महोदय, योजना का तो हम बहाना करते हैं। मैं माननीय भानुप्रताप जी से अलग अपने विचार पेश करता हूं। जिनका कार्यक्रम दक्षिणपन्थी हो, जिनका प्रोग्राम पूंजीवाद को बढावा देना हो वे ऐसा बहाना कर सकते हैं पर समाजवादी प्रोग्राम में योजना से कार्य नहीं चल सकता है इसको मैं निर्विवाद रूप में मानता हुं। अगर हम नहीं देखते कि योजना पर कितनी रकम लगी और उसका लाभ कितना मिला तो योजनायें फीकी हो जायेंगी। समाजवाद का लक्ष्य कहता है कि सौ रुपये से कम की आमदनी किसी की न हो और एक हजार से ज्यादा न हो। यह बात हम और उधर बैठने वाले सभी निर्विवाद रूप से मानते हैं। अब जो आपके योजनाओं की गति चल रही है उसके हिसाब से २५५ की भी आमदनी तृतीय पंचवर्षीय योजना में है तो आप समझ लीजिये कि साढ़े नौ रुपये के करीब यह पड़ता हो तो सौ रुपये तक पहुंचने में आपको कितनी पंचवर्षीय योजनायें बनानी पड़ेंगी? इस हिसाब से आपको कम से कम साठ पंचवर्षीय योजनायें बनानी पड़ेंगी तब जाकर इस प्रदेश की औसत आमदनी १०० रु० होगी। और ६० योजना का मतलब क्या होगा? तीन सौ वर्ष। ३०० वर्ष का मतलब होगा माननीय राममूर्ति जी की सात आठ पीढ़ियों का उसमें फर्क पड़ जायगा और मेरी भी सात आठ पीढ़ियों का फर्क पड़ जायगा। मैं मानता हूं कि समाजवादी सरकार कहने के साथ-साथ टैक्स लगाने की बात भी आती है, लेकिन योजनाओं का एक सही रूप सामने आना चाहिये।

योजनाओं के नाम पर टैक्स यह सरकार जरूर लेती है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिये, उद्योग में देख लीजिए, कृषि में देख लीजिये, कहीं प्रगति बढ़ती नहीं है। ऐसी हालत में हमारे जैसे दिमाग के लोग समझते हैं कि फिर कैसे टैक्स दिया जाय, और फिर हम उस बात के ऊपर कुठाराघात करते हैं जिससे कि आम जनता के ऊपर टैक्स बढे और उसका फायदा उसको न पहुंचे। अभी जो पहले माननीय अधिष्ठाता महोदय थे उन्होंने और माननीय जगदीशशरण अग्रवाल ने कुछ बातें कहीं। आज मैं माननीय कृष्णानन्द राय और माननीय जगदीश शरण अग्रवाल की बात सुनकर प्रसन्न हुआ कि कभी-कभी वह सरकार से अलग होकर भी बात करते हैं। जगदीश शरण जी ने कहा कि पांच परसेन्ट से दस परसेन्ट तक तो आपको पहले ही अधिकार था अब आप २५ परसेन्ट उसको करना चाहते हैं, पांच गुना बढाना चाहते हैं और आपने यह भी कहा कि ५० लाख रुपया कुल आपको इससे मिलने वाला है। माननीय मंत्री जी ने यह भी साफ किया कि १ करोड़ २३ लाख रुपया आपको इससे अब तक मिलता था। उस पर ५० लाख और बढ़ाना चाहते हैं। बस इतनी ही तो बात है। अब मान्यवर, अगर इनका कोई दृष्टिकोण सही होता तो इनको विश्लेषण इसमें करना चाहिये था कि किस पर यह बढाना चाहिए। माननीय जगदीशशरण जी ने ३० रुपये महीने तक के मकान की बात कही। मैं उसको कम समझता हूं। मैं समझता हूं कि ५० रुपये महीने तक किराया देने वालों पर एक पैसा भी नहीं पड़ना चाहिये। मकान मालिकों पर आप लगा सकते हैं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन होता यह है कि मालगुजारी बढेगी तो छोटे से लेकर बड़े सब किसानों की बढ़ेगी, टैक्स लगेगा तो बिरला से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक सब पर लगेगा, भूमि भवन कर बढेगा तो ऊपर से नीचे तक बराबर बढ़ता चला जायगा। यह मेरी समझ में बात बिलकुल नहीं आती है। इसलिये मैं बिलकुल इस राय का हूं कि

[श्री राधेश्याम शर्मा]

जरूरत समाजवादी सरकार को रुपये की होती है और पचास लाख अगर आप चाहते हैं तो हमें इसमें भी कोई एतराज नहीं, परन्तु इसके साथ कम से कम ५० रुपया माहवार किराया देने वाले लोगों को इसमें छोड़ देना चाहिये, तब जाकर समाजवादी दर्शन की बात आती है। माननीय बंचनराम जी सारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का चिट्ठा पढ़ रहे थे। मैंने प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक सारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली प्रति व्यक्ति आय को सामने रखकर इन योजनाओं का परदा फाश कर दिया कि प्रति व्यक्ति आय बढी नहीं है घटी है या ज्यों की त्यों है। तो इन योजनाओं का क्या सरोकार रह गया है।

जिस दिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर बहस होगी, उस दिन यदि मुझे समय मिल गया तो ७०० मामले आपके सामने रखूंगा, साढे चार सौ मैंने बनाकर रख लिया है कि कितने पुल टूट गये, कितनी जगह और रुपये का दुरुपयोग हुआ? अभी मथुरा में बहुत बढ़िया एक पुल बनाया जमुना पर, गिरधारी लाल जी गये उसका उदघाटन करने, साढे सात लाख रुपये में वह पुल बना और डेढ ही साल हुए सारा खंडहर हो गया, टूट गया, टीप टाप हो रही है। कोई सवाल करे तो कोई उससे फायदा नहीं होता। तो योजनाओं के नाम पर गलत काम करेंगे सही ढंग से रुपया खर्च नहीं करेंगे, इंजीनियरों को पूरी छूट देंगे, और फिर हमसे कहें कि आलोचना न करें, तो यह समझ में बात आती नहीं है। यह जो बात कही जाती है बार-बार कि राष्ट्रीय संकट के लिये यह सब कुछ हो रहा है तो यह आप किससे कहते हो और किस लिये कहते हो? आप भी उसी देश के रहने वाले हैं और हम भी उसी देश के रहने वाले हैं। कहते हैं कि सरकार की मदद करो, तो ऐसे वक्त में सरकार कौन रह जाती है और नागरिक कौन रह जाता है? साफ-साफ आपको मैं कहता हूं कि संकट काल में नागरिकों में सरकार में कोई भेद नहीं होता। नागरिकों को पूरे तौर पर यह विश्वास होना चाहिये कि सरकार ठीक-ठीक काम कर रही है और सरकार को यह विश्वास होना चाहिये कि देश का मनोबल सही-सही बढ़ता जा रहा है। इस पर भी जो कुछ आप बार-बार कहते हैं उससे हमें तकलीफ होती है कि किस तरह से आप छोटी बात कह कर पब्लिक को गुमराह करते हैं। गलत योजनाओं का नाम लेकर अनाप शनाप टैक्स बढाते चले जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम विरोधी पक्ष के लोग सही बात जरूर कहेंगे।

कल वंशीधर जी से मेरी बातें हुई थीं। उन्होंने बताया कि सरकार प्रशासन पर खर्चे में कटौती करने जा रही है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन देखना यह है कि वह किस तरीके से, किस क्षेत्र में और किस तरह से कटौती की जाती है। अगर सरकार इसको पहले से बता देती कि प्रशासन में किस प्रकार से वह कटौती करने जा रही है तो अच्छा होता। उसमें हमें मालूम हो जाता कि मंत्रियों के लिये बनाये जाने वाले फाटकों के द्वारों को मिटाने की योजना है, उनके दौरे कम किये जा रहे हैं, भत्तों के खर्चे में कमी की जा रही है। जब मैंने भत्ते की रिपोर्ट को पढ़ा तो जो लोग दौरे करते हैं उनके भत्ते तो किसी किसी के आये ३०० रुपये और माननीय न्याय मंत्री जो कभी कहीं नहीं जाते, उनका खर्चा आया १,५०० रुपया। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने कहां का दौरा किया। माननीय काशीनाथ जी तो कहते हैं कि कोई भी मंत्री ईमानदार नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं कहता क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग ईमानदार भी हैं। कुछ भी हो लेकिन इस संकटकाल में आपको अपने खर्चे में कमी करनी चाहिये अगर आप अपने खर्चों में कमी नहीं करेंगे तो प्रदेश की जनता के समक्ष अपना आदर्श नहीं रखेंगे तो वह आपकी बात को कैसे मानेगी।

अभी बुलन्दशहर के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि बुलन्दशहर में एक मंत्री महोदय गये। १८ फाटक उनके स्वागत में बनाये गये। किसी ने एतराज

किया तो उसको चांटा मार दिया और बन्द करा दिया। जिस पर हजारों आदमियों का प्रदर्शन हुआ। जब आपके मंत्रिमंडल के सदस्य इस संकटकाल में त्याग, तपस्या और बलिदान का आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे तो जनता को किस तरह से समझा सकेंगे। देश के लिये हर एक आदमी त्याग और बलिदान करने को तैयार है। इसलिये अगर सरकार बार-बार इस बात को दोहराया न करे तो अच्छा हो। एक दिन जब मिल कर यह तय हो गया कि जंग के जमाने में सब लोग एक दल के रूप में काम करेंगे फिर इस प्रकार की बात को बार-बार दोहराना कहां तक उचित है? हम जो भी बात कहेंगे वह देश के और आपके हित में ही कहेंगे।

इस भूमि भवन कर से आपको ५० लाख रुपया मिलेगा। बहुत ज्यादा मिलने की बात नहीं है। फिर भी यह जानकर कि बिना रुपया के आपका काम नहीं चल सकता, हम उस रुपये को आपको देना चाहते हैं लेकिन मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूं और वह यह है कि आप ए० से लेकर जेड० तक जो सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं, उससे हमें तकलीफ होती है। एक रिक्शा वाला जो कोठरी में रहता है उस पर भी आप उसी रेट से टैक्स लगाते हैं जिस रेट से आप एक बड़े आदमी पर लगाते हैं। आपको यह एलान कर देना चाहिये कि ५० रुपया तक के किरायेदारों पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, हां मकान मालिक से आप उसको ले सकते हैं। आप यदि यह कहें कि यह किरायेदार पर नहीं पड़ेगा, ऐसी बात है, नहीं, कोई भी ऐसा टैक्स नहीं है जो उत्पादन कर्त्ता पर न पड़ता हो या क्रय करने वाले पर न पड़ता हो। आपके पुराने कानून में है कि किरायेदार से लिया जा सकता है, भले ही आपने उसको वसूल करने की एजेन्सी मकान मालिक को माना हो। इसलिये अगर आपको कोई बिल लाना है तो आप सोच समझ कर लाइये। आप हमें यह दिखाइये कि बिल सही सही लाया जा रहा है और मंत्रि-मंडल उसका प्रयोग ठीक-ठीक करने जा रहा है तो हमारे दिमाग में भी यह बात आये कि इसका समर्थन करना चाहिये। वरना यह हो नहीं सकता कि आप विरोधी पक्ष से तो यह कहते जायं कि त्याग, तपस्या करो और सरकार को उसका कुछ भी अहसास न हो। इससे काम चलने वाला नहीं है।

इसलिए मैं बड़े साफ शब्दों में सरकार को बतलाना चाहता हूं कि समाजवादी पद्धति के अनुसार एक आनुपातिक दृष्टिकोण से आप कर लगाते तो उस का कोई विरोध नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और इसी कारण से हम इस की विरोध करते हैं। मैं मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वह इसमें से ५० रुपया माहवार के किराये दारों को निकाल दें, वह इसमें नहीं आने चाहियें।

अभी तक जो भूमि-भवन-कर लगाया गया था वही वसूल नहीं हो सका है, हर जगह उस के खिलाफ आवाज सुनने को मिलती है और वह वसूल नहीं हुआ है, जब उसी को जनता नहीं दे रही है और उस के खिलाफ है तो इजाफा करने पर तो और भी दिक्कत होगी और उसका विरोध होगा। माननीय जगदीशशरण अग्रवाल कह रहे थे कि उग्रसेन जी कहते हैं कि सरकार कुर्सी मजबूत करने के लिए कर लगाती है लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार कर इसलिए लगाती है कि आप सरकार को उलट सकें। यह बरेली के माननीय सदस्य का कहना है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने सही बात कही, लेकिन जो उन्होंने कहा वह मैं आपके सामने रखता हूं। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि सरकार जो भी काम करे वह एक ही तरीके से करे वर्ना होगा यह कि संकटकाल के बहाने और पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ का लालच इस सूबे की भूखी नंगी जनता को गुमराह नहीं कर सकेगा। और यह सरकार उलट दी जायगी और एक समाजवादी स्वच्छ सरकार बनेगी, जो इस सूबे का काम राज्य का चलायेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस नौबत के आने से पहले ही यह सरकार ठीक से काम करने लगे तो हमारे विरोधी पक्ष का और सरकार का काम ठीक से चलेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार वक्त रहते इस चीज को समझे और वक्त बीतने पर फिर पछताने की बात हो सकती है। इसलिए मैं वित्त मन्त्री से कहूंगा कि जो सुझाव मैंने पेश किये हैं उनको मान लें।

श्री गिरधारीलाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो भूमि-भवन-कर विधेयक पेश है मैं उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करता हूं। इस बिल के संशोधन में माननीय जगदीशशरण अग्रवाल ने जो संशोधन दिये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। इस बिल के सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया'। इतने बड़े विरोध के बावजूद इस कर को लगा कर सरकार को कुल ५० लाख रुपया मिलेगा। आज जब कि हमारे सूबे की जनता ने बिना कहे सुने ही देश पर मुसीबत आते ही हर प्रकार का सहयोग दिया है, अपना तन, मन और धन सब कुछ अर्पण किया है तो हमें अभी ऐसी चीज लाने के लिए विचार थोड़ा करना चाहिये था। इस समय इस कर को लाने में कोई समयोचित बात नहीं मालूम होती। अभी माननीय स्वायत्त शासन उपमन्त्री ने इस बिल को पेश करते समय कहा कि इस में उन लोगों को राहत दी गयी है जिन लोगों का किराया या मकान १२० रुपये के असेसमेंट से नीचे है, उन पर यह कर लागू नहीं होगा। थोड़ा सोचने पर यह बात स्पष्ट मालूम होगी कि आज के समय में नगरों में कोई भी जैसा मकान ले या कोई भी ऐसी कोठरी तक नहीं होगी जिस का किराया १० रुपया मासिक से कम हो।

मकान की तो बात ही जाने दीजिये। जिस मकान का असेसमेंट १० रुपये होगा, उस १० रुपये वाले मकान को जो आज लेगा उस में न पानी के लिए पाइप होगा और न सैनिटरी फिटिंग ही लगेगी। जब किसी मकान में पानी के लिए पाइप न हो और सैनिटरी फिटिंग न हो तो उस मकान में कौन रह सकता है। यह तो कोरी कल्पना ही हुई, कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि सन् १९६२ से १९६५ तक जब से यह बिल लागू किया गया है, बताया जाता कि इस पर कितना खर्चा हुआ है और कितनी आय हुई है। दूसरे जो और यह कर निर्धारण किया जा रहा है तो सोचना पड़ेगा कि उससे कितना लाभ होगा। जब यह टैक्स प्रदेश में लगा था, तो प्रदेश के प्रत्येक जिले में, और और पार्टियों को तो छोड़ दीजिये वे तो इसका विरोध करते ही थे, हम विधायकगण से जो कांग्रेस पार्टी के हैं और जिन्होंने इसी माननीय सदन में विरोध नहीं किया, शहरों के लोगों ने इसका घोर विरोध किया। सारी जनता ने इसका विरोध किया और सारे के सारे कार्यकर्त्ताओं ने इस भूमि-भवन-कर का विरोध किया। मैं समझता हूं कि सारी जनता आपके हर काम का समर्थन करने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि वे इस पर यदि थोड़ा-सा भी गौर करें तो महसूस करेंगी कि इस में कोई तर्कसंगत बात नहीं है कि यह टैक्स लगाया जाय।

जहां तक गरीबों की बात है मेरा यह दावा है कि इस टैक्स का सारा बोझ ही गरीब लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश संख्या में मकानों में रहने वाले किरायेदार ही हैं। ये वे लोग हैं जिन के पास अपने मकान नहीं हैं या वे दूकानदार हैं जिनके पास अपनी निजी दुकानें नहीं हैं। तो यह सारा का सारा बोझ उन के ऊपर ही पड़ेगा। मकान वालों पर तो थोड़ा-सा ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो उस हिस्से पर ही देना पड़ेगा जिस हिस्से में वे स्वयं रहते हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि आप ऐसा कोई टैक्स न लगावें जिस का सारा बोझा गरीबों पर ही पड़े।

दूसरी बात रेंट कन्ट्रोल की भी की गयी है। जो मकान सन् १९५२ से पहले के हैं वे रेंट कन्ट्रोल में आते हैं जिन में पुराने किरायेदार रह रहे हैं। रेंट कन्ट्रोल के बारे में लोगों के तरह-तरह के विचार हैं। रेंट कन्ट्रोल भी एक सामाजिक न्याय नहीं है। आज जो मकान सन् १९४० के बने हुए हैं, उनका किराया २०-२५ रुपया है और जो १९५२ के बाद के बने हुए हैं उनका किराया ५०-६० रुपये है तो यह कोई उचित बात नहीं है। जो किरायेदार रेंट कन्ट्रोल का फायदा उठा रहे हैं अगर उन पर कुछ टैक्स बढ़ा दिया जाय तो कोई खास बात नहीं होगी। रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट में जो संशोधन की मांग की गयी है, उस पर जब आप विचार करें तो देखेंगे कि किरायेदारों को भी फायदा हो और आप के ऊपर जो लांछन है वह भी दूर हो

जाय। तो मैं कहूंगा कि किसी भी दृष्टि से, क्योंकि जितने भी लोगों ने विचार प्रकट किये हैं, प्राय: एक या दो को छोड़ कर जिनका सम्बन्ध शहरी इलाके से है करीब-करीब सभी लोगों ने यह मत प्रकट किया है कि इस को स्थगित किया जाय और संशोधित दरों को न लगायें।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। यह शासन की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि इस समय संकटकालीन स्थिति है, उसे अधिक धन चाहिये और ऐसे संकट के समय में विरोधी दल की ओर से भी सहयोग बराबर आता रहना चाहिये तथा जो विधेयक साधन जुटाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किय जायं उन में हम को प्रसन्नतापूर्वक सहयोग देना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि संकटकालीन स्थिति है और ऐसी स्थिति में सभी को कंधे से कंधा मिला कर देश की रक्षा में सहयोग देना चाहिये। मैं यह भी मानता हूं कि सीज फायर हो जाने से हमारी संकटकालीन स्थिति समाप्त नहीं हुई। लेकिन जहां इस विशेष परिस्थिति में विरोधी दलों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है वहां मैं समझता हूं कि हर एक शासन को इस विचार को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे समय में कोई ऐसा कर न लगाया जाय जिस के बारे में विवाद अधिक हो। जब हम यह चाहते हैं कि ऐसे समय में सामूहिक रूप से दुश्मन का मुकाबिला करें तो हमारी मुख्य मन्त्री या वित्त मन्त्री ने, जिसने भी, यह बिल रखा है, उनका यह उत्तरदायित्व है कि इस समय ऐसा कर न लगायें, जिस क सम्बन्ध में हमारी तरफ से बहुत तीव्र गति से विरोध हुआ है। शासन को जनता की भावनाओं को समझना चाहिए और कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाना चाहिये जो समुचित नहीं है। दोनों ही पक्षों से जो विचार इस विधेयक के सम्बन्ध में रखे गये हैं उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि इस प्रकार का कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

मैंने जैसा कहा आज आवास की समस्या बड़ी कठिन है और वित्त मन्त्री जी ने बताया कि हम तो केवल उन पर कर बढ़ाना चाहते हैं जो व्यवसाय से सम्बन्धित या दूकानें वगैरह हैं जिन से आमदनी अधिक होती है। तो पहली चीज जो आवश्यक है उसमें २५ परसेंट प्रत्येक प्रकार के भवन पर आप बढ़ा सकते हैं इसलिए वित्त मन्त्री की ओर से यह आश्वासन स्पष्ट आना चाहिये कि दुकानों और व्यवसायों सम्बन्धी भवनों के अतिरिक्त और किसी भवन पर १० फीसदी से ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता है। कानूनन आप लगा सकते हैं क्योंकि १० प्रतिशत की जगह २५ प्रतिशत रख दिया है और बिना किसी विधेयक को भविष्य में लाये हुये आप २५ फीसदी तक लगा सकते हैं इसलिए शंका अवश्य उत्पन्न होती है कि आप पीछे के दरवाजे से आकर सब पर २५ फीसदी लगाने की ताकत लेना चाहते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से यह बात आनी चाहिये कि दुकानों और व्यवसाय सम्बन्धी मकानों के अतिरिक्त और किसी पर किसी भी परिस्थिति में १० परसेंट से अधिक नहीं लगना चाहिये। पहले तो यह आना चाहिये। इस विधेयक में कोई ऐसा आश्वासन नहीं है। दफा ३ में यह कहा गया है कि १० परसेंट के स्थान पर २५ परसेंट कर दिया जाय और एक प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि सरकार गजट द्वारा विशेष परिस्थितियों में किराया बढ़ा देगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आवास के सम्बन्ध में यह कठिनाई है फिर भी सरकार इस के द्वारा नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। जो भवन बने हुये हैं उन पर तीन प्रकार के टैक्स लगे हुये हैं। पहला इन्कम टैक्स, दूसरे नगरपालिकाओं द्वारा लगाया गया हाउस टैक्स तथा तीसरे भूमि-भवन-कर। नगरपालिका के अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा ऐसे जी० ओ० को भेजा गया है जिस में लिखा है कि जो नगरपालिका हाउस टैक्स नहीं लगायेगी उन को सड़कों के सम्बन्ध में, कोई भी अनुदान नहीं दिया जायगा। इस प्रकार सरकार बाध्य कर रही है कि नगरपालिकायें अपनी सीमा में अधिक से अधिक हाउस टैक्स लगायें। दूसरी ओर भूमि तथा भवन-कर लगा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी परि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा भक्तसिंह]

स्थिति पैदा हो सकती है कि लोगों में बेचैनी पैदा हो। हम को अनुभव है कि लोग भूमि तथा भवन-कर जो लगा है उसे ही नहीं दे सकते तब उन पर हाउस टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं लगाया सरकार उन पर दबाव डाल रही है कि अगर वे सरकार से किसी तरह का अनुदान चाहती हैं तो उन को सब से पहले ही उस टैक्स को लगाना होगा। एक ही प्रकार की सम्पत्ति पर तीन कर का एक साथ लगाना कहां तक न्यायसंगत है? तीनों कर के लगने से ऐसा लगता है कि आज अपना आवास रखना कठिन हो रहा है।

आप ने कहा कि आप यह टैक्स दूकानों पर लगाना चाहते हैं, जिन बड़े आदमियों ने दुकानें बना ली हैं, उन पर लगाना चाहते हैं। पिछले भूमि तथा भवन-कर में आप ने यह व्यवस्था कर दी है कि जो लोग मालिक हैं वे उस कर को अपने किरायेदारों से ले सकते हैं और इस प्रकार आप ने किरायेदारों पर उस टैक्स को लगाने का पूरा अधिकार दे रखा है और इस प्रकार रेंट कन्ट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट के मातहत जिन मकानों का किराया आज तक नहीं बढ़ सका था उन पर आप ने यह टैक्स लगा कर उन का किराया बढ़ा दिया। ये वे लोग हैं जो पहले से किराये के मकानों में रहते हैं, जिन के बहुत सीमित साधन हैं, जिन की आमदनी बहुत कम है और इसी लिए आज तक सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी उन की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो सकी कि वे अपने स्वयं के मकान बना सके इसके जरिये आप उन्हीं पर टैक्स लगा रहे हैं और पहले ही से जो उन की बेचैनी थी उस में आप इजाफा कर रहे हैं। पिछले दिनों जब बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में यहां चर्चा की गयी तो हम से कहा गया था खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतें हैं। इनका प्रभाव गांव वालों पर नहीं पड़ता है, शहर के लोगों को ये प्रभावित करती हैं। इसीलिए उन्हीं को गल्ला देने की कोशिश की गयी। जो लोग पहले से आप के कानून मुताबिक कठिनाई में पड़े हुये हैं, मध्यवर्ती लोग जिन को जीवन चलाना कठिन हो गया है उन के ऊपर एक भार और रख दिया जाय, यह उचित नहीं मालूम होता खासकर जब देश में संकटकालीन परिस्थिति चल रही हो सरकार हर बात में जिद करती है। सरकार किसी और परिस्थिति में जिद करे तो ठीक है लेकिन जब देश का प्रत्येक वर्ग सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है और जब लोग त्याग की भावना से अपना आत्म-समर्पण तथा सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं उस समय ऐसा कदम उठाने का कोई औचित्य नहीं है। केवल ५० लाख रुपये आप को इस से प्राप्त होने वाले हैं और आज सहयोग का जो कुछ वातावरण बना हुआ है उस को आप इस तरह से खत्म करना चाहते हैं तो यह किसी तरह से अच्छी बात नहीं होगी। अगर आप को इस कर से ५० लाख रुपये मिलने वाला है और जिस के सम्बन्ध में विरोधी दलों की भावनायें तीव्र हैं, ऐसे समय में सरकार ऐसे कर लाती है तो एक बात निकलती है कि आप को पैसा चाहिये, जनता और विरोधी दल का सहयोग प्राप्त हो या न हो, उस की इच्छा यह सरकार नहीं रखती है। अगर आप को ५० लाख रुपया चाहिये तो आप विरोधी दल के लोगों से उस के लिए पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि शास्त्री जी ने जैसे विरोधी दल के लोगों को विश्वास में लेकर नया वातावरण देश में पैदा किया है वह हमारे देश के उज्जवल भविष्य का सूचक है। जो युद्ध प्रयासों में हमें सफलता मिली है और देश के सारे लोग आज सरकार के पीछे खड़े हो गये हैं, उसका कारण यह भी है कि शास्त्री जी ने सभी को अपने विश्वास में लिया और उन से बात कर के आगे बढ़े हैं। लेकिन प्रदेशीय सरकार ने किसी बात का उदाहरण नहीं लिया है और न लेगी क्योंकि वह अपने को अधिक बुद्धिमान समझती है। इस टैक्स के लिए आप हम से बात कर सकते थे कि हम को टैक्स चाहिये। लेकिन आप मालगुजारी बढ़ायेंगे या भूमि-भवन-कर लगायेंगे। इस के अतिरिक्त नया टैक्स आप को याद ही नहीं आता है या जो आप के अधीन अधिकारी या नौकरशाही काम करती है, उन्हें सोचने का मौका नहीं है या सोचना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की बुद्धिमानी का सब से बड़ा उदाहरण यह होता कि उसे विचार कर के ऐसा टैक्स लगाना चाहिये था जिस में विरोधी दल के लोग शामिल होते। सरकार को देश के वातावरण को बिगाड़ना नहीं चाहिये था।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, यह एक आध उदाहरण दे दें कि कैसे टैक्स लगाये जायें।

श्री शारदाभक्तसिंह--

जब आप पूछेंगे तब बतायेंगे। यह नहीं कि वैसे ही लिख कर भेज दिया जाय। आपने कभी पूछा ही नहीं है। आप जानते हैं और आप का हृदय जानता है कि इस संकटकालीन स्थिति में ईमानदारी से काम न कर के, इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर जो आप करना चाहते थे उस को विरोधी दल के ऊपर लादना चाहते हैं। आप कहते हैं कि देश पर संकट आया है इसलिए इस को मान लें। आज देश की परिस्थिति बड़ी भयंकर है और आप ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते हैं इसके लिए विरोधी दल के लोग दुःख प्रकट करते हैं। मैं माननीय कृष्णानन्द जी के लिये वह सुदिन समझूंगा और यह सरकार के लिये अच्छा होगा देश के लिये अच्छा होगा और प्रदेश के लिये अच्छा होगा अगर वह सरकार की हर बात में हां में हां न मिलायें बल्कि सोच-समझकर ठीक बात में सरकार का साथ दें।

मैं समझता हूं कि सरकार का सब से बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे कर लगाकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारे जिस से अधिक से अधिक लोग सरकार के साथ चल सकें। सरकार कहती है कि विरोधी दल सरकार के साथ मिल कर चले, लेकिन सरकार को पूर्ण स्वतन्त्रता हो कि वह चाहे जैसा काम करे। चाहे उस से वातावरण बिगड़े और सहयोग मिले या न मिले, मैं समझता हूं कि यह आज की परिस्थिति में उचित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस कर को ला कर आप ने प्रदेश की बड़ी हानि की है। जो परिस्थिति प्रान्त में चल रही थी और मैं समझता था कि इन दिनों में जब तक यह परिस्थिति बनी हुई है हम को और आप को एक साथ बैठकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये था। लेकिन जिस दिन से ये चार कर बिना पूछे हुये आप लाये हैं और पिछले करों को आज की स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर पास कराना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप उस परिस्थिति का अनुभव नहीं करते हैं, उस एकता का मूल्य नहीं समझते हैं। जो वातावरण देश में आजकल बना हुआ है, जिस से सारे समाज में एक आत्म-विश्वास पैदा हुआ है और जिस के कारण हमारे बहादुर जवान आगे बढ़े हैं, उस के बिगाड़ने की जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार की होगी। अगर सरकार दलगत स्वार्थों के लिए और राजनीतिक अवसरवादी के लिए यदि वातावरण बिगाड़ना चाहती है तो यह देश और प्रदेश के लिए बड़ा अभाग्य है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप को सद्बुद्धि दे और आप समय के तकाजे के अनुसार बुद्धि के साथ चल सकें, तो प्रान्त का भी भला होगा।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री रामचन्द्र विकल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन देने के बावजूद भी, आप से कहने के बावजूद भी, सुबह से अब तक खड़े होने के बावजूद भी आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप रोज खड़े होते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--

आप जिस प्रकार पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं. . .

श्री उपाध्यक्ष--

पक्षपातपूर्ण व्यवहार आप कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं उसका विरोध करता हूं और सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रामचन्द्र विकल सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

यह जो हमारे सामने भूमि-भवन-कर आया है इस को लोगों ने गलत समझा है। भूमि-भवन-कर गरीब आदमियों पर कम लगेगा, बड़े आदमियों पर ज्यादा लगेगा। जो तीन रुपया हाउस टैक्स देता है उस पर भवन-कर नहीं आयेगा। जो दस रुपये से ऊपर देते हैं उन पर यह टैक्स लगेगा। जो मकान ५२ के पहले बने हैं उन का किराया बहुत कम है। उन का किराया अगर दस रुपये है, तो आज के जमाने में उसी तरह के मकानों का किराया सौ रुपये है। जो दस रुपये देता है वह साढ़े बारह रुपये आसानी से दे सकता है। आज शहरों में बड़े-बड़े मकान, बड़ी-बड़ी मिलें, और फैक्टरियां हैं जिन की आमदनी काफी तादाद में बढ़ चुकी है। जब आप समाजवाद की बात करते हैं, आप सीधे तरीके से टैक्स नहीं लगा सकते हैं तो यही तरीका है सरकार की आमदनी बढ़ाने का। आप कहते हैं कि संकटकालीन अवस्था नहीं है। आज संकटकालीन अवस्था ज्यादा है, पहले नहीं थी। आज हम को खड़ा होना है मजबूती के साथ जिस चेतावनी को पाकिस्तान और चीन ने दिया है उस के सामने। अगर आज हमारी सरकार ने योजनायें न बनायी होतीं, तो यह फौज का सामान और हवाई जहाज कहां से बनते? आप को हमारी सरकार का आभार प्रकट करना चाहिये कि उस ने १७ सालों के अन्दर अपनी योजनाओं के द्वारा इतनी उन्नति दिखला दी है।

आज हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ चुकी है। वह बढ़ी है नौजवानों के कारण, योजनाओं के कारण। यह सच है कि और सूबे के मुकाबिले में हमारे सूबे ने कम तरक्की की है। हम ने अपने यहां वह विकास की योजनायें कायम नहीं की हैं जिन के कारण प्रान्त का उत्पादन बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है। उसके लिए सिवा इसके कि अपने रुपये से योजनायें बनायें और कोई रास्ता नहीं है। हम को केन्द्रीय सरकार से योगदान मिलता है लेकिन ६० परसेंट केन्द्रीय सरकार से सहायता तब मिलेगी जब ४० परसेंट उत्तर प्रदेश की सरकार अपना योगदान करे। अगर आप कहते हैं कि हमारा प्रान्त इस लायक नहीं है और ऐसी अवस्था में यदि आप अपना योगदान नहीं दे सकते तो आप ६० फीसदी लेने के भी हकदार नहीं हैं। और यदि यह नहीं मिलेगा, तो कैसे हमारे प्रदेश का विकास होगा। हम को अपने दिल पर पत्थर रखकर, यदि कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, बड़े-बड़े कारखानों को खोलना है और उनका उत्पादन बढ़ाना है और बड़े-बड़े धंधे चलाना है तो हमको मजबूर होकर वह साधन अख्तियार करना होगा जिस के जरिये से हम अपने प्रदेश की आमदनी बढ़ा सकें। जब हम अपनी आमदनी बढ़ायेंगे अपना योगदान योजनाओं में अधिक देंगे, तभी हमें अधिक योगदान केन्द्र से मिल सकेगा। मैं नहीं समझता कि विरोधी सदस्य कैसे ऐसी बात करते हैं कि इस समय इन में कोई मतभेद नहीं है, यदि मतभेद है तो चीन और पाकिस्तान से है, हम सब एक ही हैं। जब हम सब एक हैं तो हमारे प्रदेश की कैसे तरक्की हो इस पर सर्वसम्मति से विचार करना चाहिये। ऐसी चीज को लाना जिससे हमारे प्रदेश की प्रगति रुके, किसी भी प्रकार ठीक नहीं है।

कुछ उधर के सदस्यों ने यह भी कहा कि हम से पैसा लिया जाता है, योजनाओं के नाम पर लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। वह एक अलग चीज है, मैं भी उस से सहमत हूं कि कहीं-कहीं उसका दुरुपयोग हुआ है। लेकिन उसके लिए आप कोई कमेटी बनायें और विचार करें कि किन किन विभागों, अफसरों, और कर्मचारियों में कमी कर के हम बचत कर सकते हैं जो अनावश्यक हैं। हमारी सरकार ने ८ करोड़ रुपये के एकानोमी की एक योजना रखी भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है जिसे २३ करोड़ तक के जाना चाहते हैं। इस तरफ अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने भी ध्यान दिलाया है और कहा है मुझे सब लोग यह बात बतायें कि कहां-कहां पर से कमी की जा सकती है। वे खुले दिल से आप का सहयोग लेने के लिए तैयार हैं। यह बात नहीं है कि सरकार छिपाकर कुछ करना चाहती है।

अभी हमारे विरोधी दल के नेता शारदाभक्त सिंह ने कहा प्रस्तावित टैक्स न लगाकर कुछ दूसरे उपाय से साधन जुटाये जायें, लेकिन उन्होंने कोई सुझाव मौलिक नहीं दिया है कि कहां से आवश्यक धन जुटाया जाय। मैं तो यह देखता हूं कि जब भी उत्तर प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई रास्ता अख्तियार किया जाता है तो उसका विरोध किया जाता है। मैं समझता हूं विरोध केवल विरोध करने के लिए किया जाता है। इसलिए नहीं होता है कि वे सरकार के सामने कोई अच्छे सुझाव पेश कर सकें। मैं समझता हूं कि उनका इस प्रकार का थोथा विरोध है।

आप कहते हैं कि सीज-फायर हो गया है। अब इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन यू० एन० ओ० में मियां भुट्टो ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है परिस्थितिवश शान्ति की स्थापना के कारण हम इस समय इसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम इस से असन्तुष्ट हैं। हम हिन्दुस्तान के साथ कोई समझौता या सन्धि नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री, लालबहादुर शास्त्री ने भी हमें सजग किया है और कहा है, हमारी युद्धबन्दी नहीं है, हमें लड़ाई को और तैयारी का मौका मिला है, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमारी तैयारी केवल नवजवानों से नहीं हो सकती है, उसके पीछे सबकी एकता, कृषि का बढ़ता हुआ उत्पादन और कारखानों का बढ़ता हुआ उत्पादन चाहिये। इस लड़ाई को कामयाब बनाने के लिये हम उम्मीद करते हैं कि आप तहेदिल से, चाहे एक वक्त खाना पड़े, इन टैक्सों को खुशी से स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार से देहात की जमीनें जा चुकीं हैं, वहां पर जमींदारी उन्मूलन हो चुक है, उसी तरह से शहरों की बड़ी-बड़ी जायदादों का भी यही होना चाहिये उनको समाप्त होना चाहिए। इसके लिये भी एक बिल आना चाहिये। उन पर सरकार का और सार्वजनिक नियन्त्रण होना चाहिये। यह तो केवल उस दिशा में एक शुरूआत है। मैं तो सोचता हूं, सोशलिस्ट पार्टी हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो उन्हें कहना चाहिये कि यह टैक्स और ज्यादा लगाया जाना चाहिये, बजाय २५ प्रतिशत के १०० प्रतिशत होना चाहिये।

गांव में जब टैक्स लगाने की बात कही जाती है तो कहा जाता है किसानों को नहीं छुवा जाना चाहिये, वह अत्यन्त दरिद्र हैं। छोटे-छोटे आदमियों, रिक्शेवालों की यहां पर दलील दी जाती है, लेकिन यह कर कोई उन पर लगने वाला नहीं है। उन पर नहीं लगेगा, १० रुपये के नीचे वालों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिये हम सब को इसका समर्थन करना चाहिये तभी हम कामयाब हो सकते हैं। लड़ाई के बाद अगर उत्पादन हम नहीं बढ़ायेंगे, खेती का काम, लघु सिंचाई योजना का काम नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं हो सकती। मैं सरकार से कहता हूं कि इस संकटकालीन अवस्था में हमें अपने अधिकारियों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं वे समाजवादी विचारधारा के विपरीत नहीं जा रहे हैं, कहीं नौकरशाही हमारे जो मंत्रीगण बैठे हुये हैं उन पर छा तो नहीं रही है और कहीं नौकरशाही द्वारा प्रजातंत्र और समाजवाद का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। अगर हम यह नहीं रखेंगे तो जिन उद्देश्यों और भावों को लेकर हम अपनी योजनायें बना रहे हैं वह खत्म हो जायेंगी और उससे वह लाभ नहीं हो सकेगा जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा जब हम शक्तिशाली होंगे। आपने आज देखा कि हिन्दुस्थान विश्व के देशों में तीसरे और चौथे नम्बर का देश गिना जाने लगा है और उसकी प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है, देश तभी शक्तिशाली होता है जब वह अपनी आमदनी, अपनी शक्ति और अपना उत्पादन जुटाता है और उनके लिये जितना अधिक साधन इकट्ठा करेंगे उतना ही अधिक हम शक्तिशाली होंगे। खतरा आज भी मौजूद है। आज भी हमें पूरे उद्योगों की उन्नति के लिये साधन जुटाने के साथ ही साथ, हम अपने प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

उनकी कैबिनेट के मंत्रियों और फौजी नवजवानों जिन्होंने हिन्दुस्थान को इतना गौरव प्रदान किया है अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हम सबको दिल खोलकर जिस तरह से भी हो अपनी सरकार की मदद करनी चाहिये और मनोबल को ऊंचा रखना चाहिये तभी हम और अधिक गौरवशाली हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि भूमि-भवन-कर ऐसा कर नहीं है जिसका विरोध किया जावे और सर्वसम्मति से इसको समर्थन मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव माननीय त्रिपाठी जी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। इस विधेयक पर आने से पहले मैं स्वर्गीय क्वार्टरमास्टर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो उस क्षेत्र के निवासी थे जहां से मैं आता हूं। गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील को यह गौरव है। (हर्षध्वनि)। इतना ही नहीं, श्रीमन्, आज हमें गर्व हो रहा है कि ऐसा वीर नवजवान, जो दो पाकिस्तानी टैंकों को बरबाद करने के बाद जब तीसरे को क्षतिग्रस्त कर रहा था उस वक्त वीरगति को प्राप्त हुआ है, हमारी तहसील में पैदा हुआ। वे श्रद्धा तथा गौरव के पात्र थे। माननीय मुख्य मंत्री महोदया को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनके परिवार वालों को १०,००० हजार रुपया देने का वादा किया है।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

दे दिया गया है।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, यह भी गर्व की बात है कि परमवीर चक्र मौजूदा लड़ाई में सिर्फ इसी एक शख्स को मिला है। यह और भी बहुत बड़े गौरव की बात है। उनकी एक बेवा है, ४ बच्चे हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदया से प्रार्थना करूंगा कि वे उन चारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाने का प्रयत्न करें ताकि उन बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा सरकारी खर्चे पर प्राप्त हो सके तो यह बहुत बड़ा काम होगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सैनिक सेवा संस्थान इसीलिये बना हुआ है वह ऐसे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और सैनिक परिवारों के लिये अन्य सहायता देने का ही काम करता है।

श्री कमलासिंह यादव--

इसके बाद जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इस बिल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम यह कहें कि टैक्स न लगाया जाय तो यह गैरमुमकिन बात है। टैक्स तो जरूर हो लेकिन उसके पहले यह देखना पड़ेगा कि जिन लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं उनकी ताकत क्या है। जिस वक्त २५ परसेंट की बात मैंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में पढ़ी तो जैसा माननीय राधेश्याम शर्मा जी ने कहा उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम यह टैक्स उस वक्त तक के लिये लगा रहे हैं जब तक कि संकटकालीन स्थिति है। ऐसी कोई बात उसके अन्दर नहीं है, तो इससे यह भी माना जा सकता है कि जिस वक्त यह विधेयक बनाया गया था उस वक्त संकटकालीन स्थिति नहीं थी।

जहां तक २५ परसेंट का सम्बन्ध है, यह मानी हुई बात है जैसा कि माननीय शारदाभक्त सिंह जी ने इस सदन के अन्दर कहा कि सरकार ने एक जी० ओ० हर म्युनिसिपल बोर्ड के पास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भेजा है कि यदि वे हाउस टैक्स नहीं लगाते तो उनको रोड्स वगैरह बनाने के लिये कोई इमदाद नहीं दी जायगी। बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड्स और टाउन एरियाज ऐसे हैं जहां पर सरकुमस्टेंसेज एंड प्रापर्टी टैक्स लगे हुए हैं और दूसरी जगह हाउस टैक्स लगे हुए हैं। दोनों साथ-साथ नहीं देना होता। तो यह जो सरकारी आदेश हर जिले की म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के पास गया है, अगर उनके कहने के मुताबिक सरमेकुस्टेंसेज एंड प्रापर्टी टैक्स और हाउस टैक्स के साथ-साथ अगर यह टैक्स लग गया तो वहां बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी।

इतना ही नहीं, अब तक तीन प्रकार के टैक्स नगरपालिकाओं के अन्दर लोगों को देने पड़ते हैं। एक तो उन्हें हाउस टैक्स देना पड़ता है, दूसरा वाटर टैक्स देना पड़ता है और फिर उसके बाद इनकम टैक्स वगैरह है। तो जहां तक हाउस टैक्स का सम्बन्ध है जो नगरपालिकायें १८ परसेंट तक यह कर ले रही हैं, उसके बाद अगर २५ परसेंट उसमें और जोड़ा जाय तो इस तरह से यह ४३ प्रतिशत हो जायगा और इस तरह से अगर कोई आदमी ४३ परसेंट टैक्स देगा तो मैं समझता हूं कि १० साल के बाद तो वह मकान निश्चित ही बिक जायगा।

दूसरी बात यह कि अब तक जब कि १८ प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा रहा था तो मैं अपने जिले की बात कहता हूं क्योंकि मुझे वहीं का तजुर्बा है, वहां यानी गाजीपुर में, खंडहर ही खंडहर है उस टैक्स की वसूली में लोगों की खिड़की और दरवाजे तक नीलाम हो जाया करते थे और इसके सैकड़ों प्रमाण हमारे पास हैं। तो जिस म्युनिसिपैलिटी के अन्दर यह स्थिति हो कि १८ परसेंट की वसूली के लिये खिड़की और दरवाजे नीलाम किये जायं, वहां अगर २५ परसेंट और जोड़ दिया गया तो जनता की क्या हालत होगी इसको सदन खुद ही समझ ले।

जहां तक अपील का सम्बन्ध है, अपील में दो तिहाई रुपया जमा करना जरूरी है और उसके बाद अपील की सुनवायी होगी। मैं समझता हूं कि इससे इतनी अधिक दिक्कत हो जायगी जिसकी कोई हद नहीं। इसके साथ ही साथ अगर कोई भी आदमी इस टैक्स के पेमेंट में डिले करे तो उसके लिये भी शास्ति की बात रखी गयी है। यह शास्ति एक दशमांश तक होगी। इससे मैं समझता हूं कि इसका बड़ा भार उन गरीबों पर पड़ेगा जो कि म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज के अन्दर रहते हैं। इस तरह से मैं देखता हूं कि जो बड़े आदमी हैं वे अगर इससे एक्जेम्प्ट नहीं होते तब तो दूसरी बात थी लेकिन आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि अभी जो उन्होंने बतलाया कि १० रुपये मासिक किराये यानी १२० रुपये सालाना किराये वाले मकानों को छूट दे रखी है, अक्सर यह देखने में आया है कि एक एक आदमी के १०-१० मकान एक शहर में अलग-अलग हैं और उनका मासिक किराया भी अलग-अलग १० रुपया ही है, तो ऐसे बड़े आदमी तो इस टैक्स से बच ही जायेंगे क्योंकि उनके मकान का अलग-अलग किराया तो १० रुपया मासिक ही दिखलाया गया है। तो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि वे इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था करें कि जिस आदमी के आठ या दस मकान हों और उनका वैलुयेशन आठ, दस रुपये से कम भी हो तो भी सब को मिला कर उसका मूल्यांकन किया जाय। इस तरह से हम टैक्स की आमदनी में बढ़ोत्तरी ला सकेंगे और बड़े आदमियों को टैक्स से बचने का अवसर नहीं मिल सकेगा। जिन के आठ या दस मकान हैं और वे जो छूट पाये हुए हैं वह अब इस तरह से करने से समाप्त हो जायगी।

दूसरी बात यह है कि जो बाड़े जैसे मकान हैं उन पर आप २५ परसेंट टैक्स लगाने जा रहे हैं। यह चीज उद्देश्य और कारण में दी गयी है, लेकिन संशोधन में ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें नहीं दिया गया है कि इस तरह के मकानों पर आप इतना टैक्स बढ़ा सकेंगे। चाहे मकान मालिक वहां रहता हो या उसे किराये पर दिये हो हर मकान पर सरकार २५ परसेंट बढ़ा सकती है, इस में यही दिया हुआ है। जैसा सरकार ने स्पष्ट किया, अगर सरकार का वही ध्येय है तो उस मंशा को पूरा करने के लिये संशोधन बहुत स्पष्ट होना चाहिये। निजी उपयोग के मकानों के लिये दस परसेंट से अधिक कर नहीं लगाया जाना चाहिये और २५ परसेंट का कोई असर उन पर नहीं होना चाहिये।

[श्री कमलासिंह यादव]

तीसरी चीज यह है कि हमारे सामने एक जटिल समस्या है । एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम ताकत का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं लेकिन सरकार कर रही है केन्द्रीकरण। उल्टी गंगा बह रही है । नगरपालिकाओं को अब तक विकास के लिये एक ही साधन था, उन का हाउस टैक्स अथवा कुछ चुंगी की आमदनी । इन के जरिये ही वे अपना काम चलाती थीं । वाटर सप्लाई में तो उनको घाटा ही होता रहा है । जब यह विधेयक १९६२ में आया था उस समय भी मैंने सुझाव दिया था कि अगर सरकार ऐसा विधेयक लाना चाहती है तो आप को चाहिये कि आप म्युनिसिपल बोर्ड्स की स्थिति को और मजबूत करें ताकि वे अपना निर्माण-कार्य पूरे कर सकें । मैंने उनको ५० परसेंट दिये जाने की मांग रखी थी जिन बोर्डों के द्वारा यह भूमि-भवन-कर वसूल कराया जाय । लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना । आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन-सी ऐसी नगरपालिका है जिसके जरिये से सरकार ने वसूली करायी है और उसको ५ परसेंट दिया है ? एक तरह से सरकार ने ब्रीच आफ ट्रस्ट किया है । यह शब्द कड़ा है लेकिन ऐसी हानिकारक और घातक चीज कोई और नहीं होगी । हमारा पुराना जो ऐक्ट है उस में ऐसा प्राविधान किया गया था कि जो वसूली टाउन एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड के जरिये होगी उसको वसूली का ५ परसेंट देंगे, लेकिन देखा यह गया है कि उन का एक अलग अधिकारी है जो सारे भूमि-भवन-कर को वसूल करता है और नतीजा यह है कि वसूली का जो ध्येय था उसकी अवहेलना की गयी है ।

तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी या तो इन म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया को तोड़ दें और नहीं तो उनको कुछ पावर होनी चाहिये । अभी कुछ दिन पहले यहां पर एक विधेयक पास किया गया था जिसमें भूमि पर निर्माण के लिये बोर्ड बनाने की बात मन्जूर की है । उसमें यह है कि जहां पर भूमि का मूल्य बढ़ेगा तो उसका आप दशमांश ले लेंगे । उससे भूमि का सुधार किया जायगा । इसी तरह से आप वहां पर भी करें और इनको तोड़ दें और इनकी कोई जरूरत न समझें । जो बोर्ड उस विधेयक के आधार पर बनाया गया है वही सब काम कर लेगा । जितना निर्माण कार्य है वह सब हो जायगा । अगर आप चाहते हैं कि ये म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया रहें तो तब आपका यह फर्ज है कि जो जो उनको हक हासिल है उस पर इन्क्रोचमेंन्ट आप न करें । जितने म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष थे और टाउन एरिया के अध्यक्ष थे उन सबने पत्र लिखकर सरकार के पास भेजा था और कहा था कि यह म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया का अधिकार है कि वह हाउस टैक्स लगाये । सरकार को उन के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना और उनके अधिकार पर सरकार ने इन्क्रोचमेंन्ट किया है । सरकार ने कभी यह खयाल नहीं किया कि म्युनिसिपल बोर्ड को भी काम करना होता है और उनको भी अपना काम करना जरूरी है । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि सरकार म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया को रखना चाहती है तो विकास की जिम्मेदारी उनके ऊपर होनी चाहिये । उस विकास के लिये ५० प्रतिशत सरकार दे और ५० प्रतिशत वह अपने आप इकट्ठा करेंगी जिससे उनको अलग से अधिकारी रखने की जरूरत भी नहीं होगी। जो उनके पास टैक्स के जरिये से रुपया आयेगा वह उससे निर्माण कार्य करा सकेंगी । ५० परसेंट अपने पास से और ५० परसेंन्ट सरकार के पास से मिलने पर वह उत्थान कर सकती हैं । जितना भी इस तरह से निर्माण का कार्य होगा वह सब कर सकेंगी क्योंकि अभी तक यह है कि कोई भी कार्य म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया करना चाहता है तो सरकार के प्रतिबन्ध के अनुसार ५० फीसदी सरकार अपने पास से देती है और ५० फीसदी उनको अपने पास से देना पड़ता है तो इस तरह से उनका काम ठीक रूप से चल सकता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस टैक्स को जिस रूप में आप लगाने जा रहे हैं यदि आप म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया को कायम रखना चाहते हैं तो उसके लिये जरूरी है कि उनको इसका ५० परसेंन्ट दें । अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वे सुपरसीड की तरह से रह जाती हैं । सरकार प्रदेश में जितने भी म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया हैं उन सब को

सुपरसीड कर ले और उनका कन्ट्रोल अपने हाथ में ले ले उनकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाय । यदि सरकार विकेन्द्रीयकरण की भावना को रखती है और सदन की यह परिपाटी डिसेन्ट्रलाइज करने की रही है इस बात को भी मानती हैं तो मैं चाहता हूं सरकार इस ओर अवश्य ध्यान दे ताकि इस तरह से अधिकारों से वे वंचित न हो सकें ।

दूसरी चीज यह है कि अभी जो यहां पर विधेयक आ रहे हैं उनमें हमने देखा है कि पहली अप्रैल, १९६६ से कार्यान्वित होने हैं । लेकिन इस विधेयक को १ अक्तूबर, १९६५ से लागू किया जा रहा है । इसमें अभी तक ५ प्रतिशत था लेकिन अब उसको २५ फीसदी करने जा रहे हैं । अगर आपको करना है तो इसके अन्दर भी वही टैक्स है उसको भी पहली अप्रैल, १९६६ से लागू होना चाहिये । इसके अन्दर भी आप पहली अप्रैल, १९६६ से वसूल करने की बात रखें जैसा कि अन्य विधेयकों के अन्दर किया गया है । इस तरीके पर जो दिक्कतें हमारे सामने हैं उनमें रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट के बारे में मकान बनाने की व्यवस्था बहुत जरूरी है । हमारे यहां एक प्रलोभन सरकार को देना चाहिये कि लोग अधिक से अधिक मकान बनाने की कोशिश करें । जब तक लोगों को हम इसके लिये प्रभावित न करेंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मकान बनायेंगे । इसलिये प्रलोभन के लिये भी गुंजायश होनी चाहिये । सन् ५१ के बाद जब लोगों को मालूम हुआ कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट उन पर लागू नहीं होगा तो उन्होंने अधिक से अधिक मकान बनाने शुरू किये कि इस महंगाई के जमाने में उनसे लाभ होगा । शहर के लोगों में ऐसी प्रवृत्ति पैदा की गयी कि रहने के लिये ज्यादा से ज्यादा मकान बनायें और साधारण लोगों और मजदूरों को भी जगह मिल सके । अब आप शहरों के अन्दर जो मकानात बनेंगे, रेंट कन्ट्रोल के अन्दर, सवाया टैक्स करने जा रहे हैं, वह किरायेदारों को देना पड़ेगा । अभी तक पुराने ऐक्ट के अन्तर्गत छोटे छोटे कर्मचारी, मजदूर लोग किसी तरह से गुजर करते थे । इसके बढ़ जाने के बाद हो सकता है कि उनके पास इतना पैसा न रहे और मकान छोड़ना पड़े । तो इसमें संशोधन ऐसा अवश्य किया जाय कि गरीब लोगों पर इसका असर न पड़े । ऐसा अवश्य होना चाहिये ।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र भूमि और भवन-कर (संशोधन) विधेयक पर जो आज सुबह से विचार चल रहा है उसको मैंने बहुत गौर से सुना । मैं इस बात को आवश्यक मानता हूं कि लड़ाई के लिये हमको खर्चा देना है । हमारी फौजें जो मोर्चे पर लड़ रही हैं या जो मोर्चे पर भेजी जायेंगी उनको हमें पूरे तरीके से सामान देना है, उनको तैयारी की हालत में रखना है और खयाल रखना है कि उनकी किसी मांग में कमी न हो यह हमारा पूरा फर्ज है ।

(इस समय ३ बज कर ५३ मिनट तर अधिष्ठाता श्री कमलासिंह यादव, पीठासीन हुए ।)

हम यह भी जानते हैं कि लड़ाई की तैयारी या लड़ने के लिये हथियार और गोला-बारूद ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हम इतना पैदा करें कि हमारी फौजों को किसी चीज की कमी न पड़े और वह मैदान में अच्छी तरह से लड़ सकें और हम अपनी सिविल लाइफ की भी व्यवस्था रखें ताकि हमारे देश के अन्दर हमारी जनता को भी कोई ज्यादा कष्ट न हो । यह भी जरूरत है कि हम यातायात के साधनों को बढ़ायें ताकि फौजों के आने जाने में दिक्कत न हो । हमारे पास ज्यादा कपड़ा हो ताकि फौजों की मांग को और जनता की मांग को पूरा कर सकें और मैं समझता हूं इसके लिये प्लानिंग बहुत जरूरी है । लेकिन एक उसूल का सवाल है । वह यह है कि टैक्स का जो बर्डेन है वह जनता पर जहां तक सम्भव हो बराबर पड़े । दूसरा यह कि गरीबों पर कम और मालदार आदमियों पर ज्यादा पड़े । तीसरे यह कि एडमिनिस्ट्रेशन में एकोनामी जहां तक भी सम्भव हो करना चाहिये । इसके अलावा अपनी नेशन की शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है । जब आप यह सब उसूल मानेंगे, तभी हम पैसा देने के लिये तैयार होंगे. हमें पैसा देने में कोई एतराज नहीं होगा, मगर आप इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवान सहाय]

उसूलों पर चलें तब । जिस वक्त चीनी हमला हुआ था उस समय विरोधी पक्ष के सदस्यों की एक कान्फ्रेन्स हुई थी जिसमें यह मांग की गयी थी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में एकोनामी कीजिये । उसके लिये पूरा पूरा वायदा भी सरकार की ओर से किया गया, मगर उस ओर कोई कमी नहीं की गयी । एक एकोनामी कमेटी भी, सुना था, बनायी गयी थी । माननीय भानुप्रताप सिंह जी उसके एक मेम्बर भी थे । लेकिन उस कमेटी में उनको कभी बुलाया तक नहीं गया । सबसे दुख की बात तो यह है कि माननीय वित्त मंत्री तक को यह भी मालूम नहीं था कि इस तरह की कोई कमेटी भी है । जो कमेटी बनी उसका क्या हुआ उसकी क्या सिफारिशें थीं, वह सब जानने से आज तक यह सदन वंचित रहा ।

मान्यवर, यह टैक्स बिल विकास के लिये लाया गया है । मैं यह मानता हूं कि डेवलपमेंट जरूरी है लड़ाई के लिये । मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं और वह यह कि आज से दो दिन पहले कानपुर की वर्कर्स यूनियन ने वहां के मजदूरों से मिलकर, यह निश्चय किया कि किया कि हम सब मिलकर साढ़े ४ लाख रुपये चन्दे के देंगे । लेकिन आज तक आपके बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने कोई पैसा नहीं दिया है । जिन मजदूरों ने साढ़े ४ लाख रुपया दिया उन लोगों ने अपना पेट काटकर वह पैसा दिया है, उन लोगों ने दिया है जिनको अपनी रोजी चलाना मुश्किल है । मगर वे पूंजीपति लोग, जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया है । वे शायद यह इन्तजार कर रहे होंगे कि माननीय मुख्य मंत्री या माननीय बनारसीदास जी वहां जायं और उनसे कहें तो वे दें ताकि उनका उन पर कुछ अहसान हो और वे उसके बदले में उनसे फायदा भी उठा सकें । यह गलत बात है । बिड़ला साहब ने खून दे दिया तो अखबारों में तस्वीरें निकाल दी गयीं । मुल्क में बहुत बड़ी चीज हो गई और सैकड़ों गरीब आदमियों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने खून दिया उनका कोई पुरसा हाल नहीं । अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एकानामी की तरफ माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हम टैक्सेज देंगे मगर एडमिनिस्ट्रेटिव एकानामी रख दीजिये । यह कहा गया कि २ करोड़ ५७ लाख की एकानामी एलान कर दी है ।.....

अधिष्ठाता--

आप और बोलना चाहते हैं, चार बज चुके हैं । आपका भाषण कल जारी रहेगा । माननीय भगवान सहाय जी आप अपना आसन ग्रहण करें ।

मंगरौरा ब्लाक जिला प्रतापगढ़ में गबन के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने मंगरौरा ब्लाक के संबंध में जो प्रश्न किया है उसके दो पहलू हैं । पहली बात यह है कि मंगरौरा ब्लाक का कार्यालय पहिले शहर में था और कई महीने तक वहां था । लोगों को बड़ी दिक्कत हुई तो उस कार्यालय को कई महीने के बाद मंगरौरा ब्लाक को गोंहडौर स्थान पर ले आये और कुछ महीने के बाद इस ब्लाक के कुछ फर्जी लोगों को रुपया तकावी में दिया गया । मान्यवर, इस ब्लाक में केवल ग्यारह न्याय पंचायतें हैं । यह ब्लाक हेडक्वार्टर रेलवे स्टेशन, मोटरवाली सड़क और सीड स्टोर, हायर सेकेंड्री स्कूल और जानवरों के अस्पताल, ऐसी जगहों पर है जहां जनता के लोग इकट्ठे होते रहे और सभी की राय से यह ब्लाक का हेडक्वार्टर माना गया । लेकिन जब फर्जी लोगों को रुपया वितरित हो गया उसी के बाद से इसका स्थानान्तरण महुली हेड क्वार्टर पर हो गया, इसको शहर में लाया गया । इस ब्लाक के कार्यालय को लाने का श्रेय श्री एस०पी०सिंह को मिला । इस ब्लाक को यहां (शहर में) नहीं रखना चाहिये । उसका कारण मैं देता हूं । क्योंकि

इस ब्लाक से मेरा संबंध है। तीस वर्ष का आना जाना रहा है। हमारा हायर सेकेंड्री स्कूल है जिसका मैं मैनेजर हूं। मैं वहां लोगों से भलीभांति परिचित हूं। इस ब्लाक के पीछे कुछ लोगों ने षड़यंत्र रचा और ब्लाक के स्टाफ के कुछ आदमियों ने मिलकर रुपया फर्जी लोगों को दिलवाया। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ब्लाक को यथाशीघ्र शहर से हटाकर फिर वहां लाया जाय। बी०डी०सी० की कोई राय नहीं थी। ब्लाक में जो गबन हुआ उसके संबंध में कहा गया कि वहां सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा सब जगह है। जिला हेडक्वार्टर में भी हजारों का गोलमाल हुआ। रक्षा सभी जगह हो सकती है लेकिन यदि उसमें स्टाफ के आदमी सतर्क रहें और ईमानदारी से काम करें तो ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट जबकि उसको अधिकार है कि ब्लाक को जहां चाहे वहां हटा सकती है और वहां की जनता की भी राय है तो उसे हटा देना चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि इसमें ७२ सौ रुपये का गबन दिखलाया गया है। इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में २४ सौ रुपये का गबन है। यह मंगरौरा ब्लाक के अन्दर बिजरा गांव के सभापति के गांव से संबंधित है और दूसरा ४८ सौ का गबन है। इसमें बिजरा धरौली गांव के तीन आदमियों के नाम पर फर्जी रुपया लिया गया, ये तीन आदमी मौजूद हैं लेकिनन तो इन्होंने कोई तकावी का फार्म भरा और न इन लोगों ने रुपया ड्रा किया। वी०एल०डब्ल्यू० और ए०डी०ओ० ऐग्रीकल्चर ने फर्जी नाम पर वह तकावी का फार्म और बांड यह सब तस्दीक किया और उसमें गवाह और तकावी लेने वाले इन सबके दस्तखत इन लोगों ने प्रमाणित किये। लेकिन जब २१ नवम्बर, १९६२ को २४ सौ रुपया निकल गया और उसके बाद ३०-११-६२ को ४८ सौ रुपया निकल गया तो जिस आदमी ने यह षड्यंत्र रचा था उसने एक पेशबन्दी की दरख्वास्त जिलाधीश को दी। संयोगवश मैं जिलाधीश के यहां उस समय बैठा था, जिलाधीश ने मुझसे इसकी चर्चा की कि इस प्रकार गबन हुआ है और कहा कुछ ऐसा आभास होता है कि इसमें पेशबन्दी की गई है और उसकी जांच करने के लिए ए०पी० आर०बी० के सुपुर्द किया। ए०पी०आर०बी० की रिपोर्ट में बतलाया गया कि इसमें पेशबन्दी की गई है और इसमें गबन करने वाले न बी०डी०ओ० हैं और न कोई और लोग हैं। इस तरह की पेशबन्दी वहां पर हुई है। जब यह २४ सौ रुपये का गबन हुआ तो इसकी जांच पड़ताल हुई। बाद में बी०डी०ओ० साहब ने जांच की और बाद में ४८ सौ रुपये का जहां से फार्म भरा गया था उसकी भी जांच की। लेकिन यह जांच जब शकोशुबहा हुआ तब की गई। वहां बिजरा ग्राम के सभापति ने साफ साफ कहा है कि जिस आदमी का इसमें हाथ है वह बहुत जबरदस्त है वह किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, क्रिमिनल आदमी है और उसको सजा भी हो चुकी है डकैती केस उसके ऊपर चला है, उसी ने दो तीन बाबुओं को मिलाकर यह फर्जी आदमियों के नाम पर रुपया निकलवाया है। उसकी यह करतूत पहली नहीं थी, दूसरी थी। इसके पहले मेरठ के सुपरवाइजर जो कि इसी ब्लाक में ऐग्रीकल्चर सीड स्टोर पर काम कर चुके थे उनके हाथ से इसने गल्ला निकलवाया और बेंचवाया लेकिन आज तक उस पर सरकार कुछ कर न सकी। उसकी हिम्मत बढ़ गई। वह मामूली पढ़ा लिखा है, लेकिन एक वकील से भी ज्यादा बुद्धिमान है और ४२० करने में तो शायद उसके बराबर उस क्षेत्र में कोई है ही नहीं। यह चीज वहां की सारी जनता जानती है और वहां के अधिकारी भी जानते हैं लेकिन वह किसी तरह पकड़ में नहीं आता। फिर भी उसको बचाया है और उसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई है। और बेचारे एक बी०डी०ओ० को उसमें फांस दिया गया और उसको जो सजा दी गई वह जरूरत से ज्यादा है। वह नेग्लिजेंस आफ ड्यूटी हो सकता है यह मैं मान सकता हूं लेकिन यह कहीं भी नहीं साबित हुआ है कि उसने मनी का मिसएप्रोप्रियेशन किया है, यह साफ है एकाउन्टेंट ने बिल बनाया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जरा एक बात बतायें कि कोर्ट से यह फैसला हुआ है या किसने सजा दी है?

श्री रामकिंकर—

यह प्रशासन ने किया है, कोर्ट से नहीं हुआ है। कोई सबजूडिस मामला नहीं है।

वहां पर तीन डी०पी०ओ० हुए हैं। पहले श्री महेशचन्द्र हुए, उन्होंने इसकी शुरू में इन्क्वायरी की, उसके बाद श्री अयूब अली आये और बाद में मिस्टर के०एन० अग्रवाल हुए हैं, तीनों ने अपनी रिपोर्ट कुछ न कुछ दी है। मिस्टर महेशचन्द्र ने जनवरी, १९६३ में बी०डी०ओ० को सस्पेंड किया और उसके बाद ही कैशियर कम स्टोर कीपर, शरीफ हसन को चार्जशीट दी, लेकिन इनको (बी०डी०ओ० को) पांच महीने के बाद चार्जशीट दी जाती है। शरीफहुसैन जो कैशियर हैं, उन्होंने जवाब भी दिया। उसके बाद उस समय के डी०पी०ओ० ने कोशिश की वह सस्पेंड किये जावें। लेकिन एक अजीब बात है कि वे दोनों (कैशियर तथा जिलाधीश) एक ही जिले के रहने वाले होने के कारण डी०पी०ओ० नाकामयाब रहे। यह भी मजे की बात है कि जो १७ गवाह पेश हुए ये बी० डी०ओ० के सामने पेश नहीं हुए जबकि अदालत में यह नियम है कि मुद्दई और मुद्दाअलेह के सामने गवाह पेश होते हैं ताकि उन्हें उसी समय जिरह का मौका मिले। लेकिन उनके बयान बन्द कमरे में लिये गये और जिरह का मौका ५ महीने बाद मिला। उसमें भी एक गवाह ने संकेत कर दिया कि अमुक आदमी की करतूत है। लेकिन फिर भी कोई विचार अधिकारियों ने नहीं किया। जुर्म की सजा जरूर होनी चाहिये। बी०डी०ओ० को ढाई वर्ष के बाद, मेरे सवाल करने के बाद, सेवा से मुक्त किया गया। जब कोर्ट में इस तरह की बात है कि उनको जिरह का मौका मिलता है और उसमें इतनी बातें आ गई हैं तो उन पर किसी भी हालत में मिसएप्रोप्रियेशन का चार्ज सिद्ध नहीं होता है। बल्कि यह साबित होता है कि उनकी जानकारी में २४०० का बिल एकाउन्टेन्ट ने बनाया। तकावी लेने वाले के, श्योरीटीज के और गवाहान के दस्तखत होते हैं। कैशियर ने कैश रजिस्टर में चढ़ाया। ये सारी बातें उन तीन आदमियों के सामने हुई। उस दिन ए०डी०ओ० एग्रीकल्चर और बी०एल०डब्ल्यू० गायब हो गये।

४,८०० रुपये की बात यह है कि ३०-११-६२ को यह रुपया छः आदमियों को मंजूर हुआ, वितरित किया गया। ये ६ आदमी ५ और ८ मील की दूरी के रहने वाले हैं। उनमें से किसी का नाम गलत है, किसी की वल्दियत गलत है, किसी की सकूनत गलत है, सब इसी तरह से हैं। खतौनी पर लेखपाल के फर्जी दस्तखत हैं। यह रुपया ३०-११-६२ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एकाउन्टेंट को शायद मालूम हो गया होगा, उसने १ महीने की छुट्टी ले ली थी। उसकी जगह कैशियर-कम-स्टोर कीपर ने एकाउन्टेंट का काम किया। उसने बिल बनाया, रुपये का पेमेंट किया। सारे दस्तखत कराये और चालबाजी से बी०डी० ओ० से लिख लिया कि "मनी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाई मी।" यह तिकड़मबाजी की। अब सवाल पैदा होता है कि ये ३ फाइलें गायब नहीं हुई और ६ फाइल गायब कर दी गई। चूंकि ३ फाइलों के गायब करने में तीन आदमियों की जिम्मेदारी हो जायगी और ६ फाइलों के गायब करने में एकाउन्टेंट कैशियर, और बी०डी०ओ० की इसलिये इन फाइलों को गायब कराया कि उसमें कैशियर न फंसें। फाइलों के रख-रखाव की जिम्मेदारी कशियर की है। लेकिन जवाब में यह कहा गया कि फाइलों के गायब होने की जिम्मेदारी बी०डी०ओ० और कैशियर दोनों पर है।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर कदाचित् मंत्री जी के जवाब के बाद प्रश्न भी होने हैं।

श्री रामकिंकर—

तो यह सजा बहुत ज्यादा हैं और इस मामले को मंत्री जी स्वयं देखें। माननीय मंत्री जी ने जो आदेश दिया है, उस पर कुछ होने वाला नहीं है। उनको चार दिन के बाद माइनर चार्जेज लगा कर बरी कर दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

१५ मिनट हो गये हैं। फिर आप कुछ प्रश्न भी करना चाहेंगे।

श्री रामकिंकर--

१९५२ में सरकार ने जमींदारी को खत्म किया लेकिन इन आफीसरों की जमींदारी अभी कायम है। वह इतनी जड़ पकड़ गयी है कि अब सरकार अपने आईने से कुछ भी देख नहीं पाती है बल्कि ब्यूरोक्रेसी के आईने से ही देखती है। मेरा निवेदन है कि चूंकि सरकार आखिरी अपील होती है इसलिये वह इस केस को अच्छे प्रकार से देख ले और उचित फैसला इसमें करने की कृपा करे।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

श्रीमन्, यह जो मंगरौरा ब्लाक का सवाल माननीय राम किंकर जी ने उठाया और बातें कहीं। तथ्य बिलकुल उससे उल्टा है। इन बी०डी०ओ० के खिलाफ बहुत से संगीन चार्जेज हैं। इसकी बहुत लम्बी फाइल है माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको वह बता दी जायगी। एक बार उन्होंने २,४०० रुपये का और दूसरी बार ४,८०० रुपये का गबन किया। २,४०० रुपये की तकावी जिस दिन दी गयी, उस दिन के कागजात से मालूम पड़ता है कि उस दिन किसी को कोई तकावी नहीं दी गयी, और ४,८०० रुपया जितने आदमियों को लोन के रूप में दिया गया, उनमें से एक आदमी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। बी०डी०ओ० ड्राइंग और डिसबर्सिंग अथारिटी है। बी०डी०ओ० एस०पी० सिंह ने लोन का सर्टिफिकेट दिया। कायदा यह है कि ए०डी० ओ० और वी०एल० डब्ल्यू० जो उसको निजी रूप से जानते हैं, उनसे सर्टिफाई कराया जाता है, लेकिन उनसे सर्टिफाई नहीं कराया गया। अपने आप ही सर्टिफाई करके लोन निकाल लिया।

पहिली बार २१ दिसम्बर १९६२ को, एक दरख्वास्त श्री राम समुझ ने जिला नियोजन अधिकारी को दी कि मंगरौरा ब्लाक के श्री एस०पी० सिंह बी०डी०ओ० ने २,४०० रुपया और ४,८०० रुपया का गबन किया है। श्री महेश चन्द्र, जिला नियोजन अधिकारी ने यह कहा कि चूंकि इस मामले में गंभीर बातें हैं इसलिये इनको मोअत्तल किया जाय। पहले उनका ट्रांसफर किया जा रहा था लेकिन फिर उनको १५ जनवरी, ६३ को मोअत्तल किया गया। इस बीच में ही जांच हो रही थी कि श्री महेशचन्द्र जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गये। फिर इस केस में श्री अयूब अली, जिला नियोजन अधिकारी ने जांच की। उन्होंने भी एक जांच रिपोर्ट दी। लेकिन उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गयी थी। फिर दूसरे प्लानिंग अधिकारी, श्री अग्रवाल आये उन्होंने पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी है। उस सबको देखने से यह पता लगता है कि इस गबन की सारी जिम्मेदारी एस०पी० सिंह, विकास अधिकारी पर आती है। जांच करने के बाद यह साबित हुआ कि २,४०० रुपया और ४८०० रुपये के गबन की जिम्मेदारी श्री एस०पी०सिंह की है। उनको पहले मोअत्तल किया गया था, बाद में उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं। यह कहना कि इस में कोई और अधिकारी हैं या फाइल गायब हो गई है, कैशियर या दूसरे अधिकारी जो हैं उनका सवाल नहीं है। जो यह बी०डी०ओ०, एस०पी० सिंह हैं वही फंसते हैं और उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही करना सरकार ने उचित समझा और उन्हें डिसमिस किया गया। अब सरकार वसूली की कार्यवाही कर रही है, उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है केवल चार बीघे का बाग है जिसका ४ रुपया लगान मिलता है। सरकार डी०जी०सी० से पूछ रही है कि क्या कार्यवाही उनके खिलाफ की जा सकती है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

यह जो इतना बड़ा ७२०० रुपये का गबन हुआ उसके लिये उनका प्राजिक्यूशन क्यों नहीं किया गया केवल सरविस से ही क्यों हटाया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं ने अभी निवेदन किया कि अभी तो उन को सर्विस से निकाला गया है और रुपया वसूल करने की विधि के लिये डी०जी०सी० से पूछा गया है, उन की रिपोर्ट आने पर ही सारी स्थिति पर विचार होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

जो कुछ कार्यवाही आप अब कर रहे हैं-वह तो रुपये की वसूली के संबंध में है लेकिन मेरा प्रश्न उन के प्राजिक्यूशन के बारे में है कि प्राजिक्यूशन क्यों नहीं किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय---

अभी तक तो वैभागिक जांच ही चलती रही, जो जांच का काम था वह पूरा हो चुका है, अब उन से रुपया वसूल करने के संबंध में डी०जी०सी० से पूछा गया है, उन की राय आने के बाद सरकार अन्य सब चीजों पर विचार करेगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न सीधा सादा क्रिमिनल प्राजिक्यूशन के बारे में है, रुपया वसूली के बारे में मैं नहीं पूछ रहा था लेकिन मंत्री जी ने दो बार रुपये वसूली की ही बात की। आप कृपया मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मंत्री जी से दिलवायें।

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी भी भारत के नागरिक होते हैं और प्राजिक्यूशन ला में यह प्राविजन है कि किसी भी अपराध के लिये उन को केवल एक ही सजा दी जाती है, एक जुर्म में दो सजायें नहीं दी जातीं और उन्होंने गबन जैसा काग्नेजेबिल अपराध किया तो एक नागरिक की तरह इस केस को सरकार ने कोर्ट में क्यों नहीं भेजा और उस को सजा देकर क्यों डिसमिस किया ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

सरकारी कायदा यह है कि जब कोई गबन का केस होता है तो या तो उसे फौरन ही पुलिस को दे दिया जाता है या उसकी सरकारी तरीके से विभागीय जांच होती है। इस मामले में क्योंकि शुरू से ही सरकारी जांच आरम्भ हुई और नियोजन अधिकारी से सरकारी जांच आरम्भ हुई, एक गये दूसरे आ गये और कायदे से रिपोर्ट पूरी नहीं दी जा सकी, फिर तीसरे अफसर ने इन्क्वायरी शुरू की और कार्यवाही होते-होते अन्त में उनको नोटिस दिया गया और उनको डिसमिस किया गया। यह २५ अगस्त सन् ६५ तक हो पाया। जब से रामकिंकर जी ने यह सवाल उठाया है तब से यह आडर गया कि सब चीजों की छानबीन की जाय और केस तैयार करके सरकार के सामने लाया जाय। उन्होंने कहा कि २८ अगस्त के बाद अभी कुछ दिन पहले वह डी०जी०सी० के सुपुर्द किया गया है। हमें कोई ऐसे लोगों से हमदर्दी नहीं है हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाय और विभाग में प्रोसीजर के हिसाब से कार्यवाही हो रही है और न इस में सरकार किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रही है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कृष्णानन्द जी ने जो कहा कि एक जुर्म के लिए डबल पनिशमेंट नहीं दिया जायगा, इस पर आपको क्या कहना है ?

श्री राममूर्ति---

डबल पनिशमेंट हो या नहीं, यह मामला डी०जी०सी० को रेफर किया गया, और अगर वे कह देंगे तो और सजा दी जायगी।

श्री रामकिंकर---

श्री अयूब ने डाक के स्टाफ के संबंध में जो रिपोर्ट भेजी है उसमें किन किन को जिम्मेदार ठहराया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्री अयूब की रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी : उसी बीच में नये अधिकारी आ गये। इसलिए उनकी रिपोर्ट अंतिम नहीं मानी गयी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

इस प्रदेश में कई गुनहगार विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में बहुत बिलम्ब होता है और देर हुई है तो क्या माननीय मंत्री जी माननीया मुख्य मंत्री को राय देंगे कि ये राज्य पाल महोदय से सिफारिश करें कि सामुदायिक विकास मंत्री को दे दिया जाय ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री सोहनलाल घुसिया (जिला बस्ती)—

गवर्नमेंट साइड से यह बयान आया है कि ४८०० रु० जो बांटा गया है उसमें कोई भी सही आदमी नहीं था जिसको रुपया दिया गया है। तो क्या उसमें बी०एल०डब्ल्यू० और ए०डी० ओ० एग्रीकल्चर द्वारा वेरिफिकेशन हुआ या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसमें बी०एल०डब्ल्य० और ए०डी०ओ० का वेरिफिकेशन है ही नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

श्रीमन्, यह स्पष्ट हो गया है कि इस गबन के पीछे एक कांस्पीरेसी थी जिसमें बहुत से कर्मचारी शामिल थे। तो इसकी गम्भीरता को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इसे पुलिस द्वारा कोर्ट में भिजवायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास मंत्री जी ने अभी साफ कर दिया है कि इन सब मामलों को हमने डी०जी०सी० को रेफर किया हुआ है। उनकी रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्यवाही की जायगी।

श्री रामकिंकर—

माननीय मंत्री जी ने बताया था कि ४८०० रु० के संबंध में कागजात नहीं है और २४०० के गबन के संबंध में कागज हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बी०डी०ओ०, एकाउन्टेंट और कैशियर जो इसमें इंवाल्व्ड हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है ?

श्री राममूर्ति—

धृष्टता माफ हो, मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि माननीय रामकिंकरजी का ऐसा ख्याल है कि हम कुछ अफसरों को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि अगर वे कोई डिटेल्स बता दें कि जो आदमी फंसते हैं और उन पर कार्यवाही नहीं होती है या जो डिसमिस होते हैं वे नहीं फंसते हैं तो हम इस एवेंचन को रिओपिन कर सकते हैं और जिनको सजा दिलाने की बात है, उनको सजा दिला सकते हैं। हमारे सामने यह एक जाब्ते के रूप में सवाल आया है और हमने इसका जाब्ते में उत्तर दे दिया है।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

यह जो बी० डी० ओ० के पास बाग है और जिस पर ४ रुपया लगान है उस बाग को नीलाम करके २४०० रुपया वसूल करने की कोशिश की जायगी ?

श्री राममूर्ति--

जो ई०जी०सी० को सवाल गया है उसमें यह भी है कि यह जो बाग है उससे कितना रुपया वसूल हो सकता है।

(श्री यादवेन्द्रदत्त को राजा साहब के नाम से पुकारे जाने पर)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में एक दफा नहीं सैकड़ों दफा यह सवाल मैं उठा चुका हूं कि २०वीं सदी में न कोई राजा है न और न रानी है। संविधान के हिसाब से आप किसी विशेष सदस्य को राजा साहब या रानी साहिबा कह कर नहीं पुकार सकते।

श्री अधिष्ठाता--

मेरी गलती के लिए इतनी बात आपको नहीं कहनी चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

जैसा बतलाया गया कि पहले जो इंक्वायरी बिठाई गयी उनकी रिपोर्ट नामुकम्मिल थी और डिफेक्टिव थी तो कृपा करके आप बतलायें कि उनकी रिपोर्ट क्या है और उसमें क्या नामुकम्मिल है और क्या डिफेक्टिवनेस है?

श्री बंशीधर पांडे--

यह तो ब्योरे की बात हो गयी। अंतिम रिपोर्ट तो मिस्टर अग्रवाल, डी० पी० ओ० की है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय मंत्री ने कहा कि सूचना देने पर निश्चित रूप से वह जांच करायेंगे तो क्या उनका अपना कर्तव्य नहीं है कि वे स्वयं सूचनायें मंगा कर जांच करें?

श्री राममूर्ति--

हमारे पास जो सूचना है वह फाइल में है और उस के आधार पर जांच की गयी और जवाब दिया गया और फाइल पर जो सूचना है वह उन्हीं अधिकारियों की है जिन्होंने इंक्वायरी की और उन्होंने अपना अपना पक्ष लिया। लेकिन राम किंकर जी अगर समझते हैं कि उनके पक्ष में गलत लिखा गया है और उनके पास कुछ और बातें हैं तो उनकी वे सूचना दें और उनकी भी हम जांच कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन के १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२३ सितम्बर, १९६५।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६–८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९७–८९८ पर]

घटना का कारण

ग्राम पड़ियावली, थाना कोतवाली, अलीगढ़ में जाटवों व लोधों का मुहल्ला अलग अलग है और इन दोनों मुहल्लों के लिये अलग-अलग रास्ते हैं। कुछ साल से लोधों ने अपने रास्ते की हालत सुधार ली और वह आम सड़क हो गई। जाटवों की बारात लोधों के रास्ते से निकालने में लोध विरोध करते थे। एक जाटव ने उस रास्ते से १९–६–६५ को बारात निकालने के लिये जिला अधिकारियों से आज्ञा मांगी जो दी गई और चूंकि शांति भंग होने की संभावना थी अतः पुलिस ने धारा १०७/११७ जा० फौ० की रिपोर्ट दोनों पक्षों के विरुद्ध कर दी और शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक प्रबन्ध किया गया। १९–६–६५ को बारात ने जो जिला बुलन्दशहर से आई थी, आराम करने के लिए अपना पड़ाव नगला मंदिर में डाल दिया। उस बारात में एक लोध राजपूत का एक हाथी किराये पर आया था। एक अन्य लोध राजपूत ने उस हाथी को अपनी चौपाल पर मंगवा लिया और हाथी वाले से बरात चढ़ाने को मना कर दिया। जब बारात वालों को इस बात का पता चला तो बारात के १०–१५ आदमी चौपाल पर गये और हाथी वाले से बारात चढ़ाने को कहा जिस पर हाथी वाले ने मना कर दिया। इस पर दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई और बारातियों ने ईंट पत्थर मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक लोध राजपूत के मकान से फायर हुआ।

गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की सूची

१––भूपाल सिंह, पुत्र बल्देव नि०	नगला मन्दिर,	थाना कोतवाली,	अलीगढ़।
२––ईश्वरी, पुत्र भूपाल सिंह	,,	,,	,,
३––रामस्वरूप, पुत्र भूपाल सिंह	,,	,,	,,
४––भगवती, पुत्र भूपाल सिंह	,,	,,	,,
५––हर प्रसाद, पुत्र ईश्वरी	,,	,,	,,
६––किशन लाल, पुत्र मोहन लाल	,,	,,	,,
७––जमुना दास, पुत्र सुखराम	,,	,,	,,
८––लालसिंह, पुत्र परशादी लाल	,,	,,	,,
९––नत्थी लाल, पुत्र मनसुख लाल	,,	,,	,,
१०––प्यारे लाल, पुत्र दुर्गा प्रसाद	,,	,,	,,
११––रामसिंह, पुत्र चिरंजी लाल	,,	,,	,,
१२––राजवीर, पुत्र डाल चन्द	,,	,,	,,
१३––गोपी, पुत्र मोहन लाल	,,	,,	,,
१४––चोखे लाल, पुत्र नहें	,,	,,	,,
१५––दुर्गादास, पुत्र भवानी	,,	,,	,,
१६––परशादी, पुत्र पुन्नी	,,	,,	,,
१७––कुन्जी, पुत्र लालाराम	,,	,,	,,
१८––हुब्बलाल, पुत्र मनसुख लाल	,,	,,	,,
१९––सोहन लाल, पुत्र नैनसुख	,,	,,	,,
२०––कल्यान, पुत्र सुमेर	,,	,,	,,

२१—[illegible] पुत्र बिहारी लाल नि० मौजा बढ़ौली, थाना कोतवाली, अलीगढ़
२२—उमराव सिंह पुत्र धानसिंह " " "
२३—सूरज पाल पुत्र मोहन लाल " " "
२४—पन्ना लाल पुत्र जय किशोर " " "
२५—डाल चन्द पुत्र पिरथी सिंह, नि० मौजा हाजीपुर, अलीगढ़ ।
२६—भूंदव पुत्र बहोरी लाल नि० उमरारा, थाना डिवाई, बुलन्दशहर ।
२७—श्यामलाल पुत्र बहोरी लाल " "
२८—पन्ना लाल पुत्र डालचन्द नि० नगला मंदिर, थाना कोतवाली, अलीगढ़
२९—रामसिंह पुत्र डालचन्द " " "
३०—देवी पुत्र चिरंजी " " "
३१—शोरन पुत्र नैनसुख " " "
३२—राम चरन उर्फ छोटे लाल पुत्र ठाकुर दास "
३३—ठाकुरदास पुत्र नत्थू " " "
३४—देवी पुत्र ठाकुर दास " " "
३५—परसराम पुत्र ठाकुर दास " " "
३६—राम स्वरूप उर्फ रामरूप पुत्र शेर सिंह, " "
३७—भगनलाल पुत्र खचेरा " " "
३८—शंकर पुत्र खचेरा " " "
३९—गेंदा लाला पुत्र नत्थू " " "
४०—मोहन लाल पुत्र गेंदालाल " " "
४१—हरी सिंह पुत्र जोधराज " " "
४२—शोभा राम पुत्र जोधाराम " " "
४३—गिरधारी पुत्र हरनामसिंह " " "
४४—बूसा पुत्र हरनामसिंह " " "
४५—शिवचरन पुत्र काशीराम " " "
४६—आशाराम पुत्र पूरनसिंह " " "
४७—बुद्धसेन पुत्र खमानी सिंह " " "
४८—भूंदव पुत्र परसराम " " "
४९—ईश्वरी पुत्र मंगल नि० पडियावली, थाना कोतवाली, अलीगढ़ ।
५०—लक्ष्मण पुत्र प्रान सुख " "
५१—कंवरसिंह पुत्र खुशालसिंह, नि० सराय लवरिया, थाना बन्नादेवी, अलीगढ़ ।
५२—रनबीरसिंह पुत्र गोवर्धनसिंह, निवासी पिलखाना, थाना डिवाई, बुलन्दशहर ।
५३—कल्लूसिंह पुत्र केवलसिंह " " "
५४—गंगासिंह पुत्र छंगासिंह " " "

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे ९०० पर]

क्रम संख्या	मंत्री आदि का विवरण	नैनीताल तथा अन्य पहाड़ी स्थान में कब से कब तक रहे		दफ्तर साथ रहा अथवा नहीं
		नैनीताल	अन्य पहाड़ी स्थान	
१	२	३	४	५
१	मुख्य मंत्री ..	२५ से ३० मई, १९६५	५ से १० जून, १९६५	२ आशुलिपिक व
		१० से १३ जून, १९६५	१४ से १९ जून, १९६५	२ चपरासी साथ गये।
		२० से २३ जून, १९६५	२५ से २८ जून, १९६५	
२	राजस्व मंत्री ..	कोई यात्रा नहीं की।		
३	सिंचाई मंत्री ..	..	१५ से २२ मई, १९६५	१ आशुलिपिक व
			११ व १२ जून, १९६५	१ चपरासी दौरों में साथ गये।
४	वन मंत्री ..	..	२ से ८ जून, १९६५	१ आशुलिपिक व १ चपरासी दौरे में साथ गये।
५	न्याय मंत्री ..	२९ मई से ३ जुलाई, १९६५	..	वैयक्तिक सहायक व २ आशुलिपिक दौरे में साथ गये।
६	गृह मंत्री ..	कोई यात्रा नहीं की।		
७	परिवहन मंत्री ..	कोई यात्रा नहीं की।		
८	सामुदायिक विकास	२५ से २९ मई, १९६५	५ से ११ जून, १९६५	वैयक्तिक सहायक, १ आशुलिपिक व
		१४ से २२ जून, १९६५	२३ जून, १९६५	१ चपरासी दौरों में साथ गये।
		२४ व २५ जून, १९६५		
९	स्वायत्त शासन मंत्री	३० व २१ मई, १९६५	१३ व १४ जून, १९६५	१ आशुलिपिक व २ चपरासी दौरों में साथ गये।
		३१ मई से ४ जून, १९६५		
		११ व १२ जून, १९६५		
		१५ से २५ जून, १९६५		

क्रम संख्या	मंत्री आदि का विवरण	नैनीताल तथा अन्य पहाड़ी स्थान में में कब से कब तक रहे		दफ्तर साथ रहा अथवा नहीं
		नैनीताल	अन्य पहाड़ी स्थान	
१	२	३	४	५
१०	खाद्य मंत्री ..	..	२८ मई से २ जून, १९६५ ७ जून से २५ जून, १९६५	१ आशुलिपिक अथवा १ अवर वर्ग सहायक व १ चपरासी दौरों में साथ गये ।
११	समाज कल्याण ..	१९ से २३ जून, १९६५	..	वैयक्तिक सहायक तथा एक चपरासी दौरे में साथ गये ।
१२	स्वास्थ्य मन्त्री ..	कोई यात्रा नहीं की ।		
१३	सहकारिता मंत्री	६ से ८ जून, १९६५ १६ से २० जून, १९६५ २२ जून, १९६५ २८ जून से ३० जून, १९६५	२१ जून, १९६५	वैयक्तिक सहायक, २ आशुलिपिक, १ अवर वर्ग सहायक व ३ चपरासी दौरों में साथ गये ।
१४	शिक्षा मन्त्री ..	८ व ९ मई, १९६५ १३ मई, १९६५ २८ जून से ३० जून १९६५	..	१ आशुलिपिक व १ चपरासी दौरों में साथ गये ।
१५	सार्वजनिक निर्माण मंत्री	१३ से १५ जून, १९६५ १९ व २० जून, १९६५ २४ जून, १९६५ ३० जून, १९६५	१६ जून, १९६५ २१ से २३ जून, १९६५	वैयक्तिक सहायक अथवा १ आशुलिपिक व १ चपरासी दौरों में साथ गये ।
१६	कृषि मन्त्री ..	२२ से २६ जून, १९६५	..	एक आशुलिपिक व १ चपरासी दौरे में साथ गये ।
१७	कृषि उप मंत्री ..	२८ से ३० मई, १९६५ ९ से ११ जून, १९६५ १३ व १४ जून, १९६५ १७ जून, १९६५ २७ व २८ जून, १९६५	३ जून, १९६५ ८ जून, १९६५ १२ जून, १९६५ २० से २३ जून, १९६५	१ आशुलिपिक अथवा एक सहायक और १ चपरासी दौरों पर साथ गये ।

क्रम संख्या	मंत्री आदि का विवरण	नैनीताल तथा अन्य पहाड़ी स्थान में कब से कब तक रहे		दफ्तर साथ रहा अथवा नहीं
		नैनीताल	अन्य पहाड़ी स्थान	
१	२	३	४	५
१८	विद्युत् उप मंत्री	८ से १३ जून, १९६५ १६ से ३० जून, १९६५	१५ से २१ मई, १९६५	२ आशुलिपिक व २ चपरासी दौरों में साथ गये।
१९	वित्त उप मंत्री ..	कोई यात्रा नहीं की।		
२०	शिक्षा उप मंत्री ..	२६ से ३० मई, १९६५ १ से ३ जून, १९६५ २५ से ३० जून, १९६५	१३ से २५ मई, १९६५ २१ मई, १९६५ ४ से २४ जून, १९६५	१ अपरवर्ग सहायक तथा १ चपरासी दौरों में साथ गये।
२१	गृह उप मंत्री ..	कोई यात्रा नहीं की।		
२२	स्वायत्त शासन मंत्री से संबद्ध सभा सचिव।	१९ व २० जून, १९६५	२१ जून, १९६५	१ सहायक व १ चपरासी दौरों पर साथ गये।
२३	खाद्य मंत्री से संबद्ध सभासचिव	१४ से २० जून, १९६५	१३ से १८ मई, १९६५ २५ व २६ मई, १९६५ ३ से १३ जून, १९६५	१ आशुलिपिक व १ चपरासी दौरों में साथ गये।
२४	मुख्य मंत्री के सभासचिव ..	१९ से २२ जून, १९६५	..	१ आशुलिपिक व १ चपरासी दौरों में साथ गये।
२५	सामुदायिक विकास मंत्री से संबद्ध सभा सचिव	कोई यात्रा नहीं की।		
२६	सहकारिता मंत्री से संबद्ध सभा सचिव।	..	९ से १४ जून, १९६५	१ आशुलिपिक व १ चपरासी दौरों में साथ गये।
२७	राजस्व मंत्री से संबद्ध सभा सचिव	कोई यात्रा नहीं की।		

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०२ पर]

परिशिष्ट

१ जनवरी, १९६३ के बाद जिला बुलन्दशहर में ५,०००—०० से अधिक ऋण प्राप्त कर्ताओं की सूची—

क्रम संख्या	ऋणी का नाम	उद्योग का नाम	उद्योग स्थापित करने का स्थान	स्थान जहां उद्योग स्थापित कर दिया गया है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
१	श्री यशपाल सिंह ..	मोटरगाड़ी के हिस्से बनाना	दालमन्डी, बुलन्दशहर ..	..	अभी उपयोग का समय शेष है
२	श्री शाबिर हुसेन ..	मैलिग्रेबुल कास्ट आइरन फिटिंग्स	बस स्टेशन के पास गुलावटी, जिला बुलन्दशहर	बस स्टैंड के पास गुलटी, जिला बुलन्दशहर	
३	सर्वश्री विजय इन्डस्ट्रीज	आइरन उद्योग ..	सिविल लाइस, बुलन्दशहर	सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर	..
४	श्री छिशालाल गर्ग ..	फ्रूट प्रिजर्वेशन उद्योग ..	दनकौर, तह० सिकन्दराबाद	..	ऋणी की मृत्यु हो जाने के कारण उद्योग स्थापित नहीं हुआ।
५	श्रीरघुबर दयाल सिंघल	प्लास्टिक गुड्स एवं जिली का सामान ..	११४—बेयवाडा, सिकन्दराबाद बुलन्दशहर ..	..	ऋण का सदुपयोग नहीं किया गया।
६	श्री मोहम्मद जान ..	खान्डसारी ..	१३—खिड़की ऊपर कोट, बुलन्दशहर	१३—खिड़की ऊपर कोट बुलन्दशहर	
७	श्री उदयभान सिंह ..	खांड उद्योग ..	नाला मदारीपुर, बुलन्दशहर	नाला मदारीपुर, बुलन्दशहर	..
८	श्री जसवन्त सिंह ..	खान्डसारी ..	परलाझाल, पो० करौरा जिला—बुलन्दशहर	परलाझाल, पो० करौरा जिला—बुलन्दशहर	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

९—श्री प्रेम चन्द मित्तल ..	साइकिल पार्ट्स ..	शेख सराय, बुलन्दशहर ..	शेख सराय, बुलन्दशहर ..	
१०—श्री प्रकाश चन्द सिंघल	स्टील फर्नीचर व कन्ड्यूट पाइप	रेलवे रोड, बुलन्दशहर	रेलवे रोड, बुलन्दशहर ..	..
११—श्री जितेन्द्र शंकर शर्मा	सैनटरी गुड्स ..	चांदपुर रोड, बुलन्दशहर ..	..	ऋण का सदुपयोग नहीं किया गया।
१२—श्री ईश्वरी सिंह ..	आटोमोबाइल ..	काले आम, बुलन्दशहर ..	गजरान, काले आम, बुलन्दशहर	
१३—श्री बाबूदीन मिस्त्री ..	स्टील फर्नीचर एवं कन्ड्यूट पाइप	लाल डिग्गी, कालेआम, बुलन्दशहर	..	ऋण जुलाई, १९६५ में वितरित किया गया। उपयोग की अवधि अभी शेष है।
१४—श्री मल्लाह सिंह ..	कृषि यंत्र उद्योग ..	ग्राम वांसुरी, डा० जहांगीराबाद	..	ऋण अगस्त, १९६५ में वितरित किया गया। उपयोग की अवधि अभी शेष है।
१५—सर्व श्री मखेना काटेज	खान्डसारी (चीनी) ..	ग्राम—सूरजपुर मखेना, डा० मखेना परगना, दवई, तह० अनुपशहर	ग्राम—सूरजपुर मखेना, डा० मखेना, परगना दवई तह० अनुपशहर	रु० ५०,००० की स्वीकृत धनराशि में से ३५,००० रु० तारीख २०—८—६२ तक वितरित किया जा चुका है।
१६—श्री रशीद हुसैन खां ..	एजेक्ट्रिकल, सर्जिकल प्रोसलेन क्राकरी उद्योग ..	खुर्जा, बुलन्दशहर	जुलाई, १९६५ में वितरित किया गया। उपयोग की अवधि अभी शेष है।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९-११ का उत्तर पृष्ठ ९०५ पर)

क्रम-संख्या	आटा चक्की निर्माण केन्द्रों का नाम	वर्ष १९६२-६३ कुल उत्पादन	कुल बिक्रय	५० प्र० छूट पर बिक्रय	वर्ष १९६३-६४ कुल उत्पादन	कुल बिक्रय	वर्ष १९६४-६५ ५० प्र० छूट पर बिक्रय	कुल उत्पादन	कुल बिक्रय	५० प्र० छूट पर बिक्रय
१	खाद्यान्न पिसाई यंत्र उद्योग स० स० लि०, जमुना रोड, आगरा	११७१	११९६	२३०	१३८४	१३८७	४८३	७०४	६९७	४३४
२	ग्रामोद्योग यंत्र निर्माण स० स० लि०, धनकुट्टी, कानपुर	६४७	५६७	४४१	४२१	४१०	४१०	१६५	१६९	१६९
३	ग्रामोद्योग मण्डल सिविल लाइन्स, कानपुर। ..	६४२	४७२	४७२	६०४	३७४	३७४	९१०	५८७	५८७
४	मेसर्स सत्यनारायण एण्ड सन्स, चार गली, हाथरस (अलीगढ़)	४०	४१	..	१२५	१२५	..	२८०	२३१	..
५	आटा चक्की निर्माण उद्योग स० स० लि०, फतेहपुर सीकरी, आगरा	..	..	..	१७	..	..	..	..	..
६	जनकल्याण समिति यमुना रोड, आगरा ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
७	श्री मूलचन्द गुप्ता, ग्राम कलानिकेतन, १२३, रानीमंडी, इलाहाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..
८	श्री शालिगराम गुप्ता, पत्थर विक्रेता शंकरगढ़ (इलाहाबाद)	..	..	..	..	..	..	..	..	..
९	ला० बैजनाथ कन्ट्रैक्टर, जमुना रोड, आगरा ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१०	श्री कन्हैयालाल एण्ड ब्रदर्स, फतेहपुर सीकरी, (आगरा)	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग ..	२५००	२२७२	१,४३	२५५१	२२९३	१२३७	२०५९	१६८४	११९०

नोट—क्रम संख्या ६ से १० के संस्थाओं/समितियों ने चक्कियों का निर्माण एवं बिक्रय नहीं किया है।

२—इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वर्ष १९६४-६५ में कुछ संस्थाओं/समितियों की आटा चक्की के बिक्री के आंकड़े अभी प्रमाणित नहीं हो पाये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

क्रम सं०	संस्था का नाम	उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिये गये ऋण का विवरण						
		१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	खाद्यान्न पिसाई यंत्र उ० स० समिति लि०, जमुना रोड, आगरा ..	..	..	२५००	..	..	२०००	..
२	ग्रामोद्योग यंत्र निर्माण स० स० लि०, धनकूट्टी, कानपुर	७०००	६५००	..	..	..	..	..
३	ग्रामोद्योग मंडल, १५/२३९, सिविल लाइंस कानपुर	..	..	४०००	..	..	..	..
४	आटा चक्की पाषाण उद्योग स० स० लि०, फतेहपुर सीकरी, आगरा ..	..	..	..	..	..	..	५०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०६ पर)

COPY

Inspection note recorded by Sri S. K. Garg, District Industries Officer, Gorakhpur, on the working of showcase at Railway Station, Gorakhpur.

Paid a surprise visit on March 20, 1964 in connection with the visit of Sri T. N. Bhatia, Deputy Director of Industies (C) U. P., Kanpur, where the following staff has been posted.

(1) Sri Virendra Mani Tripathi, Incharge Showcase.

(2) Sri Jai Shri, Chaukidar.

Prior to this I had visited the showcase on several occasions at the station.

The programme of Sri T. N. Bhatia, Deputy Director of Industries (C) was intimated to Sri Virendra Mani Tripathi, Incharge Showcase through the peon but he was absent for the whole day. In the evening the peon told that as per inspection of Sri R. S. Jain, Senior Clerk of A. D. I. (M) Gorakhpur, the message was communicated to Sri Tripathi and as per his statement he proceeded on leave. No casual leave has been submitted to me.

No sales have been affected so far through the show window as permission for the same has not been accorded by the Railway authorities.

The pay of the above staff are being drawn by the Special Manager. U. P., Handicrafts, Lucknow. I feel that to have better control, the budget allotment in respect of pay and contingencies, if any, be placed at the disposal of district Industries Officers. If so, Special Manager, Handicrafts may take necessary action to this regard from next financial year.

As there are no sales, I feel that the services of the Incharge be utilised somewhere else more suitabily instead of keeping him at the Railway Station with no work.

As per duty of the Incharge, he has to give all possible and available information about the various products being displayed at the Railway Station to the visitors but no such arrangement appears to have been made by him as in most of the cases the prices, mode of avai ability of the handicrafts goods was not mentioned on the samples. No signboard has also been affixed about the said showcase.

The duty of the Incharge has been fixed for 8 hours daily with recess of at least one hour in between the two shifts if any and for the rest period the chaukidar was required to watch and safe guard the Government property.

The working hours of the Incharge from March to Spetember are hereby fixed from 8 a.m. to 1 p.m. and from 3 p.m. to 6 p.m. and during the rest, the Chaukidar is required to remain there as per para 3 of the U. O. no. 113394-411/C-I-18, dated November 8, 1962.

S. K. GARG,
District Industries Officer,
Gorakhpur.

Office of the District Industries Officer, Gorakhpur, No. 6771-74/*DIO(G)/ Ins. Showcase dated Mach* 21/23, 1964. *Copy forwarded for information and necessary action to* :

1. Sri Virendra Mani Tripathi, Incharge, showcase, Railway Station, Gorakhpur.

2. Sub-Zonal Officer, Gorakhpur with reference to our discussions held on March 20, 1964 at the Railway Station about the proper utilisation of the staff attached with the showcase.

3. Joint D.I. (EZ), Varanasi (4), D.I. (Handicrafts Section).

(Sd.) S. K. GARG,
District Industries Officer.

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०९ पर)

परिशिष्ट

प्रादेशिक मूल्यांकन सलाहकार परिषद् का संगठन निम्न प्रकार है--

१--श्रीमती सुचेता कृपालानी (मुख्य मंत्री) .. .. अध्यक्ष
२--श्री नारायणदत्त तिवारी .. .. .. उपाध्यक्ष
३--श्री एस० एन० चतुर्वेदी .. .. .. सदस्य
४--श्रीमती प्रकाशवती सूद, एम० एल० ए० .. .. ,,
५--श्री बंशीधर शुक्ल, एम० एल० सी० .. .. ,,
६--श्री कृष्ण नारायण, मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ .. ,,
७--डा० एच० पी० साही, ,अध्यक्ष, जिला परिषद्, गोरखपुर .. ,,
८--श्री गोवर्धन तिवारी, अध्यक्ष, जिला परिषद्, अल्मोड़ा .. ,,
९--प्रो० सुजात दास गुप्ता, ज्वाइंट डाइरेक्टर, गांधी इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज, वाराणसी .. .. ,,
१०--डा० बलजीत सिंह, हेड आफ डिपार्टमेंन्ट आफ इकनामिक्स, लखनऊ, यूनिवर्सिटी, लखनऊ .. .. .. ,,
११--डा० आर० एन० भार्गव, हेड आफ डिपार्टमेन्ट आफ इकानामिक्स, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी .. .. ,,
१२--श्री जी० मुखर्जी, आई० ए० एस०, (रिटायर्ड), लखनऊ .. ,,
१३--डा० जे० पी० भट्टाचार्यजी, डायरेक्टर, प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली .. .. ,,
१४--मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन .. .. ,,
१५--आयुक्त तथा सचिव, वित्त विभाग .. .. ,,
१६--आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश .. ,,
१७--सचिव, नियोजन विभाग .. .. .. ,,
१८--डायरेक्टर इवैल्यूशन .. .. .. सचिव।

प्रादेशिक मूल्यांकन सलाहकार परिषद् के निम्नलिखित कार्य हैं --

१--मूल्यांकन के लिये कार्यक्रमों का चुनाव ।

२--विभिन्न मूल्यांकन संस्थाओं का विभिन्न स्तरों पर पथ प्रदर्शन करना एवं उनके कार्य में समावेश लाना ।

३--समय समय पर मूल्यांकन कार्यों का अवलोकन करना और सुझावों के कार्यान्वित होने पर विचार करना ।

४--मूल्यांकन तथा किसी व्यक्तिगत अध्ययन से सम्बन्धित नीति एवं कार्यक्रम के लिये सुझाव देना ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१४ पर)

गोरखपुर जिले में थाना पुरन्दरपुर, कम्पियरगंज, फरेन्दा व नई कोट में ३०-१२-६४ से १५-७-६५ तक हुई चोरी, डकैती, कत्ल तथा राहजनी की घटनाओं का विवरण

नाम थाना	नाम अपराध मय संख्या	गिरफ्तार हुए अभियुक्तों की संख्या	सजा पाये हुए अभियुक्तों की संख्या	छोड़े गये अभियुक्तों की संख्या
चोरी—				
पुरन्दरपुर ..	२५	१३	..	..
कम्पीयरगंज ..	१९	२५	..	..
फरेन्दा ..	१३	४	..	..
नई कोट ..	३३	१२	..	..
डकैती—				
पुरन्दरपुर ..	१	११	..	..
कम्पीयरगंज ..	१	६	..	..
फरेन्दा ..	१	११	..	५ व्यक्ति धारा १६९ दं० वि० सं० के अधीन छूटे ।
नई कोट ..	डकैती की कोई घटना नहीं हुई ।	..	..	..
कत्ल—				
पुरन्दरपुर ..	में कोई कत्ल की	..	..	..
कम्पीयरगंज ..	कोई घटना	..	..	..
	नहीं हुई ।	..	..	..
नई कोट ..	..	..	..	..
फरेन्दा ..	१	६	..	..
राहजनी व लूट—				
पुरन्दरपुर ..	१	..	..	..
कम्पीयरगंज ..	२	२	..	..
फरेन्दा ..	२	३	..	..
नई कोट ..	राहजनी की कोई घटना नहीं हुई ।			

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१६ पर)

विवरण

दिनांक २०–७–६५ को सुबह थाना कोतवाली देवरिया पर श्री हरद्वार, पुत्र भगवान साहू, निवासी ग्राम करौंदी तथा हेड कानिस्टेबुल पी० ए० सी० राम नरेश तिवारी व कां० मुनेश्वर मिश्र बन्दी राधो शाही, जगदेव अहिर, राम लोचन शाही के साथ मृतक हरि पुत्र जमुना अहिर के शव सहित उपस्थित हुए । श्री हरद्वार ने विगत रात्रि में अपने घर पर सशस्त्र डकैती की घटना घटित होने की सूचना दी और प्रगट किया कि अभियुक्त मृतक हरि उपरोक्त घटना स्थल पर घायल अवस्था में पकड़ा गया जिसकी मृत्यु रास्ते में लाते समय हो गई । हेड कानिस्टेबुल पी० ए० सी० राम नरेश तिवारी ने उक्त आशय का समर्थन करते हुए बताया कि गत रात्रि जब वह अपने सेक्शन के साथ गश्त में थे, ८ बजे रात्रि करौंदी में पहुंचे तो हरद्वार के घर की तरफ से शोर सुनकर वहां पहुंचे और उन लोगों तथा डाकुओं के बीच संघर्ष हुआ जिसमें उन्हें गोली चलानी पड़ी और परिणाम स्वरूप हरि और राम लोचन शाही घायल हो गये व घायल अभियुक्त हरि थाने लाते समय रास्ते में मर गया । इस सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज किया और अभियुक्त राधो शाही, राम लोचन एवं जगदेव अहिर बन्दी करके जेल भेज दिये गये । यह सब जमानत पर छूटे हुए हैं । अभियोग की प्रारम्भिक कार्यवाही के पश्चात् इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की रिपोर्ट दी गयी । ए० एस० डी० एम०, सदर जांच के लिये नियुक्त किये गये और उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट लिखे जाने के तीन घंटे के अन्दर ही जांच आरम्भ कर दी ।

दिनांक २०-७-६५ को थाना कोतवाली पर श्री राम लोचन शाही की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें श्री हरद्वार एवं पी० ए० सी० के सैनिकों के विरुद्ध घर में घुस कर उन्हें और हरि को गोली से आहत करने का आरोप लगाया गया । मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर २३–७–६५ में श्री हरद्वार व पी० ए० सी० के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध धारा ३०२/३०७/३४ भारतीय दंड विधान का मुकदमा थाना कोतवाली पर कायम किया गया । हेड कानिस्टेबुल पी० ए० सी० तथा पी० ए० सी० के तीन अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । श्री हरद्वार को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । इस मामले में अब गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ९१७ पर)

तालिका

क्र० सं०	नाम कृषक	ग्राम	अनुमानित हानि	मिल द्वारा सहायता	समिति द्वारा सहायता	कुल सहायता
			रु०	रु०	रु०	रु०
१	शारदा पुत्र टेकन ।	मुकारिमपुर	१,१००	३५७	२५०	६०७
२	कन्हैयालाल पुत्र राम नारायण ।	,,	४००	१००	१००	२००
३	डोरे पुत्र भोला ।	मेठिया	४००	१००	१००	२००
४	रामरतन पुत्र मलग्गा ।	,,	३५०	१००	१००	२००
५	हैदरअली पुत्र इमामी ।	ताजपुर	३५०	७०	१००	१७०
	कुल योग . .		२,६००	७२७	६५०	१,३७७

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२–६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१८ पर)

तालिका 'क'

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	नाम समिति	क्रय किये गये गन्ने की मात्रा (क्विंटल में)	कुल गन्ने का मूल्य (लाख रु० में)
१	बरेली ..	गोला ..	७,२३१.८३	०.३६
		पलिया भीरा ..	७८,३०५.०८	३.९५
	योग ..		८५,५३६.९०	४.३१
२	पीलीभीत ..	गोला	४,१६,३९३.००	२०.९४
		पलिया भीरा ..	१,३४,५८८.५४	६.६३
	योग ..		५,५०,९८२.५४	२७.५७
३	रोजा ..	गोला ..	१,९८,६६८.८५	१०.०१

तालिका 'ख'

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	गन्ने का मूल्य जो वाजिब हुआ (लाख रु० में)	गन्ना मूल्य जो भुगतान किया (लाख रु० में)	गन्ना मूल्य जो भुगतान हेतु शेष रहा (लाख रुपयों में)
१	बरेली ..	४.३१	३.६३	०.६८
२	पीलीभीत ..	२७.५७	२७.४२	०.१५
३	रोजा ..	१०.०१	९.८४	०.१७
	योग ..	४१.८९	४०.८९	१.००

सत्यमेव जयते संसदीय प्रलेखन केन्द्र

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२० पर)

विवरण

तहसीलदार तरबगंज, जिला गोंडा से माता प्रसाद नि० ग्राम नीरपुर ख्याला के विरुद्ध कुछ सरकारी धन की वसूली के लिये एक गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था जिसे कार्यान्वियन (एग्जीक्यूशन) के लिये श्री राम किशुन अमीन को दिया गया। दिनांक २६–७–६५ को नायब तहसीलदार, तरबगंज श्री राम किशुन अमीन, २ अन्य अमीनों तथा ३ चपरासियों सहित माता प्रसाद की गिरफ्तारी के संबंध में ग्राम नीरपुर ख्याला पहुंचे। राम किशुन एवं सीताकान्त अमीन जब माता प्रसाद की गिरफ्तारी के लिये उसके पास पहुंचे तो वह इन कर्मचारियों को गाली देने लगा और अपने पट्टीदारों व मदद गारों को आवाज देकर बुलाया तथा उनसे कर्मचारियों को मारने के लिये कहा। इसी बीच माता प्रसाद अपने घर से करौली ले आया और सीताकान्त पर करौली से वार किया। सीताकान्त ने आत्म सुरक्षा में माता प्रसाद पर डंडे का वार किया और उसे पकड़ लिया। इतने में माता प्रसाद का पड़ोसी व पट्टीदार रामरूप सीताकान्त से लिपट गया और माता प्रसाद को छुड़ाने लगा। अपना जीवन खतरे में देखकर सीताकान्त ने नायब तहसीलदार को सहायता के लिये पुकारा। नायब तहसीलदार के पास पिस्तौल थी जिसे उन्होंने आत्म सुरक्षार्थ भर लिया और सीताकान्त को छुड़ाने के लिये आगे बढ़े और पहले माता प्रसाद के हाथ से करौली छीनने का प्रयत्न किया। छीना झपटी में नायब तहसीलदार के पिस्तौल की गोली चल गई जिससे सीताकान्त व राम रूप को चोट लगी। माता प्रसाद व उसके अन्य साथी भाग खड़े हुए।

नायब तहसीलदार ने उक्त घटना के संबंध में दिनांक २६–७–६५ को १८.५ बजे थाना परसपुर पर एक लिखित सूचना दी जिसके आधार पर माता प्रसाद, रामरूप व उनके अन्य साथियों के विरुद्ध थाना परसपुर पर धारा ३५३/२२४/२२५ भा० दं० विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। इसी मुकदमें के संबंध में माता प्रसाद व रामरूप गिरफ्तार किये गये हैं। मामले में जांच हो रही है।

नत्थी 'ऊ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९–८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२१–९२२ पर)

फैजाबाद कमिश्नरी भूतपूर्व श्रमशील एवं खेतिहर मजदूर नवयुवक तथा कार्यकर्ता सम्मेलन दिनांक ३० मई, १९६५ में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का विवरण—

प्रस्तावों में की गई मांग	प्रस्तावों के प्रति की गई कार्यवाही
१—भासी जाति अथवा उसकी किसी भी उप जाति को अनुसूचित जाति की सूची से न निकाला जाय ।	शासन की ओर से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसलिये प्रश्न नहीं उठता ।
२—भूतपूर्व अपराधशील जाति के बालक, बालिकाओं को कक्षा १ से १० तक छात्रवृत्ति अनिवार्य कर दी जाय और जनवरी, १९६५ से बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय ।	विचाराधीन ।
३—गांव समाज की खाली भूमि उसे पहले भूतपूर्व अपराधशील जातियों को दी जाय ।	विचाराधीन ।
४—कालोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत भूमि भूतपूर्व अपराधशील जातियों को दी जाय ।	विचाराधीन ।
५—भूतपूर्व अपराधशील जाति के उत्थान के लिये जिस प्रकार कानपुर, सहारनपुर आदि में बस्तियां खोली गई हैं उसी प्रकार प्रत्येक जिला व नगर में खोल दी जायें ।	कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ और गोरखपुर आदि में ये बस्तियां अपराधशील जाति अधिनियम के अन्तर्गत विशेष प्रयोजन से स्थापित की गई थीं । सन् १९५२ में अपराधशील जाति अधिनियम के निरसन के पश्चात् अब ये जातियां देश की सामान्य नागरिक हैं । इसलिये अब बड़े बड़े सेटलमेण्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी पुनर्वास योजना के अन्तर्गत जहां सम्भव होता है विभाग छोटी मोटी बस्तियां स्थापित करता है । सहारनपुर में कोई बस्ती नहीं थी ।
६—शिक्षा, नौकरी आदि में अपराधशील जातियों को अनुसूचित जातियों से अधिक प्राथमिकता दी जाय ।	विचाराधीन ।
७—भूतपूर्व अपराधशील जातियों के लिये अलग से विभाग खोला जाय और राज्य स्तर पर एक बोर्ड जिला स्तर पर कमेटियां केवल भूतपूर्व अपराधशील जातियों के सदस्यों की ही बनायी जायं ।	विचाराधीन ।

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२२ पर)

तालिका

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	गन्ने का मूल्य (लाख रु० में)	वसूली के लिये की गई कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४
१	सहारनपुर ..	१.७९	रिकवरी सार्टीफिकेट जारी
२	देवबन्द ..	११.९८	,, ,, ,,
३	इकबालपुर ..	२.३७	,, ,, ,,
४	लक्सर ..	कुछ नहीं	,, ,, ,,
५	सरसावां ..	८.११	मिल की व्यवस्था को सुधारने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।
	योग ..	२४.४८	

संसदीय पुस्तकालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४७ एल० ए०—१९६५—८६२ ।